खण्ड-265, अंक-8
शनिवार, 5 चैत्र, शक संवत् 1888
(26 मार्च, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 265 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २६ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३३६

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस०जी०दत्त, श्री
ए०सी०ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मित्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणाकृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरी प्रसाद पांडेय, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह सिष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान सिद्दवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे०पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टण्डेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दशरथ शाक्य, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खां, श्री
नेकरम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथशरनसिंह, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (हुन्नूसिंह)
बंशधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री

बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोलालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधवनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुंदलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुन्दबिहारी लाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर हुरेल, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहरसिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूडी, श्री
रघुपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवरसिंह श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोर, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्यामशर्मा, श्री
रामप्रधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
राम यादव, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री

रामर्मूति श्री
राममूर्ति 'अंचल,' श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
विशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव,' श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्त सिंह, श्री
शिवधनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द्र शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियाकुमारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल युसिया, श्री
हनीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हैतरामसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

वित्तमंत्री श्री कैलाश प्रकाश भी उपस्थित थे ।

कटौती के प्रस्तावक को बोलने का अवसर न मिलने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रबलीसिंह की आपत्ति

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियमावली में कटौती के प्रस्ताव करने के तीन तरीके हैं। एक तो है...

श्री अध्यक्ष—

जब कटौती का प्रस्ताव आयेगा तब उस पर विचार हो जायगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

इस तरह से मान्यवर, ज्यादती हो रही है और इस पर विचार होना जरूरी है। तो मैं कह रहा था कि उसके तीन तरीके हैं। एक तो कटौती का प्रस्ताव...

श्री अध्यक्ष—

जब यह प्रश्न आयेगा उस समय आप आपत्ति कर दीजियेगा।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

कल हम लोगों के साथ ज्यादती हुई है।

श्री अध्यक्ष—

इस समय नियम ५२ के अन्तर्गत जो बात है उसे ले लेने दीजिये।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

यह तो पूरी नियमावली की अवहेलना है।

श्री अध्यक्ष—

आप ने जो प्रश्न उठाया यह मद ७ से संबंधित है। जब यह पेश हो तो आप यह प्रश्न उठाइयेगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

कल जब सिंचाई का अनुदान चल रहा था तो....

श्री अध्यक्ष—

यह दूसरी चीज है मैं इसे बाद में सुनूंगा।

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं प्रश्नों के विषय में एक निवेदन करना चाहता हूं। मैंने दो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिये थे और दोनों का संबंध सरकार की नीति से था। उनके उत्तर आराम और आसानी के साथ सरकार के सचिवालय द्वारा ही दिये जा सकते थे, लेकिन हमारे नियमों में एक लैकुना है कि अगर सरकार चाहे तो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न को तारांकित प्रश्नों में बदल सकती है उसका लाभ उठा कर हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनको तारांकित में उत्तर देने की बात सरकार ने की है। मेरा एक प्रश्न था कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने गुंडों की एक लिस्ट भेजी है या नहीं। इसके लिये मेरे पास सूचना है कि सरकार उसका तारांकित प्रश्नों में

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

उत्तर देगी और वह रखा गया है ९ वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ५३ में । अब सदन में ५३ तक पहुंचने की नौबत आयेगी और नवां गुरुवार भी इस सत्र के जीवन में आयेगा यह देखने की बात है। दूसरा प्रश्न था कि काशी विश्वविद्यालय में जो घटना हुई उसके आधार पर तीन अफसर तो ट्रांसफर कर दिये गये, कलेक्टर और एस०पी० को सरकार ने ट्रांसफर नहीं किया। तो मैंने कारण पूछा था कि उनको ट्रांसफर न करने का कारण क्या है। उसे भी सरकार ने अल्पसूचित से बदल कर तारांकित में उत्तर देने की बात कही है और उसके लिये भी नवां गुरुवार और प्रश्न संख्या ५६ निश्चित हुई है ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनसे सरकार की नीति का संबंध हो, कार्यविधि का संबंध हो, जिसका उत्तर सचिवालय ही दे सकते हों, नियम की ओट में इस तरह टाले जायं, मैं समझता हूं कि इसी सदन के सदस्यों का जो हक है उसको सरकार मारने का प्रयास कर रही है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस पर विचार करें और कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे सरकार यह नियम का अनुचित लाभ न लेकर हमारे हक को न मार सके।

श्री अध्यक्ष—

कदाचित् इतना कहना पर्याप्त होगा कि नियम ३० के उपखंड (२) में विहित है कि अध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रश्न की एक प्रतिलिपि संबंधित मंत्री को इस निवेदन के साथ भेज दी जायगी कि वह सचिव को सूचित करें कि क्या वह प्रश्न का उत्तर अल्पसूचित प्रश्न के रूप में देने के लिये सहमत हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त—

मैं नियम को नहीं कह रहा हूं। ये इस नियम का अनुचित लाभ उठा रहे हैं यह साधारण प्रश्न है और नीति का प्रश्न है जिसका उत्तर सरकार सचिवालय से दे सकती है और इस तरह से नियमों की ओट लेकर....

श्री अध्यक्ष—

मेरा एक नोट है १९३७-३९ के संकलन में १९५ पृष्ठ पर। माननीय टंडन जी की एक व्यवस्था है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष की रूलिंग आउट आफ डेट होती है या नहीं कभी ?
टंडन जी क्या कहते थे, व्यवस्था इस पर नहीं होनी चाहिये।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

टंडन जी कैसे, आप कैसे हैं इसका मुकाबला करने की क्या जरूरत है?

श्री अध्यक्ष—

मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, फिर हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा।

"On April 27 1938, Dr. Sir Jwala Prasad Srivastava asked as to why the Government could not answer his short notice questions which did not require the collection of any information.

प्रश्न यह था कि डा० ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव ने यह प्रश्न उपस्थित किया कि एक ऐसा विषय जिसके संबंध में कोई सूचनाएं संकलित करने की आवश्यकता ही नहीं थी उसको क्यों नहीं सरकार ने अल्प-सूचित प्रश्न के रूप में उत्तर दिया ?

"The Hon'ble the Speaker observede 'I cannot allow that question to be asked. If every time Government do not agree to a question being answered at short notice members ask for ths reasons here, that will take up unnecessary time of the House. I do not wish to create that precedent. Answering a question at short notice is not the normal procedure; It is essentially a matter of convenience for the Government. Normally the usual notice has to be given."

उन्होंने कहा कि यह प्रश्न मैं नहीं करने दूंगा। यदि प्रत्येक अवसर पर सरकार जिन अल्प सूचित प्रश्नों के संबंध में उत्तर देने के लिये सहमत न हो, उनकी यहां असहमति के कारण पूछे जाय तो सदन का व्यर्थ ही समय नष्ट होगा। मैं इस किस्म की प्रथा नहीं डालना चाहता साधारणतया अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर देना सरकार की सुविधा के ऊपर निर्भर है और सामान्य प्रक्रिया प्रश्न करने की वह है जो अल्पसूचित प्रश्नों के अतिरिक्त है और वही तरीका होना चाहिये। उसके बाद यहां तक कहा है कि—

"I think that, generally speaking, whenever the Minister-in-charge does not agree to answer questions at short notice that is due to his inability to collect the necessary information within the time given or probably to his not regarding the subject-matter of the question as of vital importance. But if you being to ask him on the floor of this House as to what his reasons for not giving replies to short-notice questions are, I have to disallow such questions."

यह संभव है कि सूचना एकत्र करने की असमर्थता के कारण या उनके मन में प्रश्न पर्याप्त महत्व का न होने के कारण मिनिस्टर अल्प सूचना पर प्रश्नों का उत्तर न दें, लेकिन यह भी सब उनके विवेक पर निर्भर करता है, और सदन में इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।

इस संबंध में माननीय काशीनाथ जी ने जो बात उठायी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कृपया जो सन् १९५२–१९६२ का संकल्प है उसको पढ़ लें। उसको देखने से पता चलेगा कि जो १९३७ में माननीय टंडन जी ने अपनी राय दी उसका अनुकरण सन् १९६२ तक हुआ है। मैं सदन से निवेदन कर दूं कि पूर्वगामी अध्यक्षों ने तो यहां तक कह दिया कि यदि कोई इधर से प्रश्न पूछा जाय और माननीय मंत्री जी खड़े न हों तो हम उसके लिये उन्हें मजबूर नहीं कर सकते, किन्तु मैंने कभी इसको स्वीकार नहीं किया और मैंने तो नियम ५२ के प्रश्नों के संबंध में भी इस पीढ़ी को जितना स्वच्छन्द कर सकता था वह किया।

श्री यादवेन्द्र दत्त—

मैंने तो केवल आपसे यह निवेदन किया था कि आप इस कार्य में हमारी सहायता करें।

कतिपय विषय

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

कल अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ। कटौती करने का हमारा अधिकार है, कल हमें बोलने नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

मैं चन्द्रबली सिंह जी, आपकी कठिनाई समझ गया हूं, उस पर भी अभी फैसला दूंगा, आप कृपया बैठें अभी।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

वह अभी मैंने देखा नहीं है, मैंने माननीय खाद्य मंत्री जी से भी अभी नहीं पूछा है, इस समय मैं उसे नहीं ले रहा हूं ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय सत्यनारायण पांडेय तथा माननीय कल्याणचन्द्र मोहिले जी की सूचना आयी है कि इलाहाबाद, लखनऊ सड़क पर सुरावां गांव में आग लग गयी। जिसमें बहुत नुकसान हुआ है, कुछ मृत्यु भी हुई है। इसे मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी के पास शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही हेतु भेज दिया है।

माननीय चन्द्रबलीसिंह जी ने गन्ने के संबंध में सूचना दी है। वह भी मैं मंत्री जी के पास भेज रहा हूं। जब उस मद पर बयान होगा तो इसे भी सम्मिलित कर लिया जायेगा और शेष मैंने अस्वीकृत किये।

श्री ब्रह्मदत्त मायर(जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, मैंने भी सूचना दी थी कि किशनपुरा उजड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष—

उसमें आपने ही लिखा है कि वहां एक हवाई अड्डा बना हुआ है वहां एक्सटैन्शन करना है। बढ़ाव करने के लिये किसी न किसी तरफ जायेंगे, लैन्ड एक्वीजीशन की जायेगी। यह हो सकता है कि आप उन्हें अन्यत्र कोई उपयुक्त स्थान बता दें कि वहां किया जाय।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

आज पंद्रह वर्ष पहले जमीन ली गई और कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। आठ सौ बीघा जमीन है।

जिला परिषद् सीतापुर में संघर्ष के सम्बन्ध में वक्तव्य

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

जिला परिषद्, सीतापुर, की एक बैठक वर्ष १९६६-६७ के प्रस्तावित बजट पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिये १९-३-६६ को दिन में १ बजे बुलाई गई थी। यह बैठक निश्चय के अनुसार जिला परिषद् के हाल में १९ मार्च को १ बजे शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद् के अध्यक्ष कर रहे थे। बैठक प्रारम्भ होने पर एजेन्डा के मुताबिक पहले पिछली मीटिंग की कार्यवाही की पुष्टि की गई। इसके बाद एजेण्डा का दूसरा विषय १९६६-६७ का अनुमानित बजट पेश किया गया। इस पर परिषद् के कुछ सदस्यों ने यह आपत्ति की कि परिषद् की कार्य समिति, जिसने उक्त प्रस्तावित बजट को अपनी बैठक दिनांक १५-३-६६ को तैयार किया था, उसका पूरा कोरम नहीं था, इसलिये कार्य समिति द्वारा बनाया हुआ बजट अवैधानिक है और उस पर परिषद् में कोई विचार नहीं किया जा सकता। परिषद् के अध्यक्ष ने सदस्यों के एतराज को न मान कर यह व्यवस्था दी कि बजट पर विचार किया जाय। इस पर कुछ परिषद् के सदस्यों ने शोर मचाना शुरू किया जिससे परिषद की बैठक को शान्तिपूर्वक संचालित करने में कठिनाई पड़ी। इसी हंगामे के बीच में कहा जाता है कि परिषद् के कुछ सदस्यों ने मीटिंग हाल के मंच पर रखी हुई मेज उलट दी। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष ने परिषद् की मीटिंग समाप्त कर दी और वे अपने कार्यालय में चले गये। परिषद् की मीटिंग के समाप्त होने के शीघ्र बाद ही ऐसा कहा जाता है कि परिषद् के कुछ सदस्य परिषद के कार्यालय से गए और परिषद् के मीटिंग क्लर्क से परिषद् की मीटिंग का उपस्थिति रजिस्टर तथा अन्य कागजात

जबरदस्ती छीन कर ले गये। इस घटना की रिपोर्ट अध्यक्ष, जिला परिषद्, ने पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को भेजी जिसके आधार पर सीतापुर कोतवाली में भारतीय दण्ड विधान की धारा ३९५ के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की जांच और छानबीन कर रही है। अभी तक पुलिस को वे रजिस्टर व कागजात, जो छीने हुये बताये जाते हैं, बरामद नहीं हो सके। पुलिस की छानबीन जारी है।

यह कहना गलत है कि अध्यक्ष की कुर्सी उलट दी गई थी या परिषद् में मारपीट हुई व परिषद् के कुछ कर्मचारी पीटे गये, अथवा परिषद् के कार्यालय में आग लगाने का प्रयास किया गया। यह कहना ही गलत है कि परिषद एवं नियोजन विभाग का काम ठप्प हो गया है जनता और परिषद् के कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। परिषद् के मामले के प्रति शासन जागरुक है और जिले में विकास कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह दफा ३५५ है या ३९५। माननीय मंत्री जी ने ३५५ पढ़ा है।

श्री बंशीधर पांडेय—

३९५ है।

श्री शिवेन्द्र प्रताप—

श्रीमन्, सात दिन से ज्यादा हो चुका है। चूंकि इनके कांग्रेस सदस्य का मामला है इसलिये पुलिस कुछ नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष—

जहां केवल वक्तव्य हो, वहां अन्य प्रश्न नहीं होंगे।

श्री टन्त्रेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

उन्होंने यह कहा कि परिषद् का काम ठप्प नहीं है। अगर ३१ मार्च तक बजट पास नहीं होगा तो कसे काम चलेगा ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष की कुर्सी उलट दी गई, उनको चोट आई, डाक्टरी मुआयना हुआ, यह तो मंत्री जी स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ में यह है कि यदि अध्यक्ष उक्त विषय को उठाने के लिये अपनी अनुमति दे या तो यह कार्य प्रश्नों के उपरान्त और कार्य सूची प्रारम्भ करने से पूर्व किया जायगा। मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य देंगे और ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा। परन्तु अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझें, स्पष्टीकरण के प्रयोजन से प्रश्नों की अनुमति दे सकेंगे। अगर मैं इसने स्वीकार नहीं करता हूं तो आपको प्रश्नों का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये कोई प्रश्न या स्पष्टीकरण नहीं होगा।

कटौती के प्रस्तावक को बोलने का अवसर न मिलने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रबलीसिंह की आपत्ति—(क्रमागत)

श्री चन्द्रबलीसिंह—

नियम १९० (ख) में मितव्ययिता कटौती और (ग) में प्रतीक कटौती प्रस्तुत करने का अधिकार है। मैंने कल इन दोनों का प्रस्ताव दिया था। हमको और किसी दूसरे

[श्री चन्द्रबली सिंह]

सदस्य को ऐसे प्रस्ताव करने का व बोलने का अवसर नहीं दिया गया। आखिर इस नियमावली की अवहेलना.....

श्री अध्यक्ष—

साधारणतया हमारी यह प्रथा रही है कि कटौती का प्रस्ताव किस रूप में और किसके द्वारा प्रस्तुत होगा यह विरोधी दल आपस में तय करते हैं और उनकी सहमति के अनुसार वे पेश होते रहे हैं। अगर आप हमें सूचना दे देते कि आप इस प्रकार का प्रस्ताव करना चाहते हैं तो इस पीठ का कर्त्तव्य है कि आपको अवसर दे बोलने का। लेकिन इसकी सूचना पहले आ जाय ताकि भ्रम न हो। अन्यथा प्रथा के अनुसार तो एक ही प्रस्ताव माना गया, इसलिये यह हो गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

कटौती प्रस्ताव के मौजूदा प्रचलन में तो सभी चीजें आ जाती हैं लेकिन चन्द्रबलीसिंह जी का प्रस्ताव एक निश्चित विषय के लिये था। आप के पास इतना बड़ा कार्यालय है, हम ने तो सूचना दे दी, अब आपके कार्यालय का काम है कि आपको बतावे। अगर हम गलती करते हैं तो हम निकाले जाते हैं। यह हमारे साथ ज्यादती है।

श्री अध्यक्ष—

हमें सूचना न होने के कारण ऐसा हो गया।

१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—
अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम—के अन्तर्गत ७६,६९,५९,५०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री टम्मेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

विद्युत परिषद् की कार्यवाही का कोई विवरण सदन के सामने अभी नहीं रखा गया है, इसका क्या कारण है? पहले मिलता था।

श्री जयराम वर्मा—

यह एक प्रोग्रेसिव, बहुत अच्छा दान है जिसमें उन सभी ऋणों और अग्रिमों की व्यवस्था की जाती है जो सरकार द्वारा मंजूर किये जाते हैं। इस ग्रान्ट पर विभिन्न विभाग आपरेट करते हैं। चूंकि इस ग्रान्ट को किसी एक मंत्री विशेष के नाम के साथ सम्बद्ध नहीं किया जा सकता इस लिये यह आवश्यक हो जाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से यह अनुदान रखा जाय। इसमें ६७ करोड़ ४६ लाख रुपया तो योजनागत आइटम्स के लिये है और ९ करोड़ २४ लाख रुपया अयोजनेतर आइटम्स के लिये है। पिछले साल, जो मौजूदा साल है, इसमें इस ग्रान्ट के अन्तर्गत १०५ करोड़ ९१ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें से ५१ करोड़ २३ लाख रुपया रिहन्द डैम के अलैट्स की कीमत है जो १–४–६५ से इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को ट्रांसफर की गई थी। अगर उस कीमत को निकाल दें तो फिर मौजूदा साल में मूल बजट में, ५४ करोड़ ६८ लाख रुपये की व्यवस्था रह जाती है और इस बजट वर्ष में ७६ करोड़ ७० लाख की व्यवस्था की गई। नान-प्लान्स पर जो कर्जे दिये जाते हैं उनमें अपने और से राज्य सरकार अपने रिसोर्सेज से व्यय करती है। वह मुख्यतया कर्जे

की वसूली से होता है। बाकी जो डिसप्लेस्ड परसन्स या गोल्डस्मिथ के पुनर्वासन के लिये कर्ज की व्यवस्था की जाती है उसका वित्तपोषण उस कर्ज से होता है जो केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को मिलता है। इसी तरह से लैण्ड एक्वीजीशन की, डेवलपमेंट की और मिडिल इन्कम-हाउसिंग योजनाओं के लिये जो कर्ज की व्यवस्था होती है उसका वित्तपोषण लाइफ इंश्योरेन्स कारपोरेशन से मिले हुए रुपये से होता है। प्लान के लिये कर्ज की व्यवस्था का वित्त पोषण राज्य सरकार बाजार से कर्जा लेकर, गवर्नमेंट आफ इंडिया के कर्जे से और इसी तरह से स्वतंत्र संस्थाओं से, जैसे नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन आदि से कर्जा लेकर किया जाता है।

अब, जो कर्जा हम देते हैं उसमें जो नान-प्लान के लिये होता है, जैसे तकावी वगैरह के लिये, उसपर सूद करीब करीब उतना ही है जो सूद की दरें बाजार में प्रचलित होती हैं। हां, यह होता है कि सूद की दर तय करने में इसका ध्यान रखा जाता है कि उसमें सरकार का अपना कितना व्यय होता है। इसी तरह से जो रुपया लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन से लेते हैं उस पर सूद की दर वह रखी जाती है जो राज्य सरकार को कारपोरेशन को देनी होती है। यह भी हम देखते हैं कि राज्य सरकार का वितरण में क्या खर्च होता है। लेकिन जो कर्ज सुनारों को पुनर्वासन के लिये दिया जाता है उस में सरकार का अपना मार्जिन नहीं है। पटेल कमेटी ने सिफारिश की है कि जो तकावी में रुपया दिया जाय वह सरकारी समितियों के द्वारा दिया जाना चाहिये और इसके लिये व्यवस्था की जा रही है। १७ जिलों में जो छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये कर्ज देने का काम है वह यू० पी० स्टेट कोआपरेटिव लैण्ड डेवलपमेंट बैंक के सुपुर्द किया गया है, वह इस काम को कर रहा है। बाकी जिलों में जहां कोआपरेटिव्ज के द्वारा व्यवस्था नहीं हो सकती है वहां सरकार ध्यान रखती है कि वह जो सूद की दर मुकर्रर करें वह वही दर हो जिस दर पर कोआपरेटिव का कर्ज दिया जाता है जिससे कोआपरेटिव बैंक डिसएडवान्टेज में न रहें और किसी परेशानी में न पड़ें। यही वजह है कि आपको शिकायत होती है कि खेती के काम लिये जो कर्ज किसानों को दिया जाता है उसके सूद की दर ज्यादा है, उसका कारण यही है। इसी तरह से जो योजनाओं के लिये कर्ज दिया जाता है उसमें आम तौर से सरकार उस दर से आधी दर पर देती है जिस दर पर केन्द्रीय सरकार से या दूसरी संस्थाओं से रुपया मिलता है। केन्द्रीय सरकार जो दर मुकर्रर करती है वह इस बात को देख कर मुकर्रर की जाती है कि कितने दिनों के लिये और किन कामों के लिये कर्जा दिया जाता है और उसी के अनुसार राज्य सरकार भी अपना कार्य करती है। अब जो बिजली बोर्ड को कर्जा दिया गया है उसके बारे में अभी यह तय नहीं हुआ है कि कितने दिन में उसे कर्जा अदा करना है। इसके तय करने का कार्य आगे होगा। अभी उसमें एक दिक्कत है और कर्जे की वापसी में दिक्कत यह हो रही है कि एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट में मूल धन के देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, मूलधन की वापसी की दिक्कत हो रही है और यह मसला अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है और इसमें संशोधन की व्यवस्था भी की जा रही है। इसी तरह से जो कर्जे राज्य सरकार देती है वह रकम भी साल ब साल बढ़ती जाती है और कुछ वसूली में भी कमी रह जाती है और विभिन्न कामों के लिये योजना के अन्तर्गत और बाहर काम की पूर्ति के लिये कर्जा लेना आवश्यक होता ही है। इसलिये वह कर्जे की रकम बराबर बढ़ती जाती है और वह कर्ज का बैलेन्स १९६६-६७ के अन्त में, जो हम संस्थाओं को या दूसरे लोगों को देते हैं ४१९ करोड़ २ लाख रुपया हो जायगा। उसके ब्रेक-अप इस तरह से हैं:—

संस्थायें	धन
(१) जो म्युनिसिपैलिटी और महापालिकाओं को कर्जा दिया गया है उसकी धनराशि है :	रु० २२,३६,३५,०००
(२) डिस्ट्रिक्ट और दूसरी लोकल फंड कमेटीज को जो कर्जा दिया गया है वह हो जायगा :	२,४४,९४,०००

संस्थाएं	धन
	रु०
(३) जो किसानों को कर्जा दिया गया है उसका बैलेन्स हो जायगा ..	४७,१५,६६,०००
(४) इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो कर्जा दिया गया है १९६६-६७ के अन्त तक वह हो जायगा	२,९१,८५,७९,०००
(५) इन्कमबर्ड एस्टेट्स आदि को	११,२१,०००
(६) मिस्लेनियस	५२,८६,००,०००
(७) लोन्स एंड एडवान्सेज टु डिस्प्लेस्ड परसन्स को	१,३६,९७,०००
(८) गवर्नमेंट सरवेन्ट्स को जो कर्जा दिया गया	१,२४,१३,०००

इस तरह से कुल कर्जे का बैलेंस जो राज्य सरकार ने दिया है ४१९ करोड़ २ लाख रुपया रह जाता है। इस धनराशि में से ११८ करोड़, १४ लाख रुपया उन एसेट्स की कीमत है जो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को रिहन्ड डैम ट्रान्सफर करके और आरम्भ में जब इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड कायम हुआ तब दिया गया था। इसको अगर निकाल दें तो जो कर्जा दिया गया है वह केवल ३०० करोड़ ८८ लाख रुपया रह जायगा। यह एसेट्स की कीमत निकाल कर रह जायगा।

अब इस बजट साल की जो मुख्य-मुख्य आइटम्स कर्जे की हैं वे इस प्रकार हैं:—

नान-प्लान में वह धन जो किसानों को खेती के कामों के लिये दिया है .. .. ७०९ लाख रुपया

और

प्लान के अन्दर खेती के लिये किसानों को देने की व्यवस्था है .. १६ करोड़, ५० लाख रुपया।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देने की अगले साल में व्यवस्था ४४ करोड़ २५ लाख रु० की है जो विद्युत की योजनाओं की पूंजी व्यय के लिये है। इसमें से साढ़े ७ लाख रु० उत्तराखंड के लिये और बाकी रुपया प्रदेश के और हिस्सों में विद्युत योजनाओं की पूंजी व्यय के लिये हैं। छोटी छोटी आइटम्स बहुत हैं, ९० लाख रु० डेवलपमेंट आफ स्माल स्केल एंड काटेज इंडस्ट्रीज को कर्जा देने के लिये है। अब इसमें बाकी और आइटम्स हैं जो दिये हुये हैं उनके बताने में काफी समय लगेगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

जमुना हाइडिल के लिये कितना दे रखा है ?

श्री जयराम वर्मा—

यह तो अलग अलग विभागों के लिये है। कोआपरेटिव डेरी मिल्क सप्लाई स्कीम के लिये ६० लाख २४ हजार रु०, लोन्स टू यू० पी० स्टेट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन ४५ लाख रु०, रूरल इन्डस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम, इंटेसिव डेवलपमेंट आफ इन्डस्ट्रीज इन सेलेक्टेड एरियाज के लिये साढ़े १० लाख रु०, लोन्स टू यू० पी० स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन फार हायर परचेज स्कीम १० लाख रु०, इसी तरह से लोन्स अन्डर कोआपरेटिव मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और स्टोरेज स्कीम्स के लिये १४ लाख ४ हजार रु०, लोन्स अन्डर कोआपरेटिव फार्मिंग स्कीम्स के लिये १२ लाख ३८ हजार रु०, लोन्स अन्डर एन० ई० एस० स्कीम के लिये ८६ लाख रु०, अर्बन वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज स्कीम के लिये १२० लाख ७० हजार रु०, नेशनल लोन स्कालरशिप्स स्कीम के लिये ६० लाख रु०, टेक्नीकल एजुकेशन लोन्स स्कीम के लिये ३१ लाख १८ हजार रु०, लोन्स टू स्टूडेन्स आफ मेडिकल कालेजेज १० लाख रु०, लोन्स टू स्टूडेन्ट्स गोइंग एब्राड फार हायर स्टडीज इन साइंस ५० हजार रु०, लोन्स फार लैन्ड एक्वीजीशन एंड डेवलपमेंट के लिये इस बजट साल में साल में कुछ नहीं है, लोन्स फार लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के लिये ३२ लाख रु० । यह सब प्लान में है।

नान-प्लान में लोन्स फार मिडिल क्लास ग्रुप हाउसिंग स्कीम के लिये ३० लाख रु० और इसी तरह से लोन्स टु गोल्ड स्मिथ एफेक्टेड बाई गोल्ड कंट्रोल रूल्स ४० लाख रु०, लोन्स एन्ड एडवान्सेज टु डिसप्लेस्ड परसन्स १ लाख ३९ हजार रु०, हाउस बिल्डिंग एडवान्स ३० लाख रु०, एडवान्स फार परपजेज आफ कनवेयेन्स साढ़े २० लाख रु०, नान प्लान में जैसा मैंने बताया यह ६ करोड़ रु० फर्टिलाइजर तकावी के लिये किसानों को और १ करोड़ साढ़े ८ लाख रु० नार्मल तकावी या दूसरी चीजों की तकावी के लिये है। और इसी तरह से प्लान साइड में १५८ लाख ५ हजार रु० माइनर इर्रीगेशन वर्क्स के लिये है ग्रो मोर फूड स्कीम के अन्तर्गत और ३५ लाख रु० स्वायल कन्जरवेशन के लिये है। यह जो फर्टिलाइजर तकावी के लिये लोन काश्तकारों को दिया जाता है पहले उसका सूद पौने ९ फीसदी था पहली मार्च, १९६६ से वह सवा ९ फीसदी हो गया है क्योंकि कोआपरेटिव बैंक भी उतना ही सूद अब लेता है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

कुल ९१ लाख रुपया कर्ज दिया है और साल भर में आप वसूल करेंगे डेढ़ करोड़ रुपया आपने सेन्ट्रल गवर्नमेंट को क्या सूद दिया है?

श्री जयराम वर्मा—

यह जो स्वायल कंजरवेशन के लिये रुपया रखा गया है वह साढ़े ५ फीसदी पर लोन दिया जाता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

पूंजीपतियों को कितने प्रतिशत सूद पर लोन दिया गया है?

श्री अध्यक्ष—

इसी वक्त वह सब बतला देंगे तो आप क्या बोलेंगे?

श्री जयराम वर्मा—

किसानों को जो कर्जा दिया गया है और उनसे जो किस्त में मिलता रहता है उसमें २,४५,४७,००० रुपया ओवरड्यू हो गया है, इतनी रकम नहीं मिल पाई है। जो दैवी आपत्तियां आईं उनकी वजह से वसूली रोक दी गयी इसलिये यह अब ओवरड्यू हो गया। इसमें सूद का पहले से हिसाब नहीं रखा जाता है, किस्त के साथ ही सूद भी वसूल होता जाता है। स्मालस्केल और काटेज इण्डस्ट्रीज की विकास योजनाओं के अन्तर्गत ऋण की व्यवस्था ९० लाख है। साढ़े ५ फीसदी सूद इस पर परसाल था और वही इस साल रहेगा। स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के लिये ४५ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। जो मौजूदा साल है उसमें सूद की दर है साढ़े ५ फीसदी और वही इस साल रहेगी। सिर्फ रूरल इन्डस्ट्रियल स्कीम के लिये सूद की दर कम है। जो कोआपरेटिव सोसाइटीज को रुपया मिलता है उसके सूद की दर ढाई फीसदी मौजूदा साल में है और जो वैयक्तिक लोगों को दिया जाता है उसका ३ फीसदी है। १९६४–६५ तक कुल कर्जा, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिया गया वह है ७५,८९,०९,३०० रुपये; उत्तराखंड स्कीम के लिये जो कर्जा दिया गया है उसको छोड़ने के बाद और मौजूदा साल १९६५–६६ उसमें उनको ५७,७३,००,००० रुपया देने की व्यवस्था है। इसके अलावा १ अप्रैल, ६५ से रिहन्द डैम और उससे सम्बन्धित जो प्रोजेक्ट्स उनको ट्रान्सफर किये गये हैं उनके एस्टेट्स की कीमत है ५१,५१,८१,७७३ रुपया। रिहन्द और उससे संबंधित जो प्रोजेक्ट्स ट्रान्सफर किये गये हैं उनके असेट्स की कीमत ५१,८१,००,७७३ रुपया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

इसके एस्टीमेशन का क्या तरीका है? यह रुपया मय सूद के है या कैसा है?

श्री जयराम वर्मा--

जितना रुपया उन योजनाओं पर खर्च किया जाता था वही उसकी कीमत है, उतने असेट्स की कीमत मान करके इतना रुपया बतौर कर्जे के उनको ट्रान्सफर हो गया। इस तरह से जब यह संस्था कायम हुई थी तो जो असेट्स दिये गये वह ६६,६१,९५,६६४ रुपये के हैं। अगर असेट्स छोड़ दिये जायं तो कुल कर्जा जो उनको हमने नकद दिया वह है १,३३,६२,०९,३०० रुपया। इसमें से उन्होंने १९६४-६५ तक ९२,९५,९३,६०० रुपया खर्च कर दिया था योजनाओं के ऊपर और १९६५-६६ तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से जो कुल खर्च हो रहा है वह है ६२,२३,००,००० रुपया। तो जितना हमने कर्ज दिया है उससे ज्यादा ये १९६५-६६ अन्त तक खर्च कर सकेंगे। जो फाजिल होगा उसकी व्यवस्था और रिसोर्सेज से कुछ करेंगे। हमने उनको शुरू में इनके बनने पर जो असेट्स ट्रान्सफर किये थे उस पर साढ़े ४ फीसदी के हिसाब से सूद लगाया था और जो कर्ज उनको १९६२-६३ के आखिर तक दिया गया उस पर साढ़े ५ फीसदी के हिसाब से सूद लिया गया। और १९६३-६४, १९६४-६५ और १९६५-६६ में जो कर्ज दिया गया है उस पर साढ़े ६ फीसदी के हिसाब से सूद लिया जायगा। और जो रिहन्द डेम और उससे संबंधित योजनाओं के असेट्स ट्रान्सफर हुये उस पर साढ़े ५ फीसदी के हिसाब से सूद लिया जायगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

जो रुपया दिया गया उसमें से कुछ रिटर्न हुआ ?

श्री जयराम वर्मा--

वह सूद तो देते रहते हैं लेकिन असल की वापसी की कोई व्यवस्था ऐक्ट में नहीं है इसलिये असल नहीं दे रहे हैं ऐक्ट में तरमीम करने की बात सोची जा रही है। उसके बाद असल की वसूली का इन्तजाम होगा। ये खास खास रकमें हैं जिसको ग्रान्ट के अन्दर हमने कर्जा वगैरह देने की व्यवस्था की है।

इन शब्दों के साथ में इस ग्रान्ट को माननीय सदन के सामने उसके विचार और स्वीकृति के लिये प्रस्तुत कर रहा हूं।

*श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५५--ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत मांग की राशि को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के अन्तर्गत शिक्षा, स्वायत्त शासन, कृषि, सहकारिता, उद्योग, सभी विभाग सम्मिलित हो जाते हैं और सबसे अधिक धन हमने विद्युत परिषद् को इस अनुदान के अन्तर्गत दिया है। अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि अब तक ४२९ करोड़ २ लाख रुपया राज्य भर में कर्जे के रूप में वितरित किया गया।

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमन्, इतना रुपया खर्च नहीं किया गया। कर्ज तो काफी रुपया दिया गया। इतना रुपया तो १९६६-६७ के अन्त में बाकी रह जायेगा।

श्री बालोजी अग्रवाल--

जब सरकार किसी कार्य के लिये ऋण सूद पर देती है तो यह आवश्यक है कि सरकार उस पर अपना नियंत्रण रखे और इस बात की देखभाल करे कि जिस कार्य के लिये वह रुपया दिया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है वह उसमें लगाया जाता है या नहीं, सरकार को वसूली समय पर होती है या नहीं। यदि इन बातों पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो एक न एक दिन सरकार का जितना रुपया बांटा गया है वह सारा रुपया डूब जायेगा और सरकार दिवालिया हो जायेगी। जहां तक आडिट रिपोर्ट या अन्य पुस्तकों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि सरकार की वसूली पर और ऋण जो दिया जाता है उसके उपयोग पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण नहीं है।

सबसे पहले मैं उद्योग विभाग के कुछ आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं। लघु और कुटीर उद्योगों के लिये दो प्रकार से ऋण देते हैं। १५ हजार रुपये तक का ऋण तो डायरेक्टर उद्योग विभाग द्वारा दिया जाता है और एक लाख रुपये तक का ऋण वित्त निगम, कानपुर द्वारा दिया जाता है। १९५७-६२ तक कुल दिये गये ऋण २.१८ करोड़ रुपये हैं जिसमें १.८२ करोड़ रुपये के उपयोग के संबंध में जांच की गई तो पता लगा कि यह ऋण २४१९ व्यक्तियों को दिया गया था जिसमें ६९ लाख रुपये से अधिक धनराशि जो जांच की धनराशि की ३८ प्रतिशत है, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ है बल्कि दुरुपयोग हुआ है। अलीगढ़ जिले के कुछ लोगों को ऋण दिया गया था उसकी जांच करने से पता चला वह सदन के सामने रखता हूं। एक व्यक्ति को कृषि उपकरण के लिये १० हजार रुपया दिया गया। उन्होंने उस रुपये को कृषि उपकरण में न लगा कर अन्य व्यापार में लगा दिया। दस हजार रुपया एक अन्य व्यक्ति को तारकोल के लिये दिया गया जिसको उन्होंने व्याज पर लगा दिया। अभी सदन के सामने बताया गया है कि व्याज की दर जो ऋण उद्योग के लिये दिया जाता है वह ५ प्रतिशत है जबकि बाजार में सूद बहुत अधिक मिलता है। बिजली के सामान बनाने के लिये ७ हजार रुपये का ऋण दिया गया वह तांबे के काम में लगा दिया गया। इसी तरह से बिजली की मोटर के लिये ९ हजार रुपया दिया गया और १० हजार रुपया कांच के सांचे के लिये दिया गया। इन रुपयों को घर के काम में लगा दिया गया। यह उद्योग में ही नहीं बल्कि भिन्न भिन्न विभागों द्वारा ऋण दिया जाता है। उसका दुरुपयोग करते हैं और व्याज पर उठाते हैं और घर के काम में लाते हैं।

पूंजीपतियों को जो ऋण दिया जाता है उसका रिटर्न न सरकार को मिलता है और न व्याज तथा किस्त ही मिलती है। इसके संबंध में मैं कुछ आंकड़े सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। विभूति ग्लास फैक्टरी, रामनगर, बनारस को ११ लाख रुपया सरकार ने कर्ज दिया। इस फैक्टरी को २० लाख रुपया केन्द्रीय सरकार ने ऋण का दिया था। राज्य सरकार को न सूद दिया गया, न किस्तें दी गयीं और सरकार को मजबूरन इस कम्पनी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और जो शर्तें अब हुई हैं उनके अनुसार अब जो मुनाफा होगा उसमें से पहले के द्वोय सरकार का २० लाख रुपया है वह अदा किया जायगा। उसके पश्चात्, जो फिर मुनाफा होगा उसमें से उसको आधा दिया जायगा कम्पनी को और आधे में किस्तें वसूल की जायंगी। सरकार उससे रुपया वसूल नहीं कर पायेगी। सर्वश्री मास प्रोडक्शन, लखनऊ को १ लाख ५० हजार रुपया दिया गया और बार बार किस्तों का समय हो जाने पर उन्हें बार बार सुविधा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त जे० के० काटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, कानपुर को ९० लाख रुपया ऋण का दिया गया और अभी उन पर ३५ लाख रुपया बकाया है। न ऋण का व्याज देते हैं और न किस्तें। न्यू सेंट्रल जूट मिल लिमिटेड, कलकत्ता, इनकी साहूपुर, वाराणसी में फैक्टरी है। इनको १४९ लाख रुपया दिया गया कर्जे का। न सूद देते हैं न किस्तें देते हैं। इन्होंने रद्दी खाद बनायी और सरकार को दे दिया। कहते हैं कि इस खाद से हमारी किस्तें वसूल की जायं। उस खाद को सरकार किसानों को देती है और कहती है कि उत्पादन बढ़ाओ। श्री लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, कानपुर को ५० लाख रुपया दिया गया। इस प्रकार से करोड़ों रुपया इन उद्योगपतियों को दिया गया है चूंकि सरकार उद्योगपतियों से समय समय पर चन्दे के लिये रुपया वसूल करती है इसलिये सख्ती नहीं कर

[श्री बालोजी अग्रवाल]

पाती है और रुपया नहीं वसूल कर पाती। किसानों को जो रुपया दिया जाता है यदि वह रुपये को समय पर न दें तो उनकी कुर्की निकाल दी जाती है और उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन पूंजीपतियों के साथ सरकार रियायत करती है। उसी रुपये से, पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था, भ्रष्टाचार बढ़ाया जाता है। पूंजीपतियों द्वारा वोटों को खरीदा जाता है। आज श्री रामगोपाल राज्य सभा के लिये रुपया देते हैं।

(व्यवधान)

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

इन पूंजीपतियों से पैसा नहीं आता तो कहां से आता है ?

(व्यवधान)

(इस समय १२ बजकर ४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजोत यादव पीठासीन हुए।)

श्री बालोजी अग्रवाल—

मान्यवर, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि सब माननीय सदस्यों को प्रसन्नता हुई, केवल माननीय बलवानसिंह को इस बात से ठेस लगी। इसका अर्थ मेरी समझ में नहीं आता।

श्री बलवानसिंह—

यह इसलिये कि यह सब लेते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने नहीं लिया है।

श्री बालोजी अग्रवाल—

एक पुरानी कहावत है कि पानी वहीं भरता है जहां गड्ढा होता है। बुद्धिमान के लिये इतना इशारा काफी है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बलवानसिंह यह गलत बात है। आप बैठे हुए बात कर रहे हैं। देखिये नियम यह है कि यदि आप कुछ हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो माननीय सदस्य के बोलने के बीच में न करें, जब वे बैठ जाएं तब करें और इस तरह से बैठे बैठे बीच में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

श्री बालोजी अग्रवाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वित्त निगम को ऋण देने के लिये सरकार द्वारा जो धन दिया जाता है, वह आवश्यकता से बहुत अधिक होता है। फलस्वरूप निगम के पास लाखों रुपये का धन बिना उपयोग में आए पड़ा रह जाता है। मान्यवर, इसके आंकड़े मेरे पास हैं—सन् ५६-५७ में निगम को ६५ लाख रु० ऋण दिया गया, जिसमें से ६० लाख बाकी पड़ा रहा। ५७-५८ में ६५ लाख में से ४७ लाख अनुपयोगी पड़ा रहा। ५८-५९ में ६५ लाख में से ३४ लाख पडा रहा। ५९-६० में ७५ लाख में से ३२ लाख पड़ा रहा। ६०-६१ में १०० लाख में से ३७ लाख पड़ा रहा। ६१-६२ में १६९ लाख में से ९१ लाख पड़ा रहा। ६२-६३ में ७८ लाख बिना प्रयोग हुये पड़ा रहा और ६३-६४ में ३८ लाख रुपया पड़ा रह गया। हम वित्त निगम को उद्योग के लिये ऋण हेतु बांटने के लिये जो रुपया देते हैं, उसमें आधे से अधिक बांटने के लिये पड़ा रहता है। इसका मतलब यह है कि जो लोग उद्योग में रुपया लगाना चाहते हैं, निगम उनको नहीं देता है।

दूसरा ऋण जो सरकार की ओर से प्राविधिक शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा के लिये दिया जाता है, उसके संबंध में मैं सदन को कुछ जानकारी देना चाहता हूं। ५०-५१ से ६३-६४ के दौरान में प्राविधिक शिक्षा विभाग ने भारत और विदेशों में प्राविधिक शिक्षा और तकनीकी

और वैज्ञानिक शिक्षा के लिये ३८८१ छात्रों को ६० लाख ५८ हजार रुपये का ऋण दिया है। इस योजना का मतलब यह है कि कम से कम सूद पर-एक परसेन्ट सूद पर निर्धन और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विशेष योग्यता के लिये, विदेशों में प्राविधिक शिक्षा की प्राप्ति के लिये संबंधित व्यय के लिये ऋण मिल सके और जब उनका अध्ययन समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद ७ किस्तों में ऋण की वसूलयाबी की जाती है। जो निर्धारित समयावधि में नहीं देते हैं, उनसे ४ प्रतिशत के ब्याज के दर के साथ ऋण की वसूली की जाती है।

मान्यवर, मुझे यह कहते हुये दुःख होता है कि इस संबंध में शिक्षा विभाग का ध्यान बिलकुल नहीं है, शिक्षा विभाग को इस बात की जानकारी नहीं है कि कितने लोगों ने अध्ययन समाप्त किया। क्योंकि ऋण प्राप्त करने वालों के लिये एक शर्त यह भी रहती है कि जो इस योजना के अन्तर्गत ऋण लेंगे उनको अध्ययन समाप्त होने के बाद यदि सरकार बुलाएगी तो उन्हें ३ साल तक सरकार की सेवा अनिवार्य रूप से करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, आप देखें मई, ६४ में १४ लाख ३ हजार रुपये का ऋण इस योजना के अन्तर्गत देय हो गया, जिसमें से केवल ५ लाख ८३ हजार रुपये वसूलयाबी हुई और ८ लाख २० हजार रुपये का लोन बकाया है, जिस पर ७५ हजार रुपया ब्याज का और हो जाता है। विभाग से पूछने पर मालूम हुआ कि मई, ६३ तक १,८०५ छात्रों ने अध्ययन समाप्त कर लिया है, लेकिन विभाग को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनको राजकीय सेवा के लिये बुलाया गया या नहीं ? उन्हें कोई उपयुक्त रोजगार मिला या नहीं ? एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमें टेक्निकल हैन्ड नहीं मिलते हैं, वैज्ञानिकों की कमी है और इसी के लिये वह ऋण भी देती है, लेकिन उन्हें वह अपनी सेवा के लिये नहीं बुलाती है, क्योंकि उनको इसका सही ज्ञान ही नहीं रहता है।

मान्यवर, विद्युत् परिषद् पर कुछ कहने के पूर्व मैं दो विभागों की और जानकारी सदन को कराना चाहता हूं। दुग्ध सहकारी समिति लिमिटेड को ७५ लाख रुपया इस वर्ष के बजट में सरकार ने ऋण के रूप में देने के लिये रखा है। उसका क्या नक्शा है यह मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। दिल्ली दुग्ध वितरण की योजना को बढ़ाने हेतु दूध देने वाले पशुओं को खरीदने के लिये सहकारी समितियों को ६१-६२ से ६३-६४ के दौरान ४५.८० लाख रुपया दिया गया। योजना यह थी कि इस रुपये से १३ हजार पशु खरीदे जायंगे और उनसे १,३०० मन रोजाना दूध की बढ़ोतरी होगी, लेकिन मान्यवर, ६१-६२ और ६३-६४ के दौरान ९,३७२ पशु खरीदे गये जिनसे १ हजार मन प्रति दिन दूध में बढ़ोतरी होनी चाहिये, लेकिन सदन को सुनकर आश्चर्य होगा कि १ हजार मन दूध के मुकाबले में केवल २७० मन दूध की प्रति दिन में बढ़ोतरी हुई। यह जितना रुपया खर्च किया गया वह सब बेकार हो गया।

पय परिषद् लिमिटेड, कानपुर को ९० लाख रुपया हमने ऋण के रूप में दिया और उसका पय परिषद् ने २० समितियों को ऋण का भुगतान फर्जी दिखा दिया। उन समितियों के खाते में फर्जी उनको जमा प्राप्ति दिखा दी। इस प्रकार से वह रुपया फर्जी रूप में वितरित कर दिया गया। इस प्रकार से दुग्ध सहकारी समितियों पर ६४ तक इन तीनों देय की वसूली २.८७ लाख बकाया थी।

अब मैं मान्यवर, जिस परिषद् को सबसे अधिक ऋण दिया गया है अब मैं उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। विद्युत् परिषद् को हमने २४९ करोड़ रुपया अभी तक दिया है। इस विद्युत् परिषद् की स्थापना १ अप्रैल, १९५९ को की गई और १ अप्रैल, १९६५ को रिहन्ड डैम योजना भी इसी विद्युत् परिषद् को सौंप दी गई। इस प्रकार से विद्युत् का कार्य करने वाली एक मेन संस्था उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत् परिषद् है। यह आश्चर्य की बात है कि ६ साल पूरे हो जाने के पश्चात् भी अभी तक विद्युत् परिषद् के साथ ब्याज की दर निश्चित नहीं की गई। राज्य सरकार ने १९६२-६३ के अन्त तक विद्युत् परिषद् को जो ऋण दिया उस पर सरकार ४॥

[श्री बालोजी अग्रवाल]

प्रतिशत की दर से व्याज लेती है और उसके बाद के ऋणों पर ५।। प्रतिशत की दर से व्याज वसूल करती है। मैं सरकार से इस बात का आग्रह करूंगा कि वह शीघ्र से शीघ्र कर्जे की शर्तें और व्याज की दर विद्युत् परिषद् के साथ निश्चित करे जिससे उनकी वसूली हो सके। विद्युत् परिषद् का जब निर्माण किया गया था तो उसका उद्देश्य स्पष्ट करते हुये यह बतलाया था कि परिषद् के लिये यह आवश्यक है कि वह राज्य के भीतर कुशलता के साथ और मितव्ययिता के साथ विद्युत् का प्रजनन और उसका वितरण करे। मैं यहां पर इन दो शब्दों पर सदन का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं। वे शब्द ये थे कि मितव्ययिता के साथ और कुशलता के साथ विद्युत् परिषद् विद्युत का वितरण करेगी। मान्यवर, विद्युत् की जो दरें हैं वे हमारे सूबे में देश में सबसे अधिक हैं। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। केरल में ६ पैसे प्रति यूनिट, मद्रास में ७ नये पैसे प्रति यूनिट, आंध्र में ८ पैसे प्रति यूनिट, उड़ीसा में ८ से लेकर ९ पैसे प्रति यूनिट, पंजाब में ७ लेकर ९ पैसे प्रति यूनिट, मध्य प्रदेश में ९ पैसे प्रति यूनिट और उत्तर प्रदेश में १२ से लेकर २५ पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर है और यह भी किसानों पर इससे भी अधिक है। किसानों से ३७ पैसे प्रति यूनिट की दर से चार्ज किया जाता है। सदन को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि जहां हम किसानों से ३७ पैसे प्रति यूनिट की दर से वसूलयाबी करते हैं वहां कुछ उद्योगों को और वह भी पूंजीपतियों को हम रियायत देते हैं। मिर्जापुर में जो बिड़ला की अलुमिनियम फैक्टरी है उसको २ पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से यानी लागत से भी कम पर बिजली देते हैं। आप देखेंगे कि गवर्नमेन्ट की जो चुर्क की सीमेंट फैक्टरी है उसको अभी तक ५ नये पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देते थे और बोर्ड ने चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी को नोटिस दिया है कि मऊ थर्मल पावर स्टेशन से आपको बिजली लेनी पड़ेगी और उसके कारण आपको ५ पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से तो बिजली की कीमत देनी ही पड़ेगी, इसके अलावा ५० रूपये मासिक और आपको इसके अतिरिक्त देना पड़ेगा, नहीं तो बिजली काट दी जायगी। इस तरह से सदन स्वयं देखें कि यह सरकार स्वतंत्रता और समानता की नीति के नाम पर पूंजीपतियों का ही पोषण करती है।

इसके अतिरिक्त मैं विद्युत् परिषद् की बात और आपसे कह दूं। विद्युत् परिषद् के गठन के संबंध में मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। विद्युत् परिषद् जब बनायी गयी थी, सन् १९६० तक हमारे राज्य भर में ३ लाख ७८ हजार किलोवाट बिजली पैदा होती थी, हाइड ल से, थर्मल से और डीजल से। हाइडल से जो बिजली पैदा होती है वह २५ प्रतिशत है, थर्मल से ६६ प्रतिशत और डीजल से ९ प्रतिशत। भारत के मुकाबले में ३९.५ प्रतिशत हाइडल से पैदा की जाती है, ५२.९ प्रतिशत थर्मल से और ७.६ प्रतिशत डीजल से। अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहां बड़ी-बड़ी नदियां हैं, पहाड़ी इलाके हैं और यदि हम हाइडल से बिजली पैदा करें तो उस पर कम लागत आयेगी और वह सस्ती मिलेगी। लेकिन विद्युत् परिषद् की योजना जो चौथी पंचवर्षीय योजना की है उसमें २० लाख किलोवाट अतिरिक्त बिजली पैदा की जायगी और उसमें थर्मल से अधिक बिजली पैदा की जायेगी और हाइडल से कम की जायगी। विद्युत् परिषद् को यह बात देखनी चाहिये कि अधिक बिजली हाइडल से पैदा की जाय और इसके पैदा करने का जो स्रोत हमारे अपने राज्य में हैं उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाय। विद्युत्-परिषद् एक आटोनामस बाडी है। इस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण नहीं है। यह नगर महापालिका या टाउन एरिया की तरह से ही है। लेकिन इन सबसे अधिक स्वतंत्र यह विद्युत् परिषद् है। उस प्रकार की संस्थाओं पर किसी न किसी, रूप में विधान मंडल का नियंत्रण रहता है, लेकिन विद्युत् परिषद् तो पूर्ण रूप से तानाशाह है। अभी तक विद्युत् परिषद् का जो अध्यक्ष होता था वह विद्युत् विभाग का सचिव होता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो विद्युत् परिषद् का मुख्य अभियन्ता है वही चेयरमैन है विद्युत् परिषद् का और पिछली बार जब यह अनुदान पेश किया गया था तो उस समय विरोधी दल तथा सरकारी दल के सभी सदस्यों ने विद्युत् मंत्री को बधाई दी थी कि उन की देखरेख में विद्युत् का काम सुचारु रूप से चल रहा है और माननीय सदस्यों को बिजली दिलवाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं

होती। लेकिन जबसे विभाग के सचिव माननीय सरकार साहब हुए हैं और विद्युत् परिषद् के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण देव हुए हैं तब से इस विभाग का ढांचा बदल गया है। सरकार साहब न मंत्रियों की परवाह करते हैं और न मंत्रि-परिषद् की। अधिष्ठाता महोदय, आपको ज्ञात होगा कि जब यह प्रश्न इस सदन में उठाया गया तो उस समय माननीय गिरधारी लाल जी ने टालमटोल की थी। विद्युत् परिषद् ने मध्य प्रदेश को बिजली देने का निश्चय किया है और उस में मंत्रिमंडल की कोई राय नहीं ली। मध्य प्रदेश से जो समझौता हुआ है रिहन्द बांध से उनको बिजली देने के बारे में, उसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया है। लेकिन इस में भी मंत्रि परिषद् की कोई राय नहीं ली गयी। मुझ को जहां तक ज्ञात हुआ है, माननीय शान्तिप्रपन्न जी ने इस बात को कह दिया है कि जब तक यह सचिव रहेंगे मैं इस विभाग का कोई कार्य नहीं करूंगा और आप को ज्ञात होगा कि उन्होंने जिस बात को स्वीकृति दे दी, जिस ट्यूब-वेल को बिजली देने के लिये हमारी सुचेता जी ने स्वीकृति दे दी, उसको भी उस सचिव ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। क्या इसी प्रकार से सरकार चलेगी और क्या इसी प्रकार से सरकार के अधिकारियों पर सरकार का नियंत्रण रह सकेगा ?

अध्यक्ष महोदय, विद्युत् परिषद् के जो चेयरमैन हैं वह कहते हैं कि इस विभाग में न मंत्रियों की चलेगी, न मंत्रिपरिषद् की। यहां वह होगा जो हम चाहेंगे और जब से वह परिषद् के अध्यक्ष हुए हैं, जब से लक्ष्मणदेव जी अध्यक्ष हुए हैं, मंत्री जी इस बात को सदन में बतलायें कि उस समय से कितने लाख रुपया रेलवे को डैमरेज का दिया गया। माल रेल में पड़ा रहता है, उस को छुड़ाया नहीं जाता। मुझे जहां तक जानकारी है, १ लाख रुपया रेलवे को दिया जा चुका है।

अधिष्ठाता महोदय, हमारी विद्युत् परिषद् की साख इतनी गिर गयी है, चूंकि समय पर रुपया नहीं दिया जाता कि चेम्बर आफ कामर्स लिमिटेड, कलकत्ता, ने इस बात का प्रस्ताव पारित कर के निश्चय किया है कि उत्तर प्रदेश को विद्युत् परिषद् को कोई भी माल उधार नहीं दिया जायगा। जो पेट्रोल के पम्प हैं वे विद्युत् परिषद् की गाड़ियों को उधार पेट्रोल नहीं देते। कुछ समय पहले विद्युत् परिषद् की एक गाड़ी गाजियाबाद में पेट्रोल लेने के लिये खड़ी रही, लेकिन उन्होंने पेट्रोल नहीं दिया क्योंकि उनको समय से रुपया नहीं मिलता है। यह आपके विद्युत् परिषद् की साख है जिसको कि हम अरबों रुपया किसान और मजदूरों की गाढ़ी कमाई का कर के रूप में उनकी खून की कमाई का—वसूल करके देते हैं कि उसको उधार पेट्रोल भी नहीं मिलता है। श्री लक्ष्मणदेव जब से अध्यक्ष हुए हैं परिषद् का एक नया नियम जारी हुआ है। अभी तक यह था कि भिन्न-भिन्न जो डिवीजन थे, सब-डिवीजन थे वहां से ठेकों का पेमेन्ट हो जाता था। लेकिन उन्होंने यह किया है कि सारा भुगतान लखनऊ के हेड आफिस में होगा। अगर कोई ठेकेदार देहरादून में रहता है तो पेमेंट लेने लखनऊ आयेगा। अगर एतराज हो हिसाब में तो बार-बार इतनी दूर जाना पड़ेगा। इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि ठेकेदार जो यहां पर भुगतान लेने के लिये आते हैं उनसे कमीशन वसूल किया जाता है और उसमें उन अध्यक्ष का भी हिस्सा है। इसलिये यह जो सेंट्रलाइजेशन किया गया है भुगतान के संबंध में उसको रोका जाना चाहिये।

इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय ने इकोनामी के नाम पर एक पद तो कर दिया सचिव का और अध्यक्ष का, हालांकि उसमें कोई मितव्ययिता नहीं हुई, लेकिन साथ ही उन्होंने ६ शायद मुख्य अभियन्ता रख लिये हैं। उनके ऊपर खर्चा बढ़ा दिया है और कोई काय नहीं दिया गया है। वह केवल पोस्ट—आफिस का काम करते हैं, चिट्ठियों को इधर—उधर करते हैं और बेकार बैठे रहते हैं—यह उन्होंने खर्चा बढ़ाया है। जब से ये अध्यक्ष हुए हैं तब से विभाग में कितनी दलबन्दी पैदा हो गयी है कि कोई भी कार्य विभाग सुचारुरूप से नहीं चलाता। तीन सौ अधिकारियों का तबादला एक महीने के अन्दर कर दिया गया—इधर से उधर और उधर से इधर और अपने लोगों को लखनऊ में बुलाकर इकट्ठा किया जा रहा है।

[श्री बालोजी अग्रवाल]

अधिष्ठाता महोदय, यूं तो हमारे राज्य में लोग इंजीनियरों की नौकरी के लिये इधर-उधर मारे-मारे घूमते हैं और वहां रेलवे बोर्ड से डेपुटेशन पर कर्मचारी बुलाये जाते हैं। २५ फीसदी अधिक वेतन डेपुटेशन पर आने वाले को नियमानुसार देना पड़ता है, लेकिन फिर भी रेलवे से जो उनके पक्ष के लोग हैं उनको बुलाया जाता है। हरदुआगंज और रिहंद बिजली के केन्द्र को मिलाने का टार्गेट दिसम्बर, १९६५ रखा गया था, लेकिन वह अभी तक पूरा नहीं किया गया है और उसमें जो हमारे अध्यक्ष हैं उनकी इनएफिशियेंसी और लापरवाही मुख्य कारण है। मुरादाबाद का गैस टरबाइन मई से बन्द पड़ा हुआ है। एक छोटे से पुरजे की आवश्यकता है, उसके लिये अमेरिका से विशेषज्ञ बुलाये जा रहे हैं, ठीक करने के लिये और वह आ रहे हैं।

अधिष्ठाता महोदय, उद्योगों की बढ़ोत्तरी के सिलसिले में हमें उद्योगों को अपने राज्य में बहुत पनपाने की जरूरत है। अब हमको केन्द्रीय सरकार के उद्योग मिल रहे हैं और राज्य सरकार भी बड़े-बड़े उद्योग लगाना चाहती है, लेकिन उद्योगों के संबंध में सरकार की और विद्युत् परिषद् दोनों की बड़ी उदासीनता और उपेक्षा की नीति है।

मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में जो बड़े-बड़े पूंजीपति अपना उद्योग लगाना चाहते हैं उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। एक उद्योगपति गाजियाबाद में सन-माइका का उद्योग लगाना चाहते थे। यह उद्योग केवल बम्बई में ही हैं। उन्होंने विद्युत् परिषद् से १५० किलोवाट बिजली की मांग की थी मगर वह उनको नहीं दी गयी। नतीजा यह हुआ कि वह उद्योग हमारे यहां नहीं लग सका। इसी प्रकार से और उद्योगों के साथ भी सरकार और विद्युत परिषद् द्वारा उपेक्षा की नीति बरती जाती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह विद्युत् परिषद् को अपने नियन्त्रण में रखे। विधान सभा का उस पर अंकुश हो। आप ज्यादा से ज्यादा बिजली किसानों को उनके नलकूपों के लिये तथा कृषि के कामों के लिये दें और वह सब्सीडाइज्ड रेट पर दी जाय। छोटे-छोटे ग्रामीण उद्योगों के लिये भी सब्सीडाइज्ड रेट पर आप बिजली दें। विद्युत् परिषद् अगर रियायती दर पर बिजली देने में असमर्थ है तो सरकार को सब्सीडाइज्ड रेट पर उसे देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव सदन के समक्ष पेश करता हूं।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह वह बजट है जो विभिन्न तरीकों से सरकार के काम आता हैं। जब भी सरकार घाटे का बजट पेश करती है इसी बजट से घाटा पूरा किया जाता है और इसी बजट से सरकार अपने चहीतों की रक्षा करती है। यही वह बजट है जिसके कारण सरकार की समस्त आर्थिक योजनायें रसातल में चली जायेंगी। आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने अपनी वित्तपोषित योजनाओं को कर्जा लेकर आगे बढ़ाया है और यह विद्युत् परिषद् भी उनमें से एक है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक ७६६ करोड़ के लगभग ऋण हो जायेगा। आप देखें कि यह सरकार ऋण लेकर क्या करती है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर --

अधिष्ठाता महोदय, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान जिन तीन ऋणों पर मुख्यतः बल दिया, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उन्हीं पर बल देना चाहता हूं। एक तो उन्होंने कृषि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऋण पर बल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहिले भी यह विधान सभा में कहा जा चुका है कि जब आप यह अनुभव करते हैं कि कृषि को पूंजी का अभाव है तब आप कृषि में ऋण को क्यों नहीं देते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार ने ६४–६५ में जो संवितरण किया कृषि ऋणों का वह ९ करोड़ ११ लाख था। उसी वर्ष में जो कृषि को ऋण से प्राप्तियां हुईं वे ११ करोड़ रुपये थीं। इसके मानी जितना दिया उससे दो करोड़ उसमें से निकाल दिया। ६५–६६ में इन्होंने ६ करोड़ ४५ लाख रुपया ऋण के रूप में दिया और ९ करोड़ ४० लाख रुपया इन्होंने प्राप्तियों में दिखाया कृषि पूंजी का। यह बात मैं केवल इसलिये बता रहा हूं कि इस वर्ष भी इन्होंने सात करोड़ कुछ रुपया दिया है जब कि ये लगभग ११–१२ करोड़ रुपये उसमें से निकाल लेना चाहते हैं। जब दूसरी ओर जहां हमारे ऋण के विभाग हैं वहां निरन्तर पूंजी में बढ़ोत्तरी होती जा रही है। उद्योग में जो कर्जा था वह ४९ लाख रुपया देते थे, उसके स्थान पर तो करोड़ों हैं और जहां कृषि को अधिक देते थे वहां कम कर दिया है। उसका बहाना यह लिया कि क्योंकि हम सहकारिता के द्वारा पूंजी का काम कर रहे हैं इसलिये हमने सूद की दरें बढ़ा दी हैं और इसलिये कर्जे की दर कम कर दी गई है।

श्रीमान, आज व्याप्त भ्रष्टाचार का जिक्र करने का अवसर नहीं है जिसमें सहकारिता विभाग जकड़ा हुआ है इसलिये मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि कृषि में लगे हुए लोगों की ऋण की मांगों को पूरा करें। सहकारिता विभाग द्वारा सहायता कुछ सम्बन्धित ग्रामों तक ही पहुंच सकती है और उसके अन्तर्गत वह गरीब काश्तकार जिसके पास कोई सिक्योरिटी देने को नहीं, जिनके पास बन्धक रखने को नहीं, उतना पैसा नहीं खर्च कर सकता कि वह कोआपरेटिव बैंक तक जाय ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि इस ग्रान्ट को बढ़ाने की कृपा करें।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। दूसरे जो ग्रान्ट हैं वे उद्योग के हैं। मैं उद्योग के विषय में दो चार बातें यहां कहना चाहता हूं। आज हमारी सरकार प्रमुख रूप से सहकारी उद्योगों को बढ़ावा दे रही है और कुछ पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। तथा किस प्रकार सहायता दे रही है उसकी दो मिसाल मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक तो कानपुर में जो यूपिका है उसने तीस लाख रुपया केन्द्र का खा लिया है और हमारा ८५ लाख रुपया जो इन्वैस्टेड है वह खा लिया है। वहां न बैलेन्सशीट है और न कोई एकाउन्ट है। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सदस्य रहने का सौभाग्य मिला। कं आपरेटिस को वह विभाग फेडरेशन जिसको हिसाब के लिये बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि हम स्वायत्त संस्थायें है, हम अपना अकाउन्ट्स नहीं दिखायेंगे। सरकार जहां ऋण देती है उस का हम हिसाब नहीं ले सकते यह हालत है। आज जिस उद्योग का, इटावा स्पिनिंग मिल का नाम ले रहे हैं उसको दो तरह से फायदा है। एक पूंजीपति हैं साहू जैन, उन्होंने सरकार का रुपया नहीं दिया डेढ़ करोड़। उनके पास सरप्लस मेटीरियल अमोनियम क्लोराइड था उसको सरकार ने खरीद लिया १५ लाख रुपए में। इसी प्रकार एक लक्ष्मीरतन जी हैं। उन्होंने माननीय मुख्य मन्त्री से ही मिलने से इन्कार कर दिया। अब वे ११ लाख रुपया स्पिनिंग मिल इटावा को उधार दे देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार जिन लोगों से रुपया ले सकती है उनसे भी नहीं लेती है। हमें क्या जरूरत पड़ी है कि किसी का बेकार सामान खरीदते फिरें।

अब छोटे लोन्स को लीजिए। उनमें भी ८० प्रतिशत अनुपयुक्त सिद्ध हुए हैं। पिछले साल ही पी० ए० सी० ने २९ करोड़ रुपया अनुपयुक्त सिद्ध किया। सरकारी उद्योग तो आपके घाटे में चल ही रहे हैं। इसके अलावा करोड़ों रुपए की आपने सिक्यूरिटी ले रखी है चाहे तो वह विद्युत् परिषद् हो या विभूतिनारायण ग्लास वर्क्स हो, चाहे सहकारी मिलें हों, उनके भी आप करोड़ों रुपए के देनदार हैं। लेकिन इन्होंने न आपको अपने खाते ही बताए, न बजट ही बताया और न खर्चा ही बताया। और ताज्जुब की बात यह है कि इनके अध्यक्ष भी हमारे सरकारी कर्मचारी ही हैं! एक पद से तो आपके सरकारी कर्मचारी पूछते हैं और दूसरे पद

[श्री टक्केश्वरप्रसाद]

से मना कर देते हैं। ऐसा हिसाब-किताब है जैसी कि एक कहावत है--'चोट्टी कुतिया जलेबियों की रखवाली।' जब तक सरकार सख्ती से उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लेगी जो निजी संस्थाओं में हैं, जब तक उनको बैड इन्ट्री नहीं दी जायगी तब तक आप उनसे कोई आशा कर नहीं सकते। उसका नतीजा यह हो रहा है कि आपका रुपया जिन-जिन इकाइयों में लगा हुआ है, वे सब घाटे में चल रही हैं।

अगर आप बजट देखें तो उसमें ७५-८० करोड़ रुपया इसलिए रखा हुआ है कि आप उसका केन्द्र से गल्ला खरीदेंगे और लोगों को बेच देंगे। इसमें किसी प्रकार के लाभ की क्या आशा हो सकती है? लगभग २० करोड़ रुपए का हम सामान बेचेंगे लेकिन उस रुपए का उपयोग क्या होने वाला है? इसके अलावा एक-तिहाई बजट का भाग वेतनों में चला जायगा। शेष भाग बचा जो चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में खर्च किया जायगा। इसमें ४०-४२ करोड़ रुपया होगा जिसको हम कह सकते हैं कि वह उपयोगी रूप से खर्च होगा। आपने जो बहुत से टैक्सेज लगाये हैं, लगान टैक्स, पेशा टैक्स, भूमि-भवन-कर, इन सबसे जो आय होने वाली वह आप इसमें खर्च कर रहे हैं। माननीय मन्त्री जी ने बताया कि २९१ करोड़ रुपया विद्युत् परिषद् पर अभी तक है। अब उसकी तरफ जाइये। हम ने इस विद्युत् परिषद को ५९-६० में आरम्भ में ६६ करोड़ रुपया दिया और उसका हाल यह है कि आज तक कोई मूल्यांकन नहीं हुआ है परिषद् की ओर से और वह यह भी नहीं कहते कि वह माल जो उनको दिया गया है वह इतने का है भी या नहीं। मैं चुनौती देता हूं कि वह बतायें कि ६६ करोड़ का क्या माल विद्युत् परिषद् के पास आज है, सरकार ने उस को क्या दिया है और दूसरी बात यह है कि इस सरकार ने सबवर्जन का रुपया साढ़े ६ प्रतिशत सूद पर सिक्यूरिटी दिया और एल० आई० सी० से रुपया लेने जा रहे हैं और साढ़े ४ प्रतिशत के सूद पर करोड़ों रुपया निजी बैंक में दिया गया है। अधिकारियों को इतनी फेवर करने की क्या जरूरत है? जब इतना अधिक सूद देना पड़ता है तो साढ़े ४ प्रतिशत निजी खातों में जमा करने की क्या जरूरत है, उसका हिसाब कभी नहीं आ सकता। बैंक में पर्सनल लेजर अकाउन्ट अधिकारियों का है, जब चाहे वह डाला निकाला करते हैं और उससे ही आज ३ लाख का घाटा हो रहा है। दूसरा बिजली परिषद् का कमाल यह है कि वह ठेके के रूप में सिंचाई विभाग को काम देती है, १६ करोड़ रुपए का अभी पिछले साल दिया है और ५० करोड़ पहले दिया है और हमारी राजस्व प्राप्तियों में उसका कोई जिक्र नहीं है और न उसका विद्युत् परिषद् के पास ही कोई हिसाब है, सिंचाई विभाग लिख देता है कि १६ करोड़ का काम कर दिया, उसकी कोई डिटेल नहीं है, कोई टेंडर भी नहीं है। अन्य स्टेट्स की सरकारें व्यापार करती हैं और दूसरे प्रदेशों में जाकर काम वह करते हैं। अभी जब मैं जमुना जल विद्युत् योजना को देखने गया था तो मैंने देखा कि वहां पर आंध्र के लोगों ने इस प्रदेश में खम्भों के बनाने का ठेका लिया है और वहां के कर्मचारी और अधिकारी इस तरह से लाखों रुपया कमा कर अपनी सूबे की सरकार को देते हैं। और यहां हालत यह है कि ६६ करोड़ रुपया व्यय करने के बाद उसका कोई हिसाब नहीं, न सरकारी कर्मचारियों के रूप में हिसाब है और न विद्युत् परिषद् के रूप में है। न कोई आडिट हुआ है और न कोई जांच ही हुई है।

तीसरे यह वायदा था कि साढ़े ४ प्रतिशत का सूद मिलेगा क्योंकि बाजार से साढ़े ६ प्रतिशत पर रुपया लिया गया था, उन्होंने वायदा किया था कि मुनाफे में से साढ़े ४ प्रतिशत सूद दिया जायगा आधे में और ५० प्रतिशत सरकार में आएगा। इस तरह से बाजार का हम कहां से देंगे और कहां से पैसा आएगा? भूमि यू० पी० की बढ़ नहीं सकती, उपभोक्ता की हैसियत बढ़ने वाली नहीं है तो फिर एक ही रास्ता है कि बाजार से और उधार लेकर जिनका कर्ज देना है उन्हें दें। अब विद्युत् परिषद् का हाल यह है कि पिछले दो तीन साल में १ करोड़ १८ लाख, और दूसरे साल २९ लाख, २४ लाख और अन्तिम वर्ष में यानी ६३-६४ में एक लाख का मुनाफा दिखाया है और फिर जमा-खर्च बराबर कर दिया। अब मुनाफे का कोई सवाल नहीं है और यह तो सरकार के कर्मचारी हैं, उन्होंने तो घाटे का ही बजट बनाना सीखा है। इस साल भी १ करोड़

१८ लाख का घाटा है, वह कहां से राजस्व बढ़ा लेंगे जहां से कि घाटा पूरा हो सकेगा ? अधिष्ठाता महोदय, इसकी केवल एक ही निश्चित प्रक्रिया है कि हमारे माननीय मन्त्री जी यहां से कर्जा दे दें। उनकी हालत क्या है ? जो हमारा चालू वित्तीय वर्ष है उसमें ३० करोड़ और ६० करोड़ रुपए के आर्डर पेश कर दिए हैं। कितना रुपया इस मैसनरी वर्क्स करने के लिए दिया है ? यह पता नहीं चलता है कि ३२ करोड़ रुपए के बजट में से ५० करोड़ रुपया कहां से दिया जायगा। सरकार के पास भी कोई जरिया नहीं है कि सरकार दे दे। वह ५० करोड़ रुपया उन प्रतिभूतियों द्वारा या जो जमानतें हमने विद्युत् परिषद् को दी हैं, देश में नहीं, जापान और जर्मनी को दे रखी हैं वे हमारे सिर में झूल जायेंगे और तब विद्युत् परिषद् कहेगी कि हम तो सूद देते हैं। मुझे तो एक बात समझ में आती है कि कोई कमीशन वहां भी चलता है या तो कमीशन खरीदने का है और या बिक्री का है। इसको मैं नहीं जानता हूं। मेरा निवेदन माननीय मन्त्री जी से केवल इतना है कि विद्युत् परिषद् की योजनायें तब तक प्रभावी न होंगी जब तक उनका संक्रमण न कर दिया जाय और उनकी नीयत न बदले और तब तक उनको कोई स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। और यदि कोई अधिकारी ऐसा करता है तो उसको सख्त सजा देनी चाहिए।

अधिष्ठाता महोदय, विद्युत् परिषद् का यही कमाल नहीं है। उन्होंने यह भी किया है कि सरकार ने जो उनसे ४ करोड़ २५ लाख रुपया इसलिए जमा कराया था कि अगर यह जो डेप्रिसिएशन होता चला जा रहा है, ३०-५० वर्षों की आय है, उसका क्या होगा । यह रुपया केवल इसलिए जमा कराया गया था कि ११८ करोड़ रुपए का जो इनका इन्सटालेशन है जब वह क्षीण हो जायगा तो उसकी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ अवश्य रह जायगा लेकिन हमारी सरकार ने उसे भी इस विद्युत् परिषद् को दे दिया और उन्होंने उसे भी चट कर डाला। उसका कोई भी पता नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि किन शर्तों के साथ यह रुपया विद्युत् परिषद् को दिया गया और वह कहां पर जमा है। अगर नहीं है, तो क्यों नहीं जमा किया गया ? किस अधिकारी के कहने से वह पूंजी समाप्त कर दी गयी है ?

आप यह भी देखिए कि जिस लोन की वापसी की ही कोई कन्डीशन तय नहीं हुई है तो उस कर्जे की वापसी का जिक्र क्या किया जाय। जहां पर सूद की दर तय है वहां पर हमारे रुपए की वापसी भी निश्चित हो जानी चाहिए। वह निश्चित रूप से विद्युत् परिषद् के साधनों से होनी चाहिए, उससे नहीं होनी चाहिए जिस कर्जे को हम देते हैं।

आप यह भी देखें कि जो कर्जे की या ऋण की पूंजी है, उससे किसको लाभ या हानि हो रही है। ५१ करोड़ की जो हमने उत्पादन शक्ति ट्रान्सफर की रिहन्द से। युद्ध हो गया। उसमें एक शर्त थी कि युद्धकाल में हम उसकी दर बढ़ा सकते थे लेकिन हम लोगों ने उसकी दर बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। ६ करोड़ रुपया जनता से ले लिया, यह तो जरूर किया लेकिन और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया। आज ओबरा प्लान्ट बना। उसका ५ पैसा प्रति यूनिट आता है। २ पैसे में रिहन्द की आधी विद्युत् शक्ति उनको देते हैं और हालत यह है कि जब पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सदस्यों को कुछ शंका हो गई तो उन्होंने उनको घुसने नहीं दिया, वहां भी नहीं देखने दिया जहां सरकारी इंस्टालेशन था। मैं कहता हूं कि आज सरकार इतना दबती है उनसे, न मालूम क्या कारण है !

विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों की यह दशा है कि उनके साथ कई प्रकार का ट्रीटमेंट है। एक तो ऐसा है आपके जिसमें दो ठेकेदार हैं, एक तो वह चलता है, और वे लोग ऐसे हैं जिन को कहा जा सकता है कि आंख का काजल निकाल लेने वाले हैं, ऐसे लोग वहां रहते हैं। ५० हार्स पावर का मोटर चोरी चला जायगा और अपने आप आ जायगा, देखेगा कोई नहीं। मेरा निवेदन है कि सरकार अपने कर्मचारियों से उसको चलावे, ठेकेदारों से नहीं। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल गया लेकिन विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों को आज तक कुछ नहीं मिला। मेरठ का बिजली घर सरकार ने लिया, और तमाम जगहों के लिए, लेकिन उनके

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

कर्मचारियों को वह भी वेतन-क्रम नहीं मिला है जो विद्युत् परिषद् वालों को मिलता है। मेरा कहना है कि आप विद्युत् परिषद् को अपने सेक्रेटेरियट की लालफीताशाही से बचाइए। उनका काम जल्दी से होने दीजिए और इसीलिए आप ने शायद यह काम भी किया है। मेरा कहना है कि वहां से सचिवालय के लोगों को बुलाइए। विद्युत् परिषद् में टेक्निकल लोगों को निश्चित रूप से बढ़ोत्तरी मिलनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि विद्युत् जो लीक हो रही है उस पर आप नियन्त्रण करेंगे। मैं आगाह करता हूं कि ३१९ करोड़ रुपया एक दिन आपके जनरल रेवेन्यू रिसोर्सेज पर पड़ने वाला है और अगर आपने कड़ा कदम नहीं उठाया तो हालत बिगड़ती हो जाएगी। यह आप का ही कन्सर्न है इसलिए आप सख्त कदम उठा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी इस ग्रान्ट में पूर्ण रूपेण सुधार करेंगे।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, जो अवस्था ऋण और अग्रिम देने की है सारे सूबे में वही अवस्था इस बहस के दौरान इस विधान सभा की हो रही है। सारे कांग्रेसी पक्ष के लोग अग्रिम ऋण ले कर के बिलकुल मौन बैठे हुए हैं। जिस काम के लिए रुपया लेते हैं उसको उस काम में न इस्तेमाल करके जिस प्रकार चुप बैठ जाते हैं इसी तरह से आज वे चुप बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान है और यही रुपया कांग्रेस राज्य के भ्रष्टाचार की नींव है। मैं तो कहूंगा कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का यह अनुदान है। इस अनुदान का मतलब यह है कि जो गरीब, मध्यम श्रेणी के लोग हैं, उनको राज्य की तरफ से मदद देकर आर्थिक विकास किया जाय। लेकिन ऐसा होता नहीं है? होता क्या है? १७६ करोड़ रुपये का आप हिसाब देखेंगे, आडिट रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ७६ करोड़ रुपया आप मांगते हैं इसमें से ५० फीसदी अफसरों की जेब में चला जायगा। पूर्वी जिलों में रहट खरीदने के लिए योजना चलाई गई। मेरे जिले में १७, १८ किसानों को रेवती ब्लाक के रहट खरीदने के लिए अग्रिम ऋण ६०० रुपया सरकार ने मंजूर किया। मेरे जिले में ४९० रुपए का वह रहट मिलता है और सरकार ६०० रुपए देती है। बी० डी० ओ० कहते हैं कि रुपया नहीं देंगे, रहट खरीद कर देंगे और रहट खरीदने के लिए बनारस की एक कम्पनी से तय कर लिया कि १०० रुपया की रहट उनको मिलेगा। इस तरह से २२ किसानों को रहट देने में २,२०० रुपया उनकी जेब में पहुंच जाता। डी० एम० से जब कहा गया तो डी० एम० ने बी० डी० ओ० को आदेश देकर रुकवा दिया और कहा कि ६०० रुपए किसानों को दे दो।

बिजली लगाने के लिए भी ऋण मिलता है लेकिन जब किसान दफ्तर में जाता है तो नाना प्रकार के हीले-हवाले किए जाते हैं और १०० रुपए दफ्तर के बाबू, इंजीनियर लोग ले लेते हैं। तो इस तरह से लूट-खसोट चल रही है। जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बतलाया ७६ करोड़ में पिछले साल किसानों को ऋण के रूप में ३ करोड़ रुपए दिए गए और इस साल १३ करोड़ बढ़ाए गए। इस प्रकार आप देखें कि ७६ करोड़ रुपए में केवल १६ करोड़ रुपए किसानों को दिए गए तो कौन-सा परसेन्टेज पड़ा। मदन इंडस्ट्री, हस्तिनापुर में है उसे ६७ लाख रुपया आप दे रहे हैं। एक-एक पूंजीपति को ५०, ६० लाख रुपया आप देते हैं और सारे प्रदेश के किसानों को केवल १६ करोड़ रुपए अग्रिम दे रहे हैं। ६० करोड़ रुपया कहां जायगा? यह बड़े-बड़े पूंजीपतियों के पास, ऊंचे मध्यम वर्ग के लोगों के पास गाड़ी खरीदने, मकान बनाने के लिए जायगा और करीब किसान के पास १६ करोड़ में भी ७, ८ करोड़ ही पहुंचेगा क्योंकि ७, ८ करोड़ रुपया अफसर खा जायेंगे। कोई आपका मेमोरेंडम पढ़े तो समझेगा कि बड़ी अच्छी सरकार है लेकिन जब वह आडिट रिपोर्ट पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि क्या होता है। यह रुपया जाता कहां है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मलिन बस्ती के लिए आपने कह दिया कि पाकिस्तान से लड़ाई के कारण कई जगह सुरक्षा के कामों में आपको रुपया व्यय करना पड़ा। लिहाजा पारसाल जो रुपया आपने मलिन बस्ती के लिए १ करोड़ ६९ लाख रखा था उसे इस साल घटा कर १ करोड़ २० लाख कर दिया। इसी तरीके से जिस पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिये उसको तो आपने घटा कर कम कर दिया लेकिन पूंजीपतियों को देने वाली धनराशि में किसी तरह की कटौती नहीं हो रही है।

श्रीमन्, एक योजना सरकार ने चलायी है कि १५ हजार रुपये से अधिक ऋण देने के लिये एक निगम बनाया है। इस निगम के संचालक और अफसर निहायत ही बेईमान और बदतमीज हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आडिट रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रीजी कार्यवाही करें तो इस निगम के संचालक और अफसरों पर देश द्रोहिता का मुकदमा चल सकता है। एक तरफ तो विधान सभा रुपया देती है और दूसरी तरफ घूस के लेन देन के चक्कर में वे उस सारे रुपये का उपयोग नहीं होने देते। इस आडिट रिपोर्ट को अगर देखा जाय तो सन् १९५६-५७ से लेकर १९६४ तक ३८ फीसदी से ९२ फीसदी तक रुपया बिना बंटे रह गया, उसका उपयोग ही नहीं हुआ। सन् १९५६-५७ में ६५ लाख रुपया मंजूर हुआ जिसमें से बांटा गया केवल ५ लाख, ६० लाख रुपया ऐसे ही पड़ा रहा। १९५७-५८ में ६५ लाख रुपया मंजूर हुआ जिसमें से केवल ५७ लाख बांटा गया। इसी तरह सन् १९६४ में भी ६४ लाख रुपया बांटा नहीं गया। कभी आपने उनसे जवाब तलब किया कि इस तरह की बदतमीजी क्यों करते हैं? उत्तर प्रदेश जो बैकवर्ड है आखिरकार उसके कारण क्या हैं?

यही नहीं, मलिन बस्ती को जरा देखिये। इसके अन्तर्गत १९६४-६५ में आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी के लिये रुपया मंजूर किया गया जिसमें से १३-१४ लाख रुपये का उपयोग ही नहीं हुआ। इसी तरह से जल योजना में रुपया कर्ज देते हैं। वह रुपया खा डालते हैं, कोई काम नहीं होता। कागज पर लिख दिया जाता है कि किसानों को कुयें लगा दिये। तो सारी स्थिति यह है कि जो रुपया अग्रिम देने के लिये आप निर्धारित करते हैं वह ठीक से किसानों के पास जाता है या नहीं। जो १६ करोड़ रुपया किसानों को देने के लिये आपने रखा है इसके लिये हर जिले में आप एक कमेटी मुकर्रर करें जिसको सारे जिले की व्यवस्था मालूम हो कि हर ब्लाक में कौन-कौन लोग कर्जा लेना चाहते हैं। बैल के लिये अनुदान देने की कोई जरुरत नहीं है। न खेती है, न कुछ है, बैल के लिये तकावी ले ली! यही नहीं, जो पूंजीपतियों को आप पैसा देते हैं, देखना यह है कि क्या उसका भी सही उपयोग होता है। इसी किताब में है कि अलीगढ़ जिले में ४८ लाख रुपया का दुरुपयोग हुआ। दिया गया था लघु उद्योग खोलने के लिये मगर खर्च किया गया १० हजार व्यापार में, १० हजार सूद पर दे दिया गया, ७ हजार ताला उद्योग में उपयोग कर लिया गया। खेती के लिये रुपया दिया गया लेकिन उसे कर्जे में दे दिया गया। इस तरह की धांधली आपके ब्याज वाले ऋण और अग्रिम वाली मद में हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है और यह सारा रुपया जो है इसकी साठगांठ में वित्त मंत्री और उनका सचिवालय सभी मिले हुये हैं और वित्त निगम के लोग भी इसमें रिश्वतखोरी और चोर बाजारी कर रहे हैं। ७६ करोड़ की धनराशि अपने पास रखे हुये हैं और अपनी तबियत से जिसको चाहेंगे उसको देते रहेंगे। इस तरह से मैं समझता हूं कि इस धनराशि का बड़ा भारी दुरुपयोग है और १८ साल से जो इस अनुदान की दशा चल रही है उसको देखते हुये और प्रदेश के जनहित में इसको स्वीकार नहीं करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का विरोध करता हूं।

*श्री उग्रसेन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव माननीय बालोजी अग्रवाल ने इस सदन में उपस्थित किया है मैं उसके समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उग्रसेन]

जैसा कि हमारे दोस्त माननीय मिश्रा जी ने बताया, सरकार कर्जा लेकर मौज उड़ा रही है। हम जिसकी बदौलत बने हैं उसके हाल पर मंत्री महोदय का ध्यान क्यों जाये क्योंकि यह भी तो मटरगश्ती में मौज उड़ा रहे हैं ? कर्जे के खाने और पीने में जो खर्च करता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता। इस प्रदेश के ५ करोड़ किसानों की लाश पर मंत्रीजी ने जो ४१९ करोड़ १३ लाख रुपये का कर्जा लाद रहे हैं वह डेढ़ साल के बजट का रुपया कर्जे में रखा गया है। जिसके नाम पर, जिसको गिरवीं रखकर, प्रदेश के किसान के कर्जे को आप खा रहे हैं वह कौन है और उसकी परिभाषा क्या है ? माननीय कैलाश प्रकाश जी शिक्षा मंत्री के साथ-साथ वित्त मंत्री भी हैं, जिन्होंने ५ करोड़ किसानों की लाश के ऊपर कर्जा लिया है, उसकी परिभाषा में एक वाक्य में कहना चाहता हूं।

एक हमारे अर्थ शास्त्र के प्रोफेसर थे, वह कहा करते थे और उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, उनका एक वाक्य है कि "किसान कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में जीता है और कर्जे में ही मर जाता है।" उसके मर जाने के बाद भी क्रिया कर्म के लिये कर्जे की जरूरत होती है। ऐसे लोगों को इन्होंने बंधक रख दिया और मौज कर रहे हैं। यह तो गालिब साहब की परम्परा में जीने वाले हैं। गालिब साहब पाते थे और उनके ऊपर काफी कर्जा लदा हुआ था। वह इजलास में जज के सामने गये। जज को गालिब साहब के ऊपर बड़ी दया आई कि जिसमें उर्दू शायरी की जान लिखी वह मेरे सामने इस दशा में खड़ा है। यह काम आप क्यों करते हैं जिससे आपको मेरी अदालत में आना पड़ा। गालिब ने कहा कि "कर्ज की पीते हैं मय पर यह समझते हैं कि हां रंग लायेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन।" जिनके बाप दादों को घोड़ा तक नसीब नहीं हुआ वही आज हवाई जहाज में घूमते हैं तो ऐसी मौज से और क्या बात ज्यादा हो सकती है। यह जनता कब जगेगी। एक हिलोर इधर से आई, एक उधर से आई, उसकी न उथलपुथल मची। बालकृष्ण शर्मा की कविता तक उनको नहीं हिला पाती है। हमारे देवरिया जिले में १४ लाख तकावी का दिया। उसमें बाढ़ का इलाका है, बेचारे किसानों को ५ रुपया और १० रुपया तकावी दी गई और चार साल में रुपया वसूल लिया। कम से कम ९७ प्रतिशत तकावी का रुपया वसूल हो गया। क्योंकि वह देने के काबिल नहीं थे, लेकिन सरकार ने इतनी सख्ती की, इतनी ज्यादती की, कि उन लाशों से रुपया वसूल हो गया। उसके दूसरी तरफ वहीं पर एक मंडल कांग्रेस के कर्मठ सदस्य हैं, सरकार सुरजीत सिंह मजीठिया, जिन्हें ट्राम्बे लाइन हेतु ब्रह्मपुर की तरफ ले जाने के लिये ३७ लाख रुपया कर्ज दिया गया। वह रुपया जिस कार्य के लिये दिया गया उससे उन्होंने कोई काम नहीं किया, जरा सा भी किसी को लाभ नहीं हुआ। यहां तक कि जिनसे जमीन ली थी, उन किसानों की जमीन का मुआवजा भी नहीं दिया। लेकिन फिर भी उनसे नहीं वसूला गया, उनको मुर्गा नहीं बनाया गया, क्यों ? क्योंकि वह कांग्रेस के इलेक्शन में लाखों रुपये का चन्दा देंगे। एक करोड़ ४७ लाख रुपये का डालमिया को दिया गया था और कहा गया था कि साहु-पुरी में जल्द आकर कारखाने खोलो। क्योंकि उस समय बाबू संपूर्णानन्द जी चाहते थे कि बनारस में खूब कारखाने खुलें, उसकी खूब तरक्की हो, जिससे उनका नाम हो। इतना ही नहीं, इस ऋण पर उनसे कोई सिक्योरिटी भी नहीं ली गयी और जब यहां पर बहुत ही हल्ला मचा तब जाकर कहीं दो साल के बाद सेन्ट्रल जूट मिल की प्रतिभूति उन्होंने दी।

पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का, श्रीमन्, मैं भी एक सदस्य हूं। वहां पर एक फाइल हमारे सामने आयी, मैंने उसे देखा और कहा डालमिया को मुर्गा बनाओ वारन्ट निकालो। मैंने कहा कि वारन्ट नहीं तो उस पर फाइन कीजिये जिसने सरकार का ऋण नहीं दिया है। उद्योग विभाग के सेक्रेटेरी जो फाइल लाये उस पर लिखा था शान्तिपप्रसाद जैन जो थे मुख्य मंत्री से, स्पीक करें। मैंने सोचा अब एलेक्शन आने वाला है, इसमें ५० लाख रुपये वह कमा लेंगे। मैंने उस पर जोरदार विरोध किया, मैंने कहा इसको काटिये, इसमें उनसे स्पीक करने की क्या बात है। रुपया हम देने वाले हैं, हम वसूलेंगे उसमें मुख्य मंत्री क्या करेंगे ? इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ रुपया अवश्य वसूल हुआ, लेकिन अब भी ६९ लाख रुपया उन पर बाकी पड़ा है। ४ प्रतिशत उनसे सूद का

रुपया पड़ता है। मार्च, ५६ तक डालमिया, सिंहानियां आदि बड़े बड़े पूंजीपतियों को आपने ५ करोड़ रुपया दिया, मैं आपसे पूंछता हूं, उसमें से कितना वसूल हुआ। यह हालत है तो आपका क्या होगा ? किसान जो हिन्दुस्तान की रीढ़ है उसको आप खाद देते हैं तो साढ़े नौ प्रतिशत का ब्याज लगाते हैं और डालमिया, सिंहानिया जैसे करोड़पतियों को मौज मारने के लिये देते हो तो उनसे चार प्रतिशत ही लेते हो। यही आपका जनतन्त्र है कि यह जनतन्त्र का उपहास है, मखौल है। जनतन्त्र, ग्राम स्वराज्य और समानता की दुहाई देने वाली गांधी के चेलों का क्या यही न्याय है ? क्या यही आपका समाजवाद है ? जब आप अपने पूवजों को ऋण देते हो तो साढ़े नौ प्रतिशत दर पर देते हो और जब अपने चहेतों और लाड़लों को देते हो तो उनसे ४ प्रतिशत का ही ब्याज वसूलते हो।

विद्युत् विभाग की बड़ी चर्चा हुई, हमने एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया, उसमें बड़ा घपला था। रोज अंधेरा होता बड़ी अव्यस्था फैली थी तो हम लोगों ने शोर मचाया कि मार्टिन बर्न कम्पनी को ले लो। लेकिन इसके विपरीत आपने इस साल यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कर्ज दे दिया। कि अपना और अधिक डेवलपमेंट कर लो। और मार्टिन बर्न कम्पनी को कर्जा दे दिया। एक भी पैसा वसूल हुआ ? नहीं हुआ और मजा यह कि हल्ला गुल्ला मचाने पर कह दिया कि हम तो कम्पनी के मजदूरों की तनख्वाह पांच सौ से ढाई सौ कर देंगे। अब केसा के मजदूरों को सुनिये। दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल हो गये नौकरी करते लेकिन उनकी बढ़ौतरी नहीं हुई। माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी काफी कह गये हैं लेकिन "कहां लग वरनौं झबरी गुन तोरे" हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता" है। केसा में सन् ४८ में ३ लाख का फायदा हुआ बढ़ते-बढ़ते ६३ में ६९ लाख और ६५ में ८१ लाख शुद्ध लाभ होगा। लेकिन इतने पर भी केसा के मजदूरों का बोनस क्यों नहीं देते हो ? श्रम मंत्री बनारसीदास ने आश्वासन दिया कि श्रम कौंसिल बनायी जायगी, वह भी नहीं बनाते। रहने के लिये उनके आवास गृह नहीं। और यह कौंसिल इसलिये नहीं बन रही है कि झगड़ा है कि किस मंत्री के रिश्तेदार को उसका मैनेजर बनाया जाय। हमारे पास खबरें आती रहती हैं और हम लोग भी हवा पानी लेते रहते हैं। हमारे पास एक चिट्ठी आयी है राजाराम मिश्र, जो मंत्री, हाइड्रो एलेक्ट्रिक सप्लाई यूनियन को कि अगर १० मई तक हमारी मांगे पूरी न हुई तो उत्तर प्रदेश भर में बिजली के मजदूर हड़ताल कर देंगे और अगर वह हड़ताल करेंगे तो सोशलिस्ट पार्टी उनकी मदद भी जरूर ही करेगी। उनकी मांग है कि हाई पावर कमेटी जो आपने बनाई थी उसने कोई फैसला नहीं किया है और कहा है कि पी० आर० सी० की रिपोर्ट उनपर लागू कर दो। वह हम पर लागू की जाय। और मजा यह है कि जो हमारे बड़े-बड़े आफिसरान इन कम्पनियों में हैं वह कोई टेकनिकल आदमी नहीं हैं। हमारे यहां के सरकारी कर्मचारी विद्युत् बोर्ड में तरक्की करते करते आगे बढ़ते जाते हैं। और ये आफिसर बन कर गड़बड़ घोटाला करते हैं। बी० बी० लाल १० साल तक रहे और उनके टाइम में ५० लाख का घोटाला हुआ और वर्मा जी को हवा तक नहीं लगी और वह बी० बी० लाल उसमें गुड़ में चींटें जैसे लिपटे शीरा चाटते रहे।

अब रिहन्द को सुनिये। २१ करोड़ रुपये में वह बना। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कहा कि केबिल लाइन बिछा दो। यह सन् ५७ में हुआ जब मैं यहां आ गया था। उन्होंने कहा कि १० करोड़ लगाओ, ५ करोड़ हम भी देंगे। कमलापति जी ने कहा कि पूर्वी जिलों को बिजली उससे देंगे लेकिन बाद को वह भी कट गयी। एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हिसाब-किताब पूछिये वह है नहीं। मार्टिन बर्न से रुपया वापस मिला अगर किसान पर रुपया रह जाय तो उसका बैल तहसीलदार साहब कुर्क करवा लेंगे लेकिन मिलवालों पूंजीपतियों के लिये सब माफ। मैं पूछता हूं कि रिहंद पर इतना खर्च कर रहे हो उसमें कोई सचाई हो रही है। अब जाकर दुगुना-तिगुना खर्च करके क्या किया जा रहा है ? सिर्फ कानपुर से मुगलसराय तक बिजली की रेल चलाई जावेगी। माता टीला से मध्य प्रदेश को बिजली दे रहे हो लेकिन रिहन्द से क्या आप करना चाहते हैं ? तो २१ करोड़, ४५ करोड़ की आमदनी हो गयी। ११८ करोड़ रुपया आपका विद्युत् परिषद् के पास

[श्री उग्रसेन]

पड़ा हुआ है । किस तरह से यह वसूल होगा ? जब यह एक विभाग का हाल है तो दूसरे विभागों का क्या हाल होगा और किस तरह से यह रुपया वापस आयेगा ?

नगरपालिका को बात इसके बाद आती है । नगरपालिकाओं को भी इस सरकार की तरफ से ७,८ करोड़ रुपया मिला है । हमारे यहां बरहज नगरपालिका को भी १, १।। लाख रुपया मिला है जो कर्जे का लड़कियों के स्कूल बनाने के लिये उनको दिया गया था । जो वहां के अध्यक्ष थे वह कांग्रेसी थे उन्होंने अपने घर तक उस रुपये से सड़क बना लिया और बाकी जो रुपया बचा उससे उन्होंने अपना घर बना लिया । यहां पर सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि हम तो विरोधी पार्टी के हैं । बात गलत कहते हैं । हमारी ताकत नहीं है कि हम इस सरकार को हिला दें । ९ करोड़ रुपया नगरपालिकाओं को दिया गया मगर वह सब इसी तरह से सब लोग खा गये । इसी कारण तो हमारे मित्र काशीनाथ जी कहते हैं कि जिस बात के लिये रुपया दिया गया है तो कम से कम यह तो देखना चाहिये कि वह रुपया उस काम में लगा या नहीं और समय पर वे सूद देते है या नहीं । मगर उनसे नहीं पूछा जायगा । इसलिये हम मांग करते हैं कि जिन नगरपालिकाओं ने सरकार से लगातार पिछले १० वर्षों में कर्जा लिया है तो देखा जाय कि वे सूद देते हैं या नहीं और उस रुपये का इस्तेमाल उन्होंने किस काम के लिये किया है । इस बात को देखना चाहिये । पानी के लिये उनको कर्जा दिया गया । वाटर वर्क्स बनाने के लिये उनको कर्जा दिया गया लेकिन उन्होंने खर्च कर दिया किसी दूसरे काम में तो इसकी जांच होनी चाहिये । अगर इसी तरह से काम चलता रहा तो किस तरह से यह गाड़ी चलेगी । इसी प्रकार से कर्जे जिला बोर्ड को भी दिये गये । उन्होंने गाड़ी खरीद ली और मोटर ले ली ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये कर्जा दिया गया लेकिन उनसे भी वसूल होने की बात इसमें नहीं दिखाई देती है । १९६५-६६ में सरकारी कर्मचारियों के लिये ऋण के देने के लिये, ४७, ५० हजार रुपये देने के लिये रखा गया था । अब उसको बढ़ाकर ५०, ५० हजार कर दिया गया । अगर देवरिया का किसान कोई मांगे तो उसको ५०० रुपया बैलगाड़ी खरीदने के लिये भी नहीं दिया जायगा । उसको २५ जगह दरख्वास्त देनी पड़ेगी । गन्ना समितियों को कर्जा दिया गया और अब तो कोआपरेटिव बैंक भी खोल दिये हैं । आज एक किसान हमारे पास आया और कहने लगा कि ९ महीने से बैंक के पास हमारी दरख्वास्त कर्जे के फार्म पर भरी हुई पड़ी हैं मगर कर्जा नहीं पा रहे हैं । अंग्रेजी राज्य में हम देखते थे कि किस तरह से अंग्रेज अफसर लड़ाई के जमाने में जब बातों का खयाल रखते हुये । अंग्रेज अफसर जब इस सचिवालय में काम करने आते थे तो हजरतगंज में चाय पीकर वैसे ही वहां से पैदल चले आया करते थे । बहुत से अपनी साइकिलों पर आते थे । उनसे सवाल किया गया कि आप क्यों इस तरह से साइकिल पर आते हैं । तो उन्होंने बताया था कि पैट्रौल की राशनिंग की वजह से हम पैदल आया करते हैं । वे पैट्रौल को बचाते थे । लेकिन आज किस तरह से सरकारी रुपये का अपव्यय हो रहा है ! सेक्रेटेरियट की गाड़ी पर सरकारी अफसर और कर्मचारी बाजार से सब्जी खरीदने जाते हैं । सरकारी गाड़ी का इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं ।

करीब १० साल हुये, किच्छा में एक शुगर मिल खोलने के लिये विष्ट ऐंड कम्पनी, लिमिटेड, को ४० लाख रुपये का कर्जा दिया गया लेकिन आज भी किच्छा में कोई शुगर मिल नहीं खुल सकी । इस वजह से आज भी किच्छा के किसान सरकार के नाम पर रो रहे हैं, इसलिये सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि किच्छा में कोआपरेटिव स्तर पर एक चीनी मिल खोलवावें । साथ ही मिल के जितने मैनेजिंग डाइरेक्टर्स हैं उनसे फौरन रुपया वापस लिया जाय । लेकिन सरकार इस काम को इसलिये नहीं कर रही है कि वे मैनेजिंग डाइरेक्टर्स जितने हैं वे सब इनके रिश्तेदार हैं, वहां जो आफिसर्स हैं वे भी इनके रिश्तेदार हैं । इसलिये मेरी मांग है कि किच्छा के किसान जो आपके नाम पर रो रहे हैं और मरे जा रहे हैं, उनको रुपये दीजिये और वहां सहकारी शुगर मिल खोलिये ।

देवरिया में एक आदमी को २० लाख रुपया कर्जा दिया गया और उन सज्जन ने उस रुपये से तमाम दूकानें खोल लीं। सब कुछ करने के बाद सदन को बिलकुल भान न हो कि सरकार इतना कर्जा देती है और लोगों पर काफी पैसा सरकार खर्च करती है, लेकिन इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। हमें यह भी देखना है कि इस वक्त जो ऋण देते हैं वह विकास के लिये प्रति व्यक्ति कितना है। इनकी पुस्तक आर्थिक समीक्षा के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम योजना में प्रति व्यक्ति २४ रु० और दूसरे सब प्रान्तों में ४० रु० दूसरी योजना म प्रति व्यक्ति ३४ रु० और दूसरे प्रान्तों में ५२ रु० और तीसरी योजना में प्रति व्यक्ति ६८ रु० और दूसरे प्रान्तों में ९३ रु० रहा। और केन्द्र ने इनको कितनी मदद दी--यू० पी० को प्रति व्यक्ति केवल १४ रु० दिया, जब कि दूसरे स्टेट्स का औसत २५ रु० आया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति १८ रु० मिला, जबकि दूसरे राज्यों को २७ रु० मिला.....

श्री अधिष्ठाता--

इस अनुदान से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति जो मदद विकास के नाम पर केन्द्र से मिली और जो यहां खर्चा हुआ उसका औसत दूसरे राज्यों के मुकाबले कम है। केन्द्र से जो मदद मिली वह सब राज्यों से कम है। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ब्याज और ऋण के अनुदान पर सूद की दर कम की जाय और किसानों के लिये कोआपरेटिव बेसिस पर चीनी मिल खोली जाय।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस देश में केवल होली का त्योहार ऐसा है कि जब सब लोग एक साथ मिल कर वर्ष में एक दिन खुशी मनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि जहां तक माननीय मंत्री जी के इस विद्युत् विभाग का संबंध है, वह इस प्रदेश की करीब ९ करोड़ इन्सानों की जिन्दगी के साथ और विशेषकर इस प्रदेश में रहने वाले किसानों की जिन्दगी के साथ आये दिन होली खेलता है। और मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी इस विभाग के विरुद्ध एक निष्पक्ष और बड़े पैमाने के अधिकारियों की एक इन्क्वायरी बैठावें तो मेरा खयाल है कि जितने भी बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनमें से बहुत से अधिकारियों को जेल के अन्दर बिना जमानत के सरकारी महल में रहना पड़ेगा। इसमें इस कदर घपलेबाजी और इस कदर गड़बड़ी है कि सुबह से शाम तक सुनने के पश्चात् माननीय मंत्री जी ने सर उठा कर इस आदरणीय सदन के सम्मुख इस अनुदान को प्रस्तुत किया श्रीमन्, आप देखें प्रदेश की हालत को कि नगरपालिकाओं को कर्जा दिया और वसूल नहीं हुआ। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि क्यों वसूल नहीं हुआ। दीवालिया अगर दीवालिया को कर्जा देकर वसूल न कर पाये तो शिकायत क्या है। दोनों के तन पर कपड़ा नहीं है, दोनों नंगे हैं। आप किसके लिये रुपया मांग रहे हैं? आप तो प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और मैं तो यह भी आंकड़ों के साथ साबित करने के लिये तैयार हूं कि इस अनुदान पर बजट स्थगित करने के बाद आपके उन अधिकारियों के विरुद्ध अगर मुकदमे चलाये जांय तो ज्यादा उचित होगा। आज प्रदेश के किसानों पर लगान का बहुत अधिक भार पड़ा हुआ है, उनका कितना आबपाशी का लगान बढ़ा रखा है! उनके पास न खाने को अनाज है, न पहिनने को कपड़ा है। और मैं समझता हूं कि रिश्वत में भी उनसे कोई रिआयत आप के विभाग के लोग करने के लिये तैयार नहीं हैं। उनसे तो रिश्वत लेना ऐसा है जैसेकि श्मशान और मर्दाघाट पर पैसा लेना, लेकिन फिर भी उनको नहीं बख्शते। उत्तर प्रदेश में तो सिंचाई रेट्स सब प्रदेशों से दूना है और उस पर भी २५ फीसदी और बढ़ा दिया, इस तरह से देश में सबसे अधिक

[श्री लखपतराम शर्मा]

लगान यहां बढ़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि आप अधिकारियों के हाथ म और दौलत वालों के हाथ म एक खिलौने की तरह से खेलते हैं। जैसे कि सावन के महीने में बच्चे चकली घुमाते हैं, आप भी उनके हाथ में कठपुतली और चकली बने हुए हैं। इससे कोई लाभ प्रदेश को नहीं हो सकता।

अब में विद्युत् परिषद् की कुछ चीजों को रख दूं। इसकी स्थापना १ अप्रैल, १९५४, को हुई। पहली अप्रैल को इसको कायम करने के मतलब होंगे कि आपकी अकल और बुद्धि इतनी विशाल है जितनी कि यह तारीख है। इसका मतलब यह है कि जिन्दगीभर सफलता तो आपको मिलनी नहीं है। मैं आपके सामने रखूं कि पहली अप्रैल, १९५९, में जिस समय इसकी संपत्ति ६७ करोड़ रुपया थी, ५१ करोड़ रिहंड का दे दिया और ५७ करोड़ का ऋण इस वर्ष में लिया। आप अपने विभाग में देखें कि १५० करोड़ रुपया इस विभाग को देना है। आप भी चुनाव में चले जायेंगे, आपके अधिकारी रिटायर होकर चले जायेंगे, यह विभाग १६७ करोड़ रुपया कैसें अदा करेगा? आप तो इसका ब्याज भी नहीं दे सकते। आपको तो आये दिन अनाज मांगना पड़ता है।

(इस समय १ बजकर ३९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद, पीठासीन हुए।)

आपने समाज और देश के साथ विश्वासघात किया है। उसके बाद १० करोड़ रुपया इस साल में साढ़े ६ परसेंट पर परिषद् ने सरकार से लिया और इतनी बड़ी रकम का असली रुपया मूल आप देने की परिस्थिति में नहीं हैं। १-४-५९ को यह काम हुआ। इसके अतिरिक्त १९६२-६३ म १३७ लाख का कुछ लाभ दिखलाया, लेकिन १९६६-६७ में ११४ लाख का घाटा सरकार स्वीकार कर चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतना कर्जा जो आप बढ़ाते जा रहे हैं और इतना घाटा उठा रहे हैं, आखिर आप इसे कहां से और कैसे पूरा करेंगे। इससे ज्यादा और दिवालियेपन की क्या निशानी हो सकती हैं? मैं पूछता हूं कि क्या आपने कभी इस बात की भी जांच कराई कि यह घाटा क्यों हो रहा है? जिस रोजगार में इतना घाटा हो जाय वह रोजगार कैसे पनप सकता है, यह बात ध्यान देने योग्य है। आपको तो इस कुर्सी का लालच पड़ गया है, जो सम्मान आपको इस कुर्सी पर मिल रहा है वह हटने पर नहीं मिल सकता, इसलिये आपको उसी पर चिपके रहने की चिन्ता है, देश की चिन्ता नहीं है।

मान्यवर, यह देखने की बात है कि ७ वर्ष के अन्दर इस परिषद् की हालत क्या हो गयी है, किस हालत में इसने हमें पहुंचा दिया है। इस विभाग में जो सचिव हैं वे २० वर्षों से हैं, २० वर्षों से वे इसी सेक्रेटरिएट की चहारदीवारी में, बड़ी खूबसूरती से बने हुये हैं।

एक और चीज आपकी जानकारी में लाना है। १९५९-६० में १३७ लाख रुपया इलाहाबाद बैंक में फिक्स्ड डिपाजिट में साढ़े ४ प्रतिशत पर जमा किया गया, जबकि उस रुपये का सरकार को ब्याज साढ़े ६ प्रतिशत देना पड़ा था। मैं पूछता हूं यह घाटा क्यों उठाया गया, क्यों वहां यह रुपया जमा किया गया? मान्यवर, यह परिषद् आज एक लाश की शक्ल में पहुंच गया है। इसमें कितना ही रुपया फूंका जाय, कितनी ही इसकी दवा की जाय, कोई फायदा होने वाला नहीं है।

इसके अलावा, श्रीमन्, यमुना योजना, माता टीला, हरद्वागंज, ओवरा हाइडिल, ओवरा थर्मल, रामगंगा आदि योजनाओं के द्वारा करोड़ रुपया सिविल वर्क्स पर खर्च किया गया। यह सब रुपया सिंचाई के नाम पर खर्च किया गया, मगर इनके पास हिसाब एक नये पैसे का भी नहीं है कि वह पैसा कैसे खर्च किया गया। इन्जीनियरों ने, बड़े-बड़े आफिसरों ने जिस तरह से चाहा गड़बड़ घुटाला किया, गबन किया, उड़ाया, खाया और काफी उसका दुरुपयोग किया। कोई हिसाब उसका इनके पास नहीं मिलेगा, अगर हो तो माननीय मंत्री जी बतायें। इससे ज्यादा इस सरकार के दिवालियेपन की और क्या निशानी हो सकती है?

श्रीमन्, जो इसका मुख्य कार्यालय है, उसमें अनेकों अनक्वालिफाइड आदमियों को रख लिया गया है, जिनकी लोक सेवा आयोग आदि के द्वारा कभी कोई परीक्षा हुई ही नहीं। मैं उनके नाम मय उम्र के दे सकता हूं। अधिकतम आयु सीमा सरकारी नौकरों के लिये २५ वर्ष है, मगर इस विभाग में अपर ग्रेड में एक क्लर्क को जिसकी आयु ३७ वर्ष थी, रखा गया, इसलिये उसको रखा गया क्योंकि वह एक अधिकारी का रिश्तेदार था। कमीशन के सामने भी उनको नहीं रक्खा गया क्योंकि रिश्तेदारी का सवाल था। एक लोअर ग्रेड क्लर्क जो ८०-२०० के ग्रेड में था उसको २५०-८५० के ग्रेड में अकाउन्ट्स आफिसर बनाकर रक्खा गया है। आप अकाउन्ट्स आफिसर की योग्यता मालूम कर लीजिये पर चूंकि रिश्तेदारी है इसलिये उसको बना दिया गया। वह आप मालूम कर लीजिये। उनका नाम भी मैं आपको बता दूं, वे एस० के० गोयल हैं। १६०-४०० के ग्रेड में थे उनको ४७५-६७५ के ग्रेड में कर दिया गया और इतनी बड़ी तनख्वाह पाने वाले के लिये आपने उसकी सुविधा के लिये २२ रु० महीने का मकान दे दिया, जबकि गरीब आदमियों को २०-२० रुपये के मकान लेकर रहना पड़ रहा है।

मैं आपको बतलाऊं, आप जांच करा लीजिये कि प्रतापगढ़ के सबसे अधिक संख्या में कर्मचारी रक्खे गये हैं। इसका विशेष कारण है। आप स्वयं देख सकते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे १३७ कर्मचारी हैं जिनको पक्षपात द्वारा रक्खा गया है। ये रिश्तेदारियां बहुत नजदीक की हैं जिनको रक्खा गया है। सहायक सचिव का संबंध सिर्फ उनकी रिश्तेदारियों से ऐसा है जिनको कि मैं आदरणीय सदन के समक्ष कुछ कारणों से नहीं रखना चाहता। लाईफ इन्श्योरैन्स कारपोरेशन से चार करोड़ रुपया साढ़े सात प्रतिशत ब्याज पर ये लेने जा रहे हैं। ४१९ लाख रुपया बान्ड्स पर लिया है। लेकिन इस सब के बाद न अदायगी का साधन है और न देने की परिस्थिति में हैं कि वे लौटा सकें। वहां का जो टिन शैड है उसमें सौ आदमी नहीं बैठ सकते, जो नजदीकी रिश्तेदारियों के कारण रक्खे गये हैं। लेकिन सरकार वहां १२० आदमी बैठा रही है। अगर आप गरमी के दिनों में जायं तो आपको वहां एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं मिल सकता है। इस प्रदेश के अन्दर सरकार १६-१७ करोड़ रुपये के करीब किसानों को देने जा रही है लेकिन वह रुपया किसानों के पास पहुंचते-पहुंचते किस हद तक वह रिश्तेदारियों में पहुंचता है या उसमें गड़बड़ियां होती हैं यह आपसे छिपा नहीं है। अगर सही तरीके से उनके पास पहुंचते तो कोई शिकायत न हो। झांसी बिजली कम्पनी के कर्मचारियों को पहिले महंगाई भत्ता दिया जाता था परन्तु जबसे यह कम्पनी सरकार के कब्जे में आई तब से महंगाई भत्ता उनका खत्म कर दिया गया है और जब मुकदमा दायर हुआ तो १६ हजार रुपये की डिग्री आपके खिलाफ हुई है। मैं समझता हूं कि जब सरकार इस तरह की दिवालिया और कर्जाई हो चुकी है तो वह इस्तीफा दे दे क्योंकि इस प्रकार प्रशासन चल नहीं सकता।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज लोन्स और ग्रान्ट्स का जो अनुदान रक्खा गया है उसके विषय में बताया गया है कि सरकार किन-किन चीजों में लोन देती है। उसमें कुछ आइटम्स रूरल इन्डस्ट्रीज के भी थे, हाउसिंग के थे और खास तौर पर बिजली के और उसके साथ साथ जो विद्यार्थी विद्या पाने के लिये बाहर जाते हैं उन पर भी कुछ आइटम्स थे। मुझे दुःख हुआ जानकर और मैं खास तौर पर मंत्री जी से जानना चाहता हूं इस यू० पी० में जितनी इन्डस्ट्रियल इस्टेट्स हैं और रूरल में उनकी क्या हालत है। आपने कितना रुपया देहात के क्षेत्र में उद्योगों के चलाने के लिये दिया है? इसका कभी मंत्रीजी ने खयाल किया है? ग्रामीण उद्योगों की तरफ आपका सबसे ज्यादा लक्ष्य होने की जरूरत थी। आपने कहा है कि आपका १६ करोड़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवानसिंह]

रुपया जा रहा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका ५ परसेंट भी रूरल इंडस्ट्रीज की तरफ नहीं जा रहा है। ७० फीसदी से ज्यादा जनता आज खेती के ऊपर बसर करती है। अगर आप लोन देते देहातों में उद्योगों के लिये, तो कोई वजह नहीं है कि लोग खेती से हटकर उद्योगों पर न आते। आज मालदार आदमी अधिक मालदार होता जा रहा है और गरीब अधिक गरीब होता जा रहा है। प्लानिंग के युग में होना यह चाहिये था कि गरीब आदमी मालदारी की तरफ जाय और मालदार नीचे की तरफ आवे। क्या आप सोशलिस्टिक पैटर्न पर लोन्स और ग्रान्ट्स देते हैं? यू० पी० में १।। करोड़ मकान आज देहातों में हैं जिनमें से आधे भी ऐसे नहीं हैं जिनमें रहने के लायक जगह हो। ऐसे हजारों गांव हैं जहां लोग पीने के पानी के लिये तरसते ह। आज भी देहातों में एग्रो-इंडस्ट्रीज को, यानी किसानों से संबंधित उद्योगों की सरकार की ओर से कोई टैक्नालाजी नहीं है, न कोई योजना है। अगर सरकार चाहती है कि देहात में कुछ उद्योग स्थापित हों तो उसे चाहिये कि प्राइवेट सैक्टर में ५ लाख रुपये से ज्यादा कि लागत के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करे।

हमारे एक दोस्त ने करप्शन के लिये कह दिया कि मालदार आदमी पोलीटिकल पार्टीज को कैंचर करने का प्रयत्न करते हैं और इससे मुझे बहुत दुख हुआ। कुछ पोलीटिकल पार्टीज का तो धंधा होता चला आया है और उसके लोग १, १ या २,२ लाख रुपये पर बिकते चले आये हैं और वे यहां आकर कहते हैं कि पोलीटिकल करप्शन हो रहा है! चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कुछ ऐसी बात कही कि पोलीटिकल पार्टियां खरीदी जा रही हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि कुछ पोलीटिकल पार्टियों को विदेशों से पैसा मिलता है या नहीं, ५ लाख रुपया बी०आर० मोहन से मांगा गया या नहीं और जब भी उनके हर साल चुनाव होते हैं तो वे किसी न किसी के कैपेटिलिस्ट से रुपया लेते हैं। वे एक प्राईवेट कम्पनी जैसी बनाकर पैसा लें और इस हाउस में आकर कहें कि कैपीटेलिस्ट क्लास से पोलीटिकल लाइफ में करप्शन आ रहा है, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इस करप्शन को अपने आगन में ही ढूंढने की कोशिश करें। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने कभी भी यह करप्शन नहीं किया है। अगर कोई ऐसा उम्मीदवार आता है जिससे करप्शन की आफशूट्स पैदा होती हैं, उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि चाहे टाटा-बिड़ला २० लाख रुपये भी देगा .....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य विषय पर ही सीमित रहें तो अच्छा है।

श्री बलवानसिंह--

मैं विषय के अन्दर ही बोल रहा हूं।

एक सदस्य--

मिल-ओनर शेरवानी खड़ा है।

श्री बलवान सिंह--

आज जो करप्शन की बदबू उठ रही है क्या उसकी जिम्मेदारी हुकुमसिंह जी की नहीं है, या कांग्रेस पार्टी की नहीं है? आज विदेशों से अरबों का अनाज मंगा कर ४६ करोड़ जनता के नाम पर, उसके मुंह से कौर छीनकर, एक प्रिविलैज्ड क्लास को, कैपीटेलिस्ट क्लास को, रुपया देकर लोन्स एंड ग्रान्ट्स का, पोलीटीकल करप्शन का बेस आप बना रहे हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर और उनके कलीग्स की है। आपको लोन्स और ग्रान्ट्स के रूख को मोड़ना होगा, उन लोगों की जो पिसे हुए हैं। मैं शर्मा जी से कहना चाहता हूं कि क्या आपका काटेज इंडस्ट्रीज की तरफ रुख है। जब मैंने आपकी तरफ इशारा किया था तो मैं यह जानना चाहता था कि आप ग्रामीण उद्योगों की तरफ कितना पैसा देने जा रहे हैं।

कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए माननीय सदस्य ने कुछ आंकड़े पेश किये कि इतने करोड़ रुपये के लोन इंडिविजुअल्स को दिये गये। कानपुर में ६५ लाख, ९० लाख और १ करोड़ से ज्यादा के लोन दिये गये हैं। मैंने पहले भी कहा था और अब फिर दोहराता हूं कि किसी भी देश में सरकार कभी भी लोन किसी आदमी को नहीं देती है। आप इस लोन की परम्परा को तोड़ते हैं। लोन हमेशा इंस्टीट्यूशन्स को दिये जाते है, फाइनेंशल कारपोरेशन के जरिये दिये जाते हैं। आज यह सरकार शाही खान्दान में ही रुपये को बांटने की कोशिश करती है जो पैसा यानी कि गरीब जनता के लिये है। सन् १९४४–४५ में, जबकि अंग्रेज यहां था, उसने बिना सूद के, किसानों को मेसनरी बैल्स बनाने के लिये लोन दिया, आबपाशी के लिये। जहां कहीं आग लगती थी या कोई ऐसी और आफत आती थी, जैसे बाढ़ है, तो वह वहां बिना सूद के लोन देता था। मैं मिनिस्टर महोदय से जनाना चाहता हूं कि उन्होंने कौन-कौन सी मदें ऐसी इस प्रान्ट में रखी हैं जिनमें से वह बगैर ब्याज के गरीब किसानों को लोन देना चाहते है। आपने इन बड़े-बड़े मालदारों को, करोड़पतियों को ५ और ६ पर सेंट पर लोन दिये। चाहे वह पदमपत सिंहानिया हो या साहू–जन हो, उनके लिये आपका लोन ५ और ६ फीसदी के ब्याज पर है। यहां तक कि रिहन्द का सवाल आया और उसकी बिजली, जिस पर ५५ करोड़ रुपया खर्च हुआ, वह २ पैसे कम पर, जितने में वह पैदा होती है उससे २ पैसे फी यूनिट कम पर, बिड़ला को दी जा रही है। उस पर भी आपने जो इंटरेस्ट रखा है वह बहुत कम है। सरकार की नीति तो यह है कि वह पूंजीपतियों का पोषण करे लेकिन वह तस्वीर के अन्दर नहीं आना चाहती जो आना चाहिये। और यह सरकार जो सोशलिज्म का नारा लगाती है, वह उसको बन्द कर देना चाहिये। या जो भी स्कीमों का रुपया आप खर्च कर रहे हैं वह आप गरीबों के लिये, उनके मकानों के लिये, उनके बच्चों की पढ़ाने के लिये खर्च कीजिये। जो बच्चे फारेन कन्ट्रीज जाते हैं, उन बच्चों पर पैसा खर्च कीजिये। लेकिन आप जो भी रुपया खर्च करते हैं वह इंवी इन्डरट्रीज पर खर्च करते हैं और एजूकेशन पर बहुत कम खर्च करते हैं। एजूकेशन पर तो आप कुछ लाख रूपया ही खर्च करते हैं। फिर बताइये आपको इस मद में हम कैसे साथ दें ?

जहां तक मंत्री जी की लैंड एक्वीजीशन की बात है, कानपुर में बहुत सी जरखेज जमीन काश्तकारों से एक आना गज में पूंजीपतियों को दे दी। और जब छोटे-छोटे पूंजीवाले आये तो उनको १३५ रुपया गज में नीलाम करके दी गयी। काश्तकारों से १ आना गज मे ली गयी और १३५ रुपया गज में बेची गयी, यह करप्शन हुआ या नहीं ? इसी प्रकार से गाजियाबाद में आपने काश्तकारों की जमीन एक्वायर की और ऊंचे दामों पर उसको बेचा। जब इस देश में अपनी-अपनी मेहनत और रोजगार का मालिक बनने का हर एक को अधिकार दिया गया है तो फिर काश्तकारों को क्यों नहीं दिया गया। काश्तकार ने अपनी फसल का मालिक है, न अपने प्राफेशन का मालिक है और न अपनी जमीन का मालिक है। काश्तकार को अपनी जमीन बचने का फ्री-राइट क्यों नहीं दिया जाता है ?

कैसा का आपने राष्ट्रीयकरण किया। उसमें अफसरान की तादाद बढ़ी और मजदूरों की तादाद घट गयी। क्या यह कदम सरकार का एन्टीसाशलिज्म की ओर नहीं है ? आपको एक ठोस नीति अपनी चाहिये जिससे हम लोग जो सोशलिज्म में विश्वास करने वाले है वह कह सकें कि यह कांग्रेस सरकार अब सोशलिज्म की ओर बढ़ रही है।

*श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, सबसे पहले में इस कटौती के प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य, श्री बालोजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने भाषण में इस सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफाश किया, इतना ही नहीं बल्कि उनकी खाल खींच कर रख दी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री झारखण्डे राय]

अभी भाई बलवान सिंह जी ने एक अप्रासंगिक बात को उठा दिया। माननीया सुचेता जी ने इस बात की चर्चा की थी कि पोलीटिकल करप्शन फैल रहा है। उनका इशारा बहुत दूर था और जो लोग यहां थे उन्होंने उसको समझा भी था। वह बात सही थी और मैं उनका धन्यवाद देता हूं तथा उनके साहस के लिये उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ६ करोड़ ३१ लाख जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से हम लोगों के सामने एक प्रश्न पेश कर दिया। वह स्वयं इसके लिये कितनी जिम्मेदार हैं, उनकी पार्टी कितनी जिम्मेदार है, खुद कांग्रेस सरकार कितनी जिम्मेदार है, यह प्रश्न अलहेदा है। लेकिन उन्होंने एक प्रश्न जनवादी विचारकों के सामने रख दिया। उस पर हमें और आप सब को विचार करना है। माननीय बलवान सिंह जी ने उसकी यहां चर्चा की। उसका यहां कोई खास प्रसंग नहीं था। यदि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात न होती तो वे ऐसा न करते। वह एक गोष्ठी के अन्दर का आलोच्य विषय तो हो सकता था। आपस में बातचीत का विचार-विनिमय का प्रश्न हो सकता था लेकिन जो प्रश्न है वह बड़ा गम्भीर है। जो चुनौती थी उस को हमने मिलकर मंजूर करने की कोशिश की थी और उसका हमने एक संगठित उत्तर देने की कोशिश की है और मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर पूंजीपतियों के हाथ में बिकता है तो वह पतित होता है और अगर कोई पार्टी पूंजीपतियों से पैसा लेकर अपना मतलब सीधा करती है तो वह पतितय है और यदि कोई पार्टी विदेशों से पैसा लेकर बिकती है तो वह गुलाम है। सब को अपने-अपने दामन को देखना होगा और अपनी कमजोरियों पर स्वयं नजर डालना होगा और मैं सफाई के साथ कहूंगा कि अगर हिन्दुस्तान में राजनीति पूंजीपतियों के हाथ में गई तो जन संघ का यहां जनाजा निकल जायगा अगर देखने में जनवाद कायम भी रहा तो देश की आत्मा में तानाशाही होगी चाहे फौजी शासन न भी कायम हो। पूंजीपतियों के पैसे से चलने वाली पार्टी के नेता पूंजीपतियों के गुलाम बनेंगे उन के अधीन रहेंगे और इस देश का भविष्य भी अन्धकार में चला जायगा।

(श्री बलवान सिंह के कुछ कहने पर)

आप अपनी बकवास बन्द रखिये, आप बोलते थे तो हम शांति से सुन रहे थे। अब एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे देश का सब से बड़ा पूंजीपति टाटा है और नम्बर २ का आदमखोर पूंजीपति बिरला है। आप भी, श्रीमन्, अखबार पढ़ते हैं। आप ने भी देखा होगा कि कलकत्ता में सन् १९६४ की ५ अप्रैल को मारवाड़ी व्यापारियों की सभा में बिरला साहब ने अपना एक ऐतिहासिक भाषण किया और उन्होंने उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक वार्निंग दी जिसके शब्द यह हैं कि–

"Mr. G D. Birla recalled a warning he had made to Jawahar Lal Nehru that the Government's policy of humiliating the industrialists will recoil on them some time and make many a header head roll."

यह कुख्यात भाषण उन्होंने दिया और उसके बाद भी मंत्री जी ने उनको ट्रिब्यूटी पे किया और धन्यवाद दिया। यह आश्चर्य की बात है.....

श्री अधिष्ठाता–

आप इसकी हिन्दी कर दें।

श्री झारखंडेराय—

उन्होंने कहा कि मैंने जवाहरलाल नेहरू को इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर सरकार की नीति उद्योगपतियों को मान देने की न रही, अपमानित करने की रही तो बहुत से नेताओं

के सिर देश के मैदानों में लुढ़कते हुये मिलेंगे। इसको सुनकर भी बजाय इसके कि श्री पाटिल इस को रिबट करते उन्होंने और उनको ट्रिब्यूट पे किया। उन्होंने कहा कि:—

"They personified the age-old Indian tradition of earning money and spending it "on charity," The Congress probably spent Rs. 10 crores in fifty years in the struggle for independence, and he thought nine per cent of this money must have come from the Industrialists. The industrialists had accepted the Congress as their own party."

कांग्रेस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाली सब से बड़ी संस्था रही है। उसके प्रति यह ट्रिब्यूट नहीं है यह अपमान है। जिन्होंने तिरंगे झंडे के नीचे कुरबानी की उनके प्रति वह यह भाव प्रकट करते हैं उसके प्रति पाटिल साहब ट्रिब्यूट पे करते हैं तो दुख होता है।

जहां तक इस विषय का संबंध और इस ग्रान्ट का जब हम अध्ययन करते हैं तो मौजूदा सरकार के समाजवादी नीति चलाने का जो ढंग है उसका असली रूप स्पष्ट हो जाता है और सरकार की सही कैरेक्टर सामने आ जाता है। एक पबलिक अन्डरटेकिंग सरकार की नीति का नमूना होनी चाहिये लेकिन न विद्युत परिषद् में और न बिजली अन्डरटेकिंग में वह दिखाई पड़ता है। यह बहुत बड़ी चेतावनी है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। जब कोई भी समाजवाद की बात करता है तो कहीं न कहीं उसका प्रतिबिम्ब होना चाहिए। सरकार के अपने जो कारखाने हैं, अपनी जो अन्डरटेकिंग हैं, जितने इनके अपने काम-धाम हैं, उनमें समाजवाद परिलक्षित होना चाहिये लेकिन नहीं होता है। हमारी सरकार इस बात का दावा करती है कि वह एक माडल एम्प्लायर है लेकिन उनका दावा सही नहीं है। योग्य और ईमानदार व्यक्तियों की इस सरकार में कोई खपत दिखायी नहीं पड़ता है। मैं बहुत जिम्मेदारी क साथ कह सकता हूं कि मौजूदा सरकार के जितने भी उच्चतम स्थान पर बठे व्यक्ति हैं, उनम से एक श्री बी० बी० लाल थे लेकिन उनको दुर्गत कर दी है जिसे हम भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं। हम सब को इस बात का दुःख है। वह किसी मिनिस्टर की सिफारिश से नियम विरुद्ध काम नहीं करता था: उसका नतीजा यह हुआ है कि उन्हें भेज दिया गया है। जब ऐसी दशा है तो कैसे हमारा सुधार हो सकगा? और इसके लिये इस सरकार को सोचना पड़ेगा।

बिजली का जहां तक सम्बन्ध है, वह इन्सान को नया जीवन देती। है सन् १९१७ की क्रान्ति के बाद रूस में कहा गया कि अगर रूस की जनता को नया जीवन देना है तो वहां के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचा दो। पूरी सोवियट की बोल्शेविक सरकार जुट गयी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बार कहा था, वह सुनहरे शब्द मुझे याद हैं, कि हिन्दुस्तान की जनता को अगर नया जीवन देना है तो देश के प्रत्येक गांवों को इलैक्ट्रिफाई किया जाय। २ वर्ष पूर्व जबकि हमारे माननीय कैलाश प्रकाश जी ने भाषण दिया था तो उस समय कहा गया था कि इस स ल में हम ५,००० गांवों को इलैक्ट्रिसिटी पहुंचा रहे हैं। तो सोचा गया कि वहां इस सरकार का एक काम होगा जो ओवर फुलफिल होगा लेकिन मौजूदा मंत्री जी ने और विद्युत् अधिकारियों ने इसको छोड़ दिया है। आज वह नीति समाप्त हो गयी है।

जहां तक राज्य विद्युत् परिषद् का सम्बन्ध है, वह बिलकुल निरर्थक हो गयी है। सरकार के हुक्मों का और कानूनों की अवहेलना की पूरी ठेकेदार बनी हुयी है। १९४८ में जो न्यूनतम वेतन आयोग नियुक्त हुआ था उस की जो रिपोर्ट थी, उसको अभी तक भी लागू नहीं किया गया है। बोनस को जहां तक बात है वह भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। कुछ दिन पहले माननीय जगजीवन राम जी ने जो घोषणा की थी इस सरकार ने वह भी और अभी तक लागू नहीं की है। पिछले कुछ समय पूर्व एक हाई पावर कमेटी बैठी थी कि वह मजदूरों का पारिश्रमिक वेतन को निश्चय करे लेकिन आज तक उसने कोई रिपोर्ट नहीं दी है जब कि वायदा किया था कि ४ महीने के अन्दर वह अपनी रिपोर्ट दे देगी।

[श्री झारखण्डे राय]

अन्त में मुझे यह कहना है कि जब विद्युत् परिषद् दूसरे प्राइवेट कन्सर्न को अपने हाथ में ले लेती है तो बजाय उनकी जिन्दगी सुधारने के, उनको अच्छी तन्खवाह देने के, उनको मुआविजा अच्छे देने के, उनके मेहनताना देने के, आज उसका उल्टा हो रहा है। उनका जीवन बदतर से बदतर हो रहा है। यह कोई समाजवाद नहीं है, यह तो कोई प्रगतिशील पूंजीवाद भी नहीं है। विद्युत् परिषद् के दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

*श्री विश्वनाथ प्रसाद (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, कर्ज के बारे में मेरा ऐसा खयाल है, और जैसा मैंने सुना है, कि कर्ज लेना कोई अच्छी चीज नहीं है और कर्ज देने वाला भी ज्यादातर पानी हो जाता है। तो कर्ज लेना भी अच्छा नहीं और कर्ज देना भी अच्छा नहीं। मगर काम कैसे चले? किसानों के ऊपर कहा गया, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि २, ४ सौ रुपया कर्ज किसानों को देकर आप उनका क्या उद्धार करते हैं। करप्शन की बातें बहुत-सी कही जा रही हैं, वह किसी से छिपी नहीं हैं, लेकिन बरखवास्त देने म, उसके पास पैसा आने में कितना पैसा खर्च हो जाता है? मैं सुझाव देना चाहता हूं कि छोटी-छोटी सहायता जो गरीबों को देनी है उस को कर्ज न देकर सहायता देनी चाहिये। छोटे-छोटे कर्जों में उनका काम भी नहीं होता और उनको अदा करने में डबल कर्ज लेना पड़ता है इसलिये कर्ज की अदायगी, कर्ज लेना, फिर अदा करना, यही चक्कर पड़ जाता है और इसमें बरबाद हो जाता है। बड़े आदमियों से आप ५ फीसदी सूद लेते हैं, गरीब से ९ प्रतिशत लेते हैं। १,००० रुपये का कर्ज लेने वाले गरीब और अमीर में साल भर में ही ४० रु० उसको ज्यादा देना पड़ता है। इसलिये सरकार किसानों को, गरीबों को छोटा-छोटा कर्ज न देकर के उनको सहायता देने की परिपाटी निकाले तो ज्यादा अच्छा होगा।

आपने पालिकाओं और महापालिकाओं के कर्ज की बात बतायी। मैं जानता हूं कि यह जो कर्ज आप से लेती हैं उस में आप ने बहुत से बन्धन लगा रखे हैं। आप ने कहा कि इतना रुपया कर्ज अगर हमसे लोगे तो इस रुपये से काम बनाने के लिये हमारे एल० एस० जी० ई० डी० से काम करवाना पड़ेगा। अब आप देखें सरकार के इस विभाग से काम बनवाने में और जो काम पालिकायें और महापालिकाओं खुद अपने आदमियों से काम करवाती हैं उसमें बहुत बड़ा अन्तर हो जाता है। किसी को एक दम से कह देना कि सब बेईमान हैं जरा अच्छा नहीं होता, मगर ज्यादातर मैंने भी देखा है, पालिकाओं की मैंने भी सेवा की है, कि जितना भी काम एल० एस० जी० ई० डी० से सरकार ने बनवाया, करोड़ों रुपया सरकार के ऊपर कर्जा लदा उसमें से ४० फीसदी महापालिका के हाथ में नहीं आया और लोगों ने खाया। काम करने का नतीजा यह हुआ कि उल्टा काम हुआ। पानी को जहां निकासी होनी चाहिये उसका कोई ठिकाना नहीं। जितने सीवर बन चुके थे उनमें बरसात में मिट्टी आकर भर गई और सारा पैसा बरबाद हो गया। लेकिन बाडीज जो आप से कर्जा लेती हैं, एक तो आप ने कर्जा दे दिया, आप को समझना चाहिय कि कौन सी ऐसी जरूरत है। अनापशनाप खर्च होता है। मालूम होता है कि कर्ज अदा ही नहीं करना है और नतीजा यह होता है कि फिर जनता पर जबरदस्ती टैक्स लादा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं बतलाता हूं कि बनारस महापालिका को कहा गया कि तुम्हारे यहां पानी की कमी है। कुछ कमी है भी। सवाल हुआ कि करोड़ों रुपया लेंगे तब वाटर वर्क्स बनाया जाय। फिर उसके लिये जमीन मिलना मुश्किल था। लेबिल का सवाल था। लकिन हमने और मेयर ने सोचा कि यह गलत बात है। इतना रुपया लगा कर क्या होगा? नलकूप लगा दिये जांय। एक नलकूप ८०, ९० हजार में बन जाता है। १० नलकूप बना दिये जायं, ८ लाख रुपये में हो जायगा। इस तरह से ८ लाख में सारा कष्ट दूर हो गया। अगर दूसरा वाटर वर्क्स बनाते तो करोड़ों रुपये लग जाते और ब्याज उस पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कितना होता, उसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। जितना ब्याज पड़ता उससे कहीं कम रुपया में हमारा काम हो गया। लिहाजा आपको यह देखना चाहिये कि जो रुपया आप देते हैं उनको, वह जा कहां रहा है, किस काम में खर्च हो रहा है और कम रुपये में वह काम हो सकता है अथवा नहीं। कायदे कानून बने हैं लेकिन मंत्री जी के पास सिफारिशें आती हैं जिससे यह सब होता है। उन महापालिकाओं को कर्ज मिलने में दिक्कत होती है जहां कांग्रेस का बहुमत नहीं है। यह भी बड़ा पाप है। इसमें सुधार होना चाहिये।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि लोग करप्शन की बात बहुत कहा करते हैं। बलवान सिंह ने उसका उत्तर दिया। बात बहुत अंशों में सही भी है। भगवान जाने वह बड़ा भारी भाग्यशाली होगा जिसने करप्शन न किया हो। चुनाव के लिये कानून है कि इतना पैसा खर्च किया जाय लेकिन कोई कह सकता है कि उसने उन उन कामों में ही पैसा खर्च किया है? इलेक्शन की बात को करप्शन की बात में और रिश्वत की बात में जोड़ना है तो हम भी उससे बरी नहीं हो सकते। अगर हममें इतना आत्म संयम है कि कायदे कानून के खिलाफ हम नहीं करेंगे भले ही चुनाव हार जायं तो बात ठीक है। फिर इस पार्टी से चले गये। क्या सिद्धान्ततः चले गये? जिस बात की वकालत यहां पर कर रहे थे मन्त्री बन कर दूसरी बात कहने लगे। जिन्दगीभर जन संघ और आर्य समाज की सेवा करते बीती और आज हम कांग्रेस में चले जायं। क्यों? मंत्री पद जो मिलता है। यह करप्शन नहीं है तो क्या है?

श्री अधिष्ठाता---

आप का समय समाप्त।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उत्तर प्रदेश में ७५ फीसदी लोग कृषि पर निर्भर हैं।

श्री बांकलाल (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कमलासिंह यादव---

मैं कह रहा था कि ७५ फीसदी यहां की जनसंख्या की जीविका कृषि पर निर्भर है लेकिन जब किसानों की हालत को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि न तो वह जमीन का मालिक है, न अपनी जायदाद का मालिक है और न अपने परिश्रम का ही मालिक है बल्कि उसकी जिन्दगी इतनी खराब है कि जिस तरह से लोग चाहें उसका एक्सप्लायटेशन करें, न कोई सुनने वाला है, न कुछ। दूसरी तरफ हम यह देख रहे हैं, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा, कि इस प्रदेश में लूट मची हुई है और धन का बंटवारा इस प्रदेश में इस तरह से किया जा रहा है कि न तो उसका कोई आधार है, न कोई नीति है। जहां पर कुछ खास प्रकार के व्यक्तियों को फायदा हुआ कि बही कर दिया। हम समझते थे कि स्वराज्य होगा तो किसानों को कुछ राहत मिलेगी लेकिन हम देखते हैं कि स्वराज्य के पहले किसान ७ करोड़ रुपया लगान के रूप में देते थे लेकिन अब २५ करोड़ रुपया देने लगे हैं। इसके अलावा जो खेती के पुराने तरीके थे, जो पुराने औजार थे वे सब वहीं चले आ रहे हैं। पैदावार में भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। आज एक नई चीज कही जा रही है कि हम सहकारिता के आधार पर खाद और इम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। यह भी कहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

जाता है कि हम उनको कर्जा भी दे रहे हैं। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि आखिरकार यह किसे दिया जा रहा है तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि किसानों को लूटने का ढंग अपनाया गया है। पहले एग्रीकल्चर विभाग से जब खाद मिलती थी तो साढ़े पांच परसेंट पर मिलती थी जो अब सहकारिता विभाग से ९ परसेंट पर मिल रही है। किसानों को जो कर्जा दिया जा रहा है उसका रेट आफ इंटरेस्ट बहुत ऊंचा है। मैं समझता था कि जिस तरीके से उद्योगपतियों को ३, ४ या ५ परसेंट पर कर्जा दिया जाता है उसी पर किसानों को भी दिया जायगा। लेकिन आज उल्टी चीज चल रही है।

जब रिहन्द बांध बन रहा था तो हमें उम्मीद थी कि इससे बिजली पैदा होने पर हर गांव को बिजली मिल जायेगी। इसका नतीजा यह होगा कि किसान छोटे-छोटे उद्योग लगाकर अपनी दशा को सुधार लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि आज स्थिति इसके विपरीत होती जा रही है। अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। माननीय सदस्यों ने विद्युत् परिषद् का जिक्र किया कि वह घाटे पर चल रहा है। टैक्नो इकोनोमिक सर्वे आफ उत्तर प्रदेश में लिखा है कि—

"The State Electricity Board is working on a loss. This is largely due to the predominance of costly thermal generation and uneconomic cost of transmission over long distances. The rates for power supply are already high. The recently effected upward revision of the high tariff will not solve the defect. Early completion of the disjointed power grid by expending the 132 Kv and 230, Kv lines under construction, and developing the electrified regions to saturation with cheap and abundant hydel power from Rihand and other new schemes and a judicious integrated operation of all the power stations in the grid should be thought of."

इस तरीके से यह देखा जा रहा था कि बिजली की रेट हमारे यहां बहुत ऊंचा है। बनारस में ४ आने यूनिट डोमैस्टिक परपज के लिये और ३ आने यूनिट इंडस्ट्रीज के लिये बिजली मिलती थी। जब कि हमारे जिले में साढ़े सात आने या आठ आने यूनिट डोमेस्टिक परपज के लिये और ६ आने इंडस्ट्रीज के लिये मिलती है। मैं समझता हूं नेशनलाइजेशन के बाद हालत और भी ज्यादा बदतर हो गई है। पहले हम देखते थे कि बिजली २० बार फेल होती थी तो अब ३० बार फेल होती है। इससे कोई लाभ नहीं हुआ है। माननीय सदस्यों ने कहा कि विद्युत परिषद् घाटे पर जा रहा है और मंत्री जी ने इसका पता नहीं लगाया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अनुदान पर ही ज्यादा ध्यान दें।

श्री कमलासिंह यादव—

जी हां, मैं उसी तरफ जा रहा हूं। विद्युत् परिषद् जो घाटे पर जा रहा है यह मन्त्री जी का स्वयं का क्रियेशन है। रिहन्द से बिजली साढ़े चार लाख किलोवाट पैदा होती है जिसमें से डालमियां को आधी बिजली २ पैसे यूनिट के हिसाब से २५ साल के लिये दे दी है। इसका नतीजा यह है कि ५० लाख रुपये का हर साल घाटा हो रहा है और २५ साल का ठेका है। अब आप सोच लें कि साढ़े बारह करोड़ रुपये का घाटा है तो अगर इस तरीके पर यह होगा कि मंत्री जी या कोई भी परिषद् का अध्यक्ष जो पावरफुल हो, इतने बड़े देश के धन का दुरुपयोग करे, तो मैं नहीं समझता कि यह कैसे कोई उचित बात हो सकती।

ट्यूबवेल्स जो हैं, उनका भी एक तरह से सरकार ने नेशनलाईजेशन कर रखा है। ट्यूब वेल के लिये १२ परसेन्ट का रेट पर बिजली दी जा रही है। इस सम्बन्ध में टैक्नो एकानामिक सर्वे आफ उत्तर प्रदेश, में दिया हुआ है कि—

तो आप देखें कि इस तरह से ट्यूब वेल में बिजली का रेट इतना ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। स्टेट ट्यूब वेल का सवाल है, उसको १२ पैसे के रेट पर और बड़े आदमी को दो नये पैसे के रेट पर आप दे रहे हैं। जो यह भेद-भाव की चीज है, यह बहुत गलत चीज है।

पहले कहा जाता था कि रिहन्द डैम में बिजली बहुत ज्यादा होगी और हर गांव में बिजली लाइन उससे पहुंचेंगी, और बिजली की उपलब्धि के कारण गांव गांव में स्माल स्केल की चीजों के कारखाने खुलने लगेंगे। ऐसा होता तो आप गांव के गरीब लोगों की कमर मजबूत कर सकते थे। किन्तु आज अगर एक गांव से दूसरे गांव में बिजली ले जानी है और रास्ते में दो गांव और पड़ते हैं तो जो गांव छूट गये, उस सारे की लाईन का खर्चा ले लिया जाता है, लेकिन अगर उद्योगपति को बिजली देना होगा तो कोई लाइन खर्च नहीं लिया जायेगा, तो यह कैसी आपकी नीति है। यह आप दो आंखों से जो देखते हैं, यह नीति उचित नहीं है। बड़े-बड़े उद्योगपतियों से और पूंजीपतियों से आप अपने धन की वसूली की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन किसान की फसल जब कि वह खेत में ही खड़ी रहती है, उससे रुपया वसूल हो जाता है। करोड़पतियों के ऊपर १९६५ की आडिट रिपोर्ट के अनुसार ११.७१ करोड़ रुपया आज भी सेल्स टैक्स का बाकी है और ३.२७ करोड़ रुपया सैस और परचेज टैक्स का शुगरकेन पर जो है वह भी बाकी पड़ा हुआ है। लेकिन उस की वसूली नहीं हुई। जनरल विभाग के जो कान्ट्रेक्टर्स हैं उन पर आज भी ५.४० करोड़ रुपया बाकी है, लेकिन उसकी वसूली नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम देखें कि जहां तक किसानों का सम्बन्ध है, उनको हाई रेट आफ इन्ट्रेस्ट पर रुपया दिया जा रहा है, सामान भी हाई रेट आफ इन्ट्रेस्ट पर दिया जा रहा है और बड़े बड़े उद्योग वालों को जिनको आप व्यापारी कह कर व्यापार के लिये रुपया देते हैं उनको इतने कम रेट पर दिया जा रहा है। जबकि वे इतना अधिक लाभ उठाते हैं कि उनसे ब्याज की दर ज्यादा ली जानी चाहिये। इसका नतीजा यह है कि किसानों की कमर तोड़ी जा रही है और उद्योग-पतियों की कमर सीधी की जा रही है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

मैं समझता हूं कि इस पर अब काफी विवाद हो चुका है, अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब विवाद समाप्त किया जाए।

श्री उग्रसेन--

नहीं, नहीं अभी कैसे समाप्त होगा, अभी बहुत लोग बोलने को बाकी हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, आज का जो अनुदान है, उसके द्वारा सरकार किसानों को कर्ज देती है, इस अनुदान के द्वारा नगर महा-पालिकाओं और महापालिकाओं को ऋण देती है और विद्युत् परिषद् आदि को ऋण देती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आज का अनुदान प्रदेश के जन-जीवन से पूरी तरह से सम्बन्धित है। श्रीमन्, लघुउद्योगों में ४२ फीसदी कर्ज का दुरुपयोग हुआ है। अब अगर यह होता है तो प्रदेश का औद्योगीकरण कैसे हो सकता है। लोगों ने रुपया लिया किसी काम के लिये और खर्च किया किसी में, और उसके वसूल करने के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि जो इस तरह से रुपया लेकर उस काम में इस्तेमाल नहीं करता जिसके लिये उसने रुपया ले लिया है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई या नहीं, इसके लिये इनके पास कोई तरीका नहीं है। हमारे यहां एक सज्जन हैं जो भारत सरकार के डिप्टी मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं। उन्होंने नियोजन विभाग से गांव सभा में भट्टा लगाने के लिये ८ हजार रुपया ले लिया और उसको वापस तक नहीं किया, कहां खर्च कर दिया, पता नहीं। सरकार ने आश्वासन दिया कि वह रुपया वापस लिया जायगा लेकिन वह नहीं वसूल हो सका। अब बताइये कि यह प्रदेश और देश कैसे चल सकता है, इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा।

[श्री ऊदल]

कोआपरेटिव फेडरेशन को करोड़ों रुपया कर्जा हर साल दिया जाता है। कभी इस बात की परवाह नहीं की गयी कि किस काम पर खर्च किया गया है। सरकार इस बात पर विचार करे कि जो रुपया दिया गया है उसकी वसूली कैसे होगी। लेकिन यह नहीं हो रहा है और उससे १० करोड़ रुपये का घाटा है और सरकार उसको वसूल नहीं कर पा रही है।

सरकार ने नगरपालिकाओं को काफी रुपया दे रखा है। माननीय डिप्टी वित्त मंत्री जी की फैजाबाद नगरपालिका को लाखों रुपया दिया गया है, मेम्बरों के मकान और उसकी सज्जा के लिये, लेकिन वह रुपया उस काम में इस्तेमाल नहीं हुआ। यही हाल सारे प्रदेश की नगरपालिकाओं का है। करोड़ों रुपये कर्जे का पड़ा हुआ है लेकिन कोई पुरसा हाल नहीं। विद्युत् परिषद् का हाल तो यह हो गया है कि "परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावै मनहि करहु तुम सोई।" विद्युत परिषद् के अधिकारी तो यहां तक कहते हैं कि मुख्य मंत्री कुछ नहीं जानतीं और मन्त्रियों को क्या मालूम है कायदे कानून की बात। यह सरकारी संस्था है श्रीमन्, लेकिन यह कहना कि मंत्रिमंडल से क्या मतलब है। सरकार उसको करोड़ों रुपये देती है लेकिन सरकार से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से अधिकारी स्वछन्द हो जायं, निरंकुश हो जायं तो क्या होगा इसे आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। प्रदेश विद्युत् के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है और भी खराब हालत हो जायगी। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि प्रदेश में बिजली का रेट वैसे ही मंहगा है, प्रोडक्शन कम है हिन्दुस्तान के पैमाने पर और उसके बावजूद भी दस पन्द्रह किस्म के रेट्स हैं। मान्यवर, अगर आप देखें तो मालूम होगा कि जो किसानों के लिये बिजली का रेट है वह दूसरा है। जो लोग अपने यहां पंखे के लिये बिजली लेते हैं वह दूसरा रेट है। इसके साथ साथ थर्मल का रेट दूसरा है। डीजिल का रेट दूसरा है और हाइडल का रेट दूसरा है। ये सब रेट हमारे प्रदेश में अलग अलग हैं। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इन सब का एक रेट हमारे प्रदेश में होना चाहिये। यह भी देखा जाता है कि प्रदेश में विद्युत् परिषद् बिजली कम्पनियों को जिस रेट पर बिजली देती है वह जनता को अधिक रेट पर बिजली देते हैं। इसी तरह से वाराणसी में भी मार्टिन कम्पनी अधिक रेट पर बिजली देती है। सरकार को यह मालूम है कि प्राइवेट कम्पनियां देश में करोड़ों रुपया मुनाफा पैदा कर रही हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये और इसको बन्द करना चाहिये जिससे वह जनता को इस तरह से न लूट सकें।

जहां तक कर्जे का सवाल है किसानों को ६ १/४ फीसदी पर कर्जा दिया जाता है और सहकारी क्षेत्र में २/३ फीसदी पर दिया जाता है लेकिन जो उद्योगपति हैं और उद्योग चला रहे हैं उनको ५/६ परसेन्ट पर कर्जा दिया जाता है। यहां पर कर्जा देने की जो दर है, अलग अलग है। यह खेद की बात है कि किसानों को, जो इस प्रदेश के रीढ़ की हड्डी हैं उनको ६ १/४ फीसदी पर कर्जा मिलता है और जो उद्योगपति हैं और जिनके मुनाफे के लिये कोई बन्धन नहीं हैं और न सरकार उनके मुनाफे पर रोक लगाती है उनको ४/५ प्रतिशत पर कर्जा दिया जाता है। दूसरी तरफ किसानों की यह हालत है कि उन को निर्वाह करना मुश्किल है और जिनकी संख्या इस प्रदेश में ७० फीसदी है। उनसे इतना अधिक सूद लेना उनके साथ अन्याय करना है। उनके साथ इन्साफ होना चाहिये। जितने कम सूद पर किसानों को कर्जा दिया जाय उतने कम सूद पर उनको देने की कोशिश करनी चाहिये।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कहा गया कि वाराणसी में जो मार्टिन बर्न कम्पनी है उसका राष्ट्रीयकरण किया जायगा। उसका राष्ट्रीकरण नहीं किया गया बल्कि उल्टे उस कम्पनी को २।।, ३ करोड़ रुपये का कर्जा दे दिया गया और २ करोड़ पहले का था तो इस तरह से उस कम्पनी को ५।। करोड़ रुपया दे दिया गया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उसका राष्ट्रीयकरण करना तो दूर रहा उससे आपको सूद मिला या

नहीं ? और रुपया वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की ? मैं मांग करता हूं कि मार्टिन बर्न कम्पनी या दूसरी इसी तरह की जो कम्पनी हैं उनका जल्द से जल्द राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। सरकार बराबर कर्जा लेती चली जाती है। सरकार के ऊपर ६०० करोड़ रुपये का कर्जा है। उस कर्जे का सूद सरकार को ३० करोड़ रुपया सालाना देना पड़ता है। कर्जा लेना और देना इससे काम चलने वाला नहीं है। विद्युत परिषद को यह सरकार अपने हाथ में ले। जब विद्युत परिषद का दिवाला निकल जायगा तो उसका नतीजा यह होगा कि प्रदेश का वह रुपया वसूल नहीं होगा और जनता की तकलीफ दूर नहीं होगा।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज का जो ऋण सम्बन्धी अनुदान है उसके लिये मैं यही कहूंगा कि "गुण ना हिरानो गुण ग्राहक ही हिरानो है।" आपकी जो योजना है वह इसी तरह से है कि "मियां की जूती मियां की चांद।" यानी किसान का पैसा और किसान को ही कर्ज। इसके साथ ही मुझे एक कविता याद आती है जो बड़ी ही मनोरंजक है। कर्ज काढ़ व्यवहार चलावै, छप्पर डारे तारो, सारे के संग बहिनी पठवे, तीनों के मुंह कारो। बहुत सूक्ष्म में मैं एक बात और कहूंगा कि सरकार से कर्जा लेने में गरीबों को सैकड़ों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पटवारी, वासिल बाकी नवीस और ग्राम सेवक की पूजा करने के बाद भारी सूद की दर पर किसान को कर्जा मिल पाता है। बड़े आदमियों को कम सूद की दर पर कर्जा मिल जाता है और उनके मिलने में दिक्कतें भी बहुत कम होती हैं। गरीबों के लिये बिजली की दर बहुत ऊंची और डालमियां, बिड़ला के लिये बहुत नीची। "यह माना सीजोजर वाला, अक्सर मय नहीं पीता, मगर उसकी तरह मयकश बशर का खूं नहीं पीता।" उन खून पीने वालों के लिये यह रियायत समझ में नहीं आती। क्या यही समाजवाद है ? आज के समाजवाद के लिये मैं केवल दो शब्द कहना चाहता हूं।

मैं अपने गुरुज्ञानी अन्तर्ध्यानी से पूछना चाहता हूं कि आप इस डिबेट में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं और मौन क्यों हैं, मौन डिप्लोमेसी वह जालिम अदा है जिसका स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता है। मालूम पड़ता है कि आज का समाजवाद एक प्रदर्शनी है। प्रायः जो कि कभी भुवनेश्वर, कभी जयपुर कांग्रेस अधिवेशनों में सजायी है, आपका समाजवाद एक पुराना चियड़ा है जो बगैर बैनर के पार्टी वाले, एलेक्शन के समय अपने दफ्तर के सामने लटकाये रहते हैं, आज का समाजवाद बिना बुलाया मेहमान है, अपने आप जो कि मीटिंग में चला आता है और श्रोताओं को डिस्टर्ब करता है। आज का समाजवाद राजनीति के गले में अटकी हुई हड्डी है जो न निगलने में आती है और न थूकने में आती है। आज का समाजवाद गेट वे आफ इंडिया का सा बहुत ऊंचा दरवाजा है जहां अमेरिका और रूस के खयालों के परिन्दे खोले और उतारे जाते हैं। आज का समाजवाद एक ताजा खंडहर है जो अकारण लोगों के लिये दर्शनीय हो गया, आज का समाजवाद दस्युओं की एक टोली है जिसकी नजर तिजोरियों और जेबों पर है। आज का समाजवाद बिना टिकट वाला एक मुसाफिर है जो राजनीति की रेल में सीट के नीचे टिकटचेकर के डर से छिप गया है। आज का समाजवाद एक शिशु है जिसे घुट्टी में ही जहर दे दिया गया है। आज का समाजवाद राजनीति के फिल्म का एक अश्लील दृश्य है जो सेंसर कर दिया गया है। आज का समाजवाद डेड लेटर बाक्स में पड़ी हुई चिट्ठियां हैं जिन पर पता ही नदारद है। आज का समाजवाद मुंह में डालने वाला वह लेमनचूस है जिसके चूसने से उबकाई आती है, आज का समाजवाद एक चेक है जो कि खाते में कोई रकम न होने की वजह से बेकार है। आज का समाजवाद एक फूटा हुआ ढोल है जिसका बजाने वाला लूला है। आज का समाजवाद एक कर्मनाशा नदी है जो समुद्र से निकल कर पहाड़ पर चढ़ती है, आजका समाजवाद एक रागिनी है जिसमें स्वर और ताल

[श्री लोकपालसिंह]

का कोई नाम तक नहीं है। आज का समाजवाद टाई में लगाने वाला पिन है जिसको अवसर वादी लोग अपनी टार्च में लगाये रहते हैं। आज के समाजवाद में सोडी चमड़े की पोर्ट-फोलियो है जिसको खद्दर पोश लोग अपनी बगल में दबाये घूमते फिरते हैं, आज का समाजवाद विष से भरा लोटा है जिसका पैंदा ही नहीं है, आज का समाजवाद एक मस्त हस्तिनी है जिसके ऊपर कोई अंकुश ही नहीं है। आज का समाजवाद एक हवाई जहाज है जो विरोधी दल के पहाड़ से टकरा कर टूट गया है जिसके अवयव इधर उधर जा पड़े हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री लोकपालसिंह—

वातावरण के ठीक न होने के कारण अब उसके अवयव भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और उधर से बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। सवेरे ठीक ही किया जो न बोले "विभूषणं मौनं अपण्डितानां।" उधर के किसी बोलने वाले ने इस पक्ष का प्रतिपादन नहीं किया, मैं बोल कर क्या करूं? यही समाजवाद का चिट्ठा खोल कर रख दिया है। मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपने स्थान को ग्रहण करता हूं।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

अधिष्ठाता महोदय, इस अनुदान पर जो उधर से कटौती पेश की गयी है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ है। श्रीमन्, आज विद्युत पर अनुदान है, मुझे जरा रोकियेगा नहीं। इसमें, श्रीमन्, कर्जा और व्याज की चर्चा है। पहले कर्जा सहकारी समितियों के द्वारा मिलता था। उनको बदनाम किया जाता था। अब हमारी सरकार कर्जा देती है। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस सरकार के कर्जे से गरीब तो वंचित है, उसको कर्जा मिलता ही नहीं। अव्वल तो उसको जामिन ही नहीं मिलेगा। हमारी पड़ोसी पंजाब की सरकार की नीति ऐसी है कि वहां की सरकार के कर्जे से गरीबों को, हरिजनों को, छोटे-छोटे मजदूरों को फायदा हुआ। हरिजनों के पक्के मकान गांव-गांव में बन गये हैं और सरकार ने कर्जा और अनुदान दिया है और फिर बिजली लगवा दी है और हमारे यहां क्या हो रहा है बिजली विभाग में? अव्वल तो हमारे जिले में मेरी तहसील हाटा में बरसाना, नन्दगांव इत्यादि गांव हैं जो जो कि पंजाब और राजस्थान से मिले हुये हैं। पहले तो इस प्रान्तीय सरकार का शरीर ही लबड़धोंधों का हो गया है। इस सरकार के काबू में ही यह सब नहीं आता। सरकार और सरकार के अधिकारी देख ही नहीं सकते कि क्या हो रहा है। हमारे यहां अगर देख सकते तो बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों को देखना चाहिये कि इस सूबे में बरसाना, नन्दगांव जैसे तीर्थ स्थानों की क्या स्थिति है जिनको दुनियां जानती है। वहां बड़ी मुश्किल से तो कुछ चेत हुआ बिजली विभाग को। वहां १८ साल में सन् ६५ में वहां खम्भे गाड़ते हुये चले गये, लाइन पहुंच गयी। राममूर्ति जी गये थे। विकास मेले में उनको मानपत्र भी दिया था। मैं तो था नहीं। मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, यदि मैंने ठीक सुना। मंत्री जी मेरे साथी है। श्रीमन्, करीब एक साल के होने का रहा है, २-३ महीने उसमें कम होंगे, अभी तक वहां बिजली पहुंचने की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। खाली खम्भे गड़े हुये हैं, यह बिजली विभाग वाले कुम्भकरण की नींद सोये हुये हैं, इनको इतना तक पता नहीं कि हमने कहीं खम्भे गाड़ रखे हैं और हमको कहीं तार भी खींचना है। तो यह है श्रीमन्, बिजली विभाग का नमूना।

मैं समझता हूं श्रीमन्, हमारे यहां ही नहीं, सारे सरहदी इलाकों की यही हालत होगी। वे लोग सरकार के पास गलत रिपोर्ट भेज देते है। सरकारी आंकड़े गलत होते हैं, और सही बात इनको पता नहीं होती। आंकड़ों से यहां सदन में कह देते हैं कि इतनी बिजली बढ़ी, यह हुआ,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह हुआ। मगर होता कुछ नहीं है। हमारे यहां दो तीन जगह जो प्राइवेट लोगों ने बिजली की मशीन लगा रखी है वह जो बिजली देते है वह १०-१२ आने यूनिट के हिसाब से देते हैं।

श्रीमन्, यह सरकार जो ७६ करोड़ से ज्यादा का अनुदान मांग रही है, वह क्यों मांग रही है ? बहुत जल्दी ही, ८-१० महीने में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। हर कांग्रेसी एम० एल० ए० के चुनाव में कम से कम ८-१० हजार रुपया खर्च आता है। उसके लिये पैसा कहां से आये। मेरा कहना है कि इस अनुदान का कम से कम १० प्रतिशत भाग कांग्रेसियों के चुनाव के काम में खर्च होगा।

श्रीमन्, हमारी सोशलिस्ट पार्टी ही एक पवित्र पार्टी है। उसकी चादर में कहीं आपको कोई धब्बा नहीं नजर आयेगा। (व्यवधान) सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों को, एक एक सदस्य को डेढ़ लाख जनता ने चुन कर भेजा है। इस पार्टी के लोग तपे हुये और ईमानदार लोग हैं। अगर कोई भी पूंजीपति हमारे पास आयेगा तो हम ठोकर मार देंगे। अभी परसों ही चुनाव होगा, आपको मालूम हो जायेगा कि उसमें क्या क्या होता है। कौन जीतता है, कौन हारता है, किस तरह का कार्य होता है। यह अंगद के पैर गड़ाकर खड़े रहने की ताकत किसी में है तो यह सोशलिस्ट पार्टी है। दूसरी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें से भी दो भाग गये हैं। यह साफ बात है। इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है। मैं यह कह रहा था कि इस अनुदान में से बहुत बड़ी रकम कांग्रेस के चुनाव में चली जायेगी।

(इस समय ३ बज कर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुये।)

ऐसा हमें भय है इसके सौदे पटते रहते हैं, विशेषकर दो एक मंत्रियों को छोड़ कर। कुछ मंत्री भी ऐसे हैं जो सुनते ही नहीं और मैं कहता हूं कि सुन लीजिये। आठ नौ महीने रह गये हैं सुन लीजिये। हमारा भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो जनता टकटकी लगाये बैठी है और देख रही है। यह कर्जा इन आठ नौ महीनों में दे दो। किसानों के बैलों का कर्जा नहीं दिया जाता। किसानों की बैल की जोड़ी का कर्जा दो। कम से कम अब के भाव में बैल एक या डेढ़ हजार से कम कीमत पर नहीं मिल सकता।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या कुछ समय निर्धारित है।

श्री अधिष्ठाता--

जो आम तौर से समय रहता है वही निर्धारित है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

हमने देखा कि लखी सिंह जी बोलना चाहते थे पर.....

श्री अधिष्ठाता--

आप नेता हैं दल के सदन में और अभी तीन बजे हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अभी कहा था कि माननीय रामसुन्दर जी पांडेय सदन के नेता हैं। क्या ये वातस्व में सदन के नेता हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

मैंने लखीसिंह के दल के नेता को बताया था। आपको घबड़ाहट नहीं होनी चाहिये। नेता विरोधीदल आपके ही दल के हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय, यह अनुदान ऐसा है कि सत्ताधारी दल के लोगों को दिलचस्पी इस अनुदान में नहीं है और कुछ ऐसा लगता है श्रीमन्, आप जानते हैं सदन में आपको भी दस साल का समय हो रहा है, जिस अनुदान से दिलचस्पी हो या कुछ मिलने की आशा हो, या न मिलने पर परेशानी हो, तभी माननीय सदस्य इस सदन में अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो उधर के सज्जन जब बोलते नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को व्याज या ऋण देने के सम्बन्ध में जो नीति है, उसका क्या वह हाउस समर्थन करता है। श्रीमन्, यह पहिला दिन है इस पूरे बजट सैशन में कि उधर के कांग्रेस पार्टी के सदस्य लोग बोल नहीं रहे हैं। अब तक जितनी ग्रान्टस पारित हुई हैं, अब तक जितने अनुदान पारित हुये हैं उनमें उधर वाले उतना ही हिस्सा लेते रहे हैं जितना कि इधर के लोग लेते रहे हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो व्याज और ऋण की मद है, उस मद का समर्थन कांग्रेस के सभी सदस्य करते हैं। इसीलिये ऐसे महत्वपूर्ण अनुदान पर, जिसमें ७७ करोड़ रुपया दिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी। उससे ऐसा लगता है कि व्याज और ऋण में उनका भी कोई हिस्सा है। अगर हिस्सा न होता तो वे अवश्य ही हिस्सा लेते। हमें तकलीफ होती है जब राजनैतिक विचारधारा के लोग भी खराब कामों में हिस्सा लेते हैं तो फिर देश कहां जायगा। श्रीमन्, आप भी उसी परिवार में से आये हैं जिन्होंने देश की आजादी में हिस्सा लिया है, खून पसीना एक किया है। ऐसा लगने लगा है कि कहीं उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा अवसर तो आने वाला नहीं है जब पूंजी के बल पर, ऋण के बल पर जब देश और प्रदेश में शासन स्थापित हो जायगा जिसमें सामाजिक काम के प्रति, जनता की खुशहाली के प्रति लोगों की उदासीनता होती चली जायगी। आज देश में और प्रदेश में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो स्वच्छ भावना से, बिना किराया भाड़ा प्राप्त किये, उस जनता की तकलीफों के लिये चल पड़े जो सदियों से दबी हुई है, जिसका दिल कुछ प्राप्त करने को चाहता है, लेकिन उसको कहीं से सहारा नहीं मिलता। करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनको कोई सहारा देने वाला नहीं है। इधर के बैठने वाले उसी काम को कर रहे हैं जिस काम को कांग्रेस सन् ४८ के पहले करती थी। मुझे महसूस होता है कि कुछ दिनों के ही बाद ऐसे लोग इस हुकूमत में पहुंच जायंगे जिनको जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं होगा, उनका केवल एक मतलब होगा शासन को हथियाना और उत्तर प्रदेश में मालूम होता है कांग्रेस पार्टी की उदासीनता से वह दिन उसके शासन काल में ही आ जायगा। जनता में जिस समय राजनीति के प्रति उदासीनता होती है, जनता की जब यह भावना हो जाती है कि राजनीति से हमें क्या मतलब, हम तो गरीब हैं गरीब ही रहेंगे, वह किसी देश के लिये सबसे खराब समय होता है। उस समय ऐसे लोग राज काज में हिस्सा लेने लगते हैं जिनका जनता की खुशहाली से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है और जब हमारे जैसे लोग भी उनको पनाह देने लगे हैं तब हमें सोचना पड़ता है कि इस देश का क्या होगा। श्रीमन्, अगर हम लोग गोली न खाये होते, जेलखाने के सींखचों में न रहे होते, हजारों लाखों माता बहिनों का सुहाग न लुटवाया होता देश की आजादी के लिये तो हमें कष्ट न होता लेकिन उन लोगों को आज कष्ट नहीं है जिन्होंने कुरबानी नहीं की है, एक कतरा खून भी नहीं बहाया है, उनको देश का मोह नहीं है और वह थैली और पूंजी के बल पर शासन की सत्ता अपने हाथ में हथियाये रखना चाहते हैं और यह कांग्रेस पार्टी खुल कर किसी न किसी तरह से उनको मदद दे रही है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह तकलीफदेह बात है।

उस दिन हमें बड़ी खुशी हुई जब सामान्य प्रशासन पर माननीय सुचेता कृपालानी बोल रही थीं और उन्होंने जो कहा था वह शायद आप को याद होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या नैतिक स्तर हो रहा है, यहां के सदस्यों के पैसे पर बिकने की चर्चा हो रही है यानी यहां के सदस्य भी पैसे पर बिक सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि एक डेढ़ करोड़ जनता के प्रतिनिधि इन थैली-

शाहों के पैसे पर बिकने लगे और इस तरह से उनको वोट देने लगे तो यह देश कहां जायगा और मुख्य मंत्री जी ने उस समय न्योता दिया और हमने उसका स्वागत किया। आपको खुशी होगी यह जानकर कि जनसंघ दल ने, संयुक्त समाजवादीदल ने, कम्युनिस्ट बल ने और हमारे निर्दलीय साथियों ने बैठ कर यह फैसला लिया कि हम प्रदेश में सदस्यों के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिये यहां की जनता की इच्छाओं की पूर्ति के लिये जो थैलीशाहों की दावत हमारे सामने आ रही है और हजारों रुपये का जो लालच दिखाया जा रहा है उनके इस हौसले को हम सब मिल कर पस्त करेंगे और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करेंगे कि जो सारे भारत के सामने एक आदर्श बनकर रहे। यह राजनैतिक दलों के, जनता के चुने हुये प्रतिनिधि दस पांच हजार पर बिकने वाले नहीं है। हमने माननीया सुचेता जी के निमंत्रण को स्वीकार किया है। मैं चाहता हूं कि २८ तारीख परसों ही है उस दिन ही हमारी ईमानदारी का, हमारी नैतिकता की परीक्षा होने वाली है। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से विरोधी दल के लोगों ने बैठकर, अपने हजारों आपसी मतभेदों को भुलाकर एक चुनौती को स्वीकार किया है कि हम किसी लालच के सामने नहीं झुकेंगे। हम चाहते थे कि कांग्रेस दल और मुख्य मंत्री जी की ओर से भी हमारे इस न्योते को स्वीकार किया जाता लेकिन अफसोस है कि उधर से अभी तक हमें उत्तर नहीं मिला, हमने उनको चिट्ठी भी लिखी, हमारे मुख्य विरोधी दल के साथियों ने लिखा लेकिन हमें अफसोस है कि किसी चिट्ठी का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। मैं स्पष्ट कहूंगा कि मैं सदन में मौजूद नहीं था, हमारे मित्र श्री कमलासिंह और श्री उग्रसेन ने बताया कि कुछ लोग हमारे दल पर और अन्य दलों पर इस तरह के लांछन लगाना चाहते हैं कि हम बड़े लोगों के हाथों में बिक जाते हैं, मैं क्या . . . .

श्री अधिष्ठाता--

मैं पंडित जी, आप से आग्रह करूंगा . . . . .

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैं उसी पर आ रहा हूं। हमारे यहां भोजपुरी की एक कहावत है कि सूप हंसे तो हंसे चलनी का हंसे जवने में ७२ छेद। जो फियट के परमिट लें और एक लाख रुपया लेकर कर्ज के रूप में कुछ काम धाम चलावें। कानपुर के एक पत्र "दैनिक जागरण" में छपी खबर को देख कर मैं स्तब्ध रह गया। उसमें कहा गया है कि यह कांग्रेस में जाने वाली कोई समझौते की बात हो रही है। तो ये कांग्रेस में चले जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया विषय पर आयें ?

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, इस प्रदेश में एक स्वच्छ वातावरण पैदा करने की आवश्यकता है। मैं भानुप्रताप जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने थैली शाही को परास्त करने का एक कदम बढ़ाया है लेकिन उन लोगों की निन्दा करता हूं जो थैलीशाही का समर्थन करने के लिये वोट बिकवा रहे हैं। यह सब प्रदेश के लिये लज्जा की बात है और एक कलंक का विषय होगा जिस दिन थैलीशाहों के बल पर हमारे जैसे आदमी का वोट बिकने लगेगा।

अधिष्ठाता महोदय, यह जो ४१९ करोड़ और ७७ करोड़ रुपया दिया जा रहा है तो मैं सिर्फ यह चाहता था कि कर्जा देने की हमारी सरकार की एक स्पष्ट नीति होनी चाहिये कि किसे कर्जा दिया जाय और किस काम के लिये दिया जाय। आंकड़ों को पढ़ने के बाद और उत्तर प्रदेश की सरकार की कार्यवाहियों को देखने के पश्चात् मैं यह समझता हूं कि अगर प्रदेश में जो गल्ले की किल्लत है उसकी ओर कोई कदम बढ़ाती तो हमे कुछ संतोष होता लेकिन दिखायी देता है कि आज यह करोड़ों रुपया व्यर्थ में बरबाद किया जा रहा है। श्रीमन्, पंजाब में आपको जाने का मौका मिला होगा। वहां पर क्या स्थिति है ? वह एक छोटा सा प्रदेश है वहां

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

पर घर घर में खुशहाली है, घर २ में छोटे-छोटे उद्योग धंधे हैं। हमारे यहां पर क्या है और उसका एक कारण यह है कि वहां की सरकार की जो कर्जा देने की नीति है वह स्पष्ट है, साफ है। जब मैं देखता हूं कि ७६ करोड़ की धनराशि में से किसानों को कितना कर्जा देना है, छोटे २ आमदनी वालों को कितना रुपया घर बनाने के लिये कर्जा है तो, श्रीमन्, मैं स्तब्ध रह जाता हूं। आखिर गरीब आदमी की गरीबी मिटाने के लिये इस ७६ करोड़ रूपये में से सरकार ने कोई प्राविधान नहीं किया है। अंग्रेजी राज्य में, यहां पर जो श्री कौशलपाल गुप्त जी सचिव, विधान मंडल, बैठे हुए हैं, वे जानते होंगे क्योंकि वे उस समय में अधिकारी रहे होंगे, कि किसानों को ३ १/२ प्रतिशत सूद पर कर्ज, से खेती के कामों के लिये दिया जाता था पर आज जब कि किसान का राज्य कहा जाता है और समाजवाद का ढोल पीटा जाता है, उनसे ९ १/२ प्रतिशत का सूद लिया जाता है। तो फिर क्या होगा। साढ़े नौ प्रतिशत के हिसाब से कौन लेगा। इसे वह ले सकता है किसकी औकात होगी या जिसका राज काज में साथ है, न सूद देना है और न मूल

आवाजें—

एक कोआपरेटिव बैंक हैं

श्री रामसुन्दर पाण्डे—

सूबा बैंक को साढ़े ४ परसेंट पर सरकार देती है और सूबा बैंक साढ़े ५ परसेंट पर जिला बैंक को देता है और जिले वाले पब्लिक को साढ़े ९ परसेंट सूद पर देते हैं। जब बिना परिश्रम के इतना सूद कोआपरेटिव बैंक वाले लेते हैं तो कैसे देश को भला हो सकता है। अगर सरकार किसान की भलाई चाहती है कि किसान जो कर्जा ले उस में उस को उत्साह मिले, और वह पैसा खेती बारी के काम में लगाये, उसकी क्रय शक्ति बढ़े तो बीच में से कोआपरेटिव बैंक को खत्म कर दो। कोआपरेटिव बैंक देता कैसे हैं? आप जानते हैं बिना लेखपाल के इन्तखाब के बिना कानूनगो और तहसीलदार के तसदीक के कोआपरेटिव बैंक से कर्जा नहीं मिलेगा। कर्जा लेने वाले को कई जगह पूजना पड़ता है तब कोआपरेटिव बैंक में जायगा। इसकी क्या जरूरत है। आप तहसीलदार के यहां तक ही पूजा करा कर खत्म करें। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव बैंक के जरिये कर्जा देने का रिवाज खत्म कीजिये। तहसील के जरिये दिलाइये। यदि सरकार एक बात चाहती है करना तो कर दे और वह यह कि हर गांव समाज में, हर गांव में लेखपाल से सबूत ले ले और ब्लाक के जरिये कर्जा बटे, तहसील पर भी आना जाना कम कर दे। बो० डी० ओ० के जरिये जितना कर्जा बाटना चाहते हों बांटें। ऐसा किया जाय तो किसानों की काफी परेशानी कम होगी और अनपढ़ किसान की परेशानी कम होगी, उस के ऊपर कर्ज का बोझ कम होगा और जो उसको आज कई जगह पूजना पड़ता है उसमें भी बचत होगी। यदि सरकार मेरे इस सुझाव को स्वीकार करेगी तो लाभ होगा।

सिंचाई के संबंध में एक बात कहना चाहता हूं। यह सरकार अगर मान ले हमारी बात, इस समय नहर, नलकूप का जो ८००, ६००, ३०० एकड़ का रकबा एक एक नलकूप पर सरकार ने निर्धारित किया है, लेकिन १९५२ में जब दोहरीघाट कैनाल बनने वाली थी और आप को याद दिलाऊं आचार्य विनोबा भावे या जब चीन की लड़ाई थी उस समय बड़ी जोर से हवा फैली हुई थी कि देश में बड़े बड़े उद्योग धंधे न खोले जायं बल्कि छोटे छोटे खोले जायं, बड़े बड़े सिंचाई के साधन न बनाये जायं, छोटे-छोटे बनाये जायं, ताकि बाहर से जो विदेशी मुद्रा का प्रश्न सामने खड़ा होता है वह खत्म हो और हम देश में ठीक तरह से संचालित कर के, बिना बाहरी पैसे का उपयोग किये स्वंय अपना काम कर सकें। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसा प्रबन्ध करें, कर्जा वितरित करने की ऐसी व्यवस्था हो जाय, सिंचाई का साधन किसानों को सरकार कर्ज के रूप में न दे कर मुफ्त दे और ७,८,९, बीघे पर एक पक्का कुआ किसान को दे दिया जाय, रहट दे दिया जाय तो श्रीमन्, १० बीघे में किसान इतनी पैदावार कर सकेगा कि प्रदेश को दाने दाने के लिये मोहताज न होना पड़ेगा। आपने आज अखबारों में पढ़ा होगा कि जो विदेशों से गल्ला मंगाया गया है उस का ३६ करोड़ रुपया सिर्फ महसूल लगा है। आप सोच सकते हैं कि उस महसूल में उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा हिस्सा है। इसलिये कर्जे के बारे में, लघु उद्योग धंधे के

बारे में बड़े बड़े पूंजीपतियों और चीनी मिल मालिकों को जो कर्जा सरकार देती हो वह व्यवस्था खत्म होनी चाहिये। जिस कर्जे से सार्वजनिक हित न होने वाला हो, प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई कुछ लोगों के हाथ में चली जाय उस काम के लिये कर्जा देने की परिपाटी बन्द होनी चाहिये। आप जानते हैं दिल्ली की सरकार ने एक मूल्यांकन समिति बनायी और उसने निर्णय लिया और पंडित जवाहर लाल नेहरू का व्याख्यान आपने अखबारों में देखा होगा, उन्होंने कहा था कि पता नहीं देश में इतनी विकास योजनायें चलीं, इतना जो पैसा खर्च हुआ उसकी आय कहां चली गयी? मैं आपसे कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो कर्जा दिया जा रहा है करोड़ों रुपया उसका पता नहीं चलता कि वह गरीब किसान के घर में जा रहा है अथवा मुट्ठी भर सरमायेदारों के घर में जा रहा है। सरकार को कर्जा देने की नीति बदलनी चाहिये।

बिजली के बारे में भी मैं निवेदन कर दूं कि उत्तर प्रदेश में बिजली के रेट बहुत ऊंचे हैं जितने कि किसी भी प्रदेश में नहीं हैं। बिजली के दर का अगर लखनऊ का मुकाबला बम्बई से किया जाय और कानपुर का मुकाबला कलकत्ते से किया जाय तो कानपुर लखनऊ में बिजली की दरें बहुत ऊंची हैं, जो कि किसी तरह से ऊंची नहीं होनी चाहिये। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ६५ प्वाइंट कुछ फीसदी उद्योग धंधों में बिजली देते हैं और सिचाई में १२ प्वाइंट कुछ देते हैं। एक तरफ सिंचाई के लिये करोड़ों रुपया बर्बाद किया जा रहा है और दूसरी तरफ बिजली पैदा हो तो केवल १२ फीसदी किसानों को दी जाय और ६५ फीसदी पूंजीपतियों को दे दी जाय यह कहां तक न्यायसंगत है? मैं इन शब्दों के साथ सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरमायादारी को खत्म करने के लिये और गरीब लोगों की मदद करने के लिये कर्जा देने की नीति बदले।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के द्वारा वित्त मंत्री जी ने जो अनुदान रखा है उसका समर्थन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि यह रकम जितनी भी कर्ज के लिये रखी गई है इस प्रदेश की समस्त जनता की उन्नति के लिये रखी गयी है और आज तक किसी सरकार ने इतनी रकम नहीं रखी। जो इस प्रदेश की जनता को कर्ज के रूप में मिल सके और उसे वह अपने कार्यों में लगा कर यानी अपनी खेती और व्यापार में लगा कर अपनी तथा प्रदेश की उन्नति कर सके।

यह बड़े दुख की बात है कि जहां तक विरोधी दलों का संबंध है यह सरकार चाहे कितने भी अच्छे कार्य करे वे अपना परम कर्त्तव्य समझते हैं कि सरकार के अच्छे कार्यों का भी विरोध ही किया जाय। जो गलत काम हैं वे तो गलत हैं ही, लेकिन सरकार के अच्छे कार्य चाहे वे ९५ फीसदी भी हों उनकी भी वे बुराई ही करेंगे। उनकी यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं अपने उन सभी दोस्तों से जो उधर बैठे हैं और जो इस राष्ट्र के निर्माता हैं, उनसे यह निवेदन करूंगा कि उनको अपनी यह नीति त्यागनी चाहिये कि सरकार का हर वक्त विरोध किया करें। कटौती भी एक रुपये की पेश की जाती है। यह क्या बात हुई? दस बीस करोड़ रुपये की कटौती होती तो बात भी ठीक होती। माननीय विरोधी दल के सदस्यों को यह चाहिये कि सरकार के जो अच्छे कार्य हों उनकी प्रशंसा करें। यह मंत्री धन्य हैं जिन्होंने यह अनुदान कर्ज के रूप में जनता के लिये रखा है, नहीं तो आप बजट उठा कर देख लीजिये, इतना बजट आज तक नहीं रखा गया है।

एक निवेदन आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय से करूंगा। पहली बात तो यह है कि इस विभाग के जो कर्मचारी हैं भगवान ही उनका मालिक है। वे ही अनुदान को पास कर के नहीं देते। दूसरी बात, जहां तक मुझे मालूम है इंडस्ट्री वालों को कम सूद पर, किसान को अधिक सूद पर और मजदूर का सफाया। इस सरकार ने आजतक मजदूर को एक पैसा नहीं दिया। इसके अलावा किसानों को चूंकि उनकी हैसियत नहीं है, ९ फी सदी सूद पर देते हैं और इंडस्ट्री वालों को ५, ६ फी सदी सूद पर देते हैं। विरोधी दल के सदस्य इससे बचे हुये नहीं है क्योंकि वे सब से पहले पहुंचते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

हैं । यहां पर तो मंत्री और सरकार की बुराई करते हैं और वहां सब से पहले हाथ मारते हैं । फिर भी बुराई करते हैं । उन्हें चाहिये कि ईमानदारी के साथ जो इस सरकार के अच्छे कार्य हैं उनकी प्रशंसा करें और जो सुझाव देने हैं उन्हें दें । मजदूरों को सब से कम सूद पर कर्ज मिलना चाहिये। उससे कुछ ज्यादा पर किसानों को और इंडस्ट्री वालों को १२ फी सदी पर मिलना चाहिये नहीं तो इस प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती । इसलिये माननीय सदस्यों को चाहिये कि जो विरोध करें वह सोच समझ कर करें । मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा कर्ज मिलना चाहिये और सब से कम सूद की दर होनी चाहिये । मगर यहां उल्टा हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय बालोजी अग्रवाल ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, मैं कोशिश करूंगा कि अपने विचारों को एक सीमा के अन्दर रखूं । श्रीमन्, आपको जानकारी है कि हमारे देश को संसार के सभी देशों से कर्जा मिल रहा है और पिछले दिनों काफी मिला । आंकड़े कहते हैं कि प्रति व्यक्ति एक कम ८० रुपये विदेशी कर्ज का बोझ आज हम लोगों के ऊपर हो गया है । अभी १०–१५ दिन की बात है, जापान के कर्जे के सूद का कुछ अंश चुकाना था । हम उस कर्जे को चुका न सके और जापान सरकार से प्रार्थना की गई कि अपने कर्जे की रकम को और बढ़ा दो और उसमें से जो पिछला कर्ज अदा होना था वह वापस समझा जाय । अभी इस पर विचार हो रहा है । यह हालत हमारे प्रदेश के अन्दर कर्जे की है । यह सरकार अलग-अलग महकमों के जरिये कर्जा बांटती है उद्योग के नाम पर, बिजली कम्पनियों के नाम पर, कोआपरेटिव सोसाइटीज के नाम पर, छोटे उद्योगों के नाम पर, हरिजन सहायता के नाम पर और हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज के नाम पर कर्जा और अनुदान दिये जाते हैं । इनका विवरण आज लेखा-जोखा में है ।

श्रीमन्, हमें देखना यह है कि जो कर्जा लोगों को दिया जाता है वह इंडस्ट्रीज के लिये दिया जाता है तो वह कहां तक इसको उठाने में उपयोगी साबित हो सकता है । मैं एक एक करके यह चीजें मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं । जो रुपया बड़े बड़े उद्योगों के लिये दिया जाता है उसकी वसूली के संबंध में माननीय सदस्यों ने कहा है । वसूली नहीं हो रही हैं और उसके कारण सदन के समक्ष प्रति दिन आते रहते हैं । दूसरे जो रुपया आप इंडस्ट्रियलिस्ट को कर्जे में देते हैं, उसके ऊपर वह आपसे सस्ते दाम पर जमीन एक्वायर करता है जो जमीन ऐसी होती है जिस पर अन्न उत्पन्न किया जा सकता है उसको वर्षों तक लटकाये रखा जाता है । एक तो नुकसान यह हुआ ।

दूसरा नुकसान यह होता है कि एक करोड़ रुपया आप से कर्ज लिया, सस्ता लो और उसके बाद अगर किसी ने कोई धंधा लगाया तो उसके साथ ३,४ करोड़ रुपया ब्लैक मनी का अपनी ओर से लगा देता है जिसका वह उपयोग नहीं कर सकता था । इसका नतीजा यह होता है कि हिसाब किताब में केवल एक करोड़ रुपये का ही विवरण रहता है । उसका जो ब्लैक मनी होता है उसके ऊपर उसे न तो सेल्स टैक्स, न आमदनी टैक्स और न उपज टैक्स, कहने का मतलब यह है कि कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है । इसे अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें घाटा दिखाता है और कुछ अर्से बाद अपना रुपया निकाल कर दूसरा कारखाना खोल लेता है और यह इंडस्ट्री कर्जे से दबी रहती है । जैसे आपने अभी कानपुर में मिलें कर्जे में ली हैं । आप जो कर्जा देते हैं उसका ब्याज तो अलग रहा असल तक वसूल नहीं कर पाते हैं, हजारों मजदूर परेशान हुये और आपका रुपया भी डूब गया और इंडस्ट्री भी खतरे में पड़ गई ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरे आप म्यूनिसिपैलिटीज को रुपया देते हैं और स्थानीय निकायों के मंत्री जी इसको भलीभांति जानते हैं कि जिस तरह से हाउसिंग, पानी और सीवेज के लिये रुपया दिया जा रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। यह सदन से कोई छिपी हुई चीज नहीं है।

श्रीमन्, किसी भी म्यूनिसिपैल्टीज में जो रुपया दिया गया है, वह रुपया और उसका ब्याज कभी भी वापस नहीं आ पाया है। इस ब्याज को चुकाने के लिये नये नये धंधे के नाम पर और रुपया सरकार देती चली जाती है। म्युनिसिपैल्टीज के ऊपर के कर्जे बढ़ते चले जाते हैं और उसका कोई और कुछ रिटर्न नहीं हो पाता है। हाउसिंग के लिये जो आप कर्जा देते हैं उसका यह होता है कि जितना रुपया आपसे लिये जाता है उसका सही ढंग से सदुपयोग हो जाये तब तो ठीक है लेकिन उसका कभी भी सदुपयोग नहीं होता है, सिवाय दुरुपयोग के। इस हाउसिंग के कर्जे को लेकर गरीब लोग अपने दूसरे कामों में उसे खर्च कर लेते हैं, ब्याह शादी में खर्च कर लेते हैं। उनका रुपया वसूल होने के काबिल नहीं होता है। आखिरकार सरकार के इस रुपये पर पानी फेर देना पड़ता है।

चौथा कर्ज जो सहायता के रूप में आप छोटी-छोटी इंडस्ट्री को देते हैं, उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि २८ तारीख को हमारे यहां राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। उस चुनाव के एक प्रत्याशी हैं जो आज भी राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको १२-१३ स्माल स्केल इंडस्ट्री के लिये कर्जा दिया गया। उन्होंने हिन्दी टाईप राइटर का काम शुरू किया। कहा गया था कि वह हिन्दी टाईप राईटर खरीदें और उन्हें सरकार को सप्लाई करें। जब उन्हें इस में घाटा नजर आया तो उन्होंने क्या किया। तो सरकार के कर्जे से पुराने टाइप राईटर खरीदकर उनकी मरम्मत कराई और उन्हें नये के स्थान पर सप्लाई करना सरकार को शुरू कर दिया। तो श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि कर्जे का तरीका यही रहा, कर्जा उन्हीं लोगों के हाथ में जाता रहा, जो प्रभावशाली हैं, सत्तारूढ़ दल से संबंधित हैं, तो सरकार जिन कठिनाइयों को आज सोच नहीं पा रही है, उनका सामना उसे निकट भविष्य में शीघ्र ही करना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के अनुदान का समर्थन करने और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं------

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि उस पीठ पर कोई बोलने वालों का हिसाब किताब रहता है या यों ही बुलाया जाता है?

श्री अधिष्ठाता--

मेरा आपसे आग्रह है कि आप बैठ जाइये। यदि आपको पांच साल के बाद भी यह नहीं ज्ञात हो सका है, तो मुझे अफसोस है।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

मेरा निवेदन है और मैं यही कहना चाहता हूं कि हर बार खड़ा हो रहा हूं, लेकिन आप मुझे बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपसे आप कह रहा हूं कि पहले आप बैठिये। इस समय तक आपके दल से पांच सदस्य बोल चुके हैं।

श्री चन्द्रबली सिंह--

दल का सवाल नहीं है, इसमें व्यक्ति का सवाल है, मेरे बार बार खड़े होने का सवाल है। मैंने बोलने के लिये खड़े होकर कसरत करके बार बार आपका ध्यान खींचा है।

श्री अधिष्ठाता--

मेरा निवेदन सुन लें, जब तक पीठासीन सदस्य को आप लिखकर न दें कि आपका उस दल से संबंध नहीं है तब तक आपको दलीय अनुशासन के अन्दर ही काम करना पड़ेगा। यह मेरी व्यवस्था है। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री चन्द्रबली सिंह--

मैं आपकी व्यवस्था को रद्द करके आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जब लिखकर देने की बात आप कहते हैं, तो बार बार खड़े होने की व्यवस्था का क्या मतलब है। इससे क्या कार्य सिद्ध होता है। यह बार बार खड़े होकर कसरत करना क्या निरर्थक ही है।

श्री अधिष्ठाता--

देखिये, मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि आप बैठ जायं, सदन का समय नष्ट न करने की कृपा करें।

श्री चन्द्रबली सिंह--

मैं आपसे चाहता हूं कि आपने जो यह बात कही कि "सदन का समय नष्ट न करें" इस शब्द को आप वापस लें। कृपया पहले आप इसे वापस लें।

श्री अधिष्ठाता--

या तो आप हमारी व्यवस्था का अनुसरण करें या यह सदन छोड़ें।

श्री चन्द्रबली सिंह--

मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि पहले आप इन शब्दों को वापस लें।

श्री अधिष्ठाता--

चन्द्रबली सिंह जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। आज प्रातःकाल से लेकर इस समय आपके दल के ५ सदस्य बोल चुके हैं और अब तक कांग्रेस दल का १ सदस्य बोला है। अब दूसरे वक्ता खड़े हुये तो मैंने उनको आज्ञा दी है...

श्री चन्द्रबली सिंह--

मैं तो चाहता हूं कि आप सबको इजाजत दें.....

श्री अधिष्ठाता--

आप या तो स्थान ग्रहण कीजिये या फिर सदन छोड़िये।

श्री चन्द्रबली सिंह--

मैं कहता हूं कि मैं बैठ जाऊंगा यदि आप अपने शब्द वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता--

मार्शल, आप जरा श्री चन्द्रबली सिंह जी को सदन से बाहर जाने में मदद कीजिये। (मार्शल के निकट जाने पर श्री चन्द्रबली सिंह बैठ गये।)

श्री अधिष्ठाता--

वह बैठ गये हैं, आप मार्शल अब कृपा करके चले जाइये।

(मार्शल के हटने पर)

श्री चन्द्रबली सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय,....

श्री अधिष्ठाता---

मार्शल, कृपया माननीय सदस्य को सदन से बाहर निकलने में उनकी मदद कीजिये।

(श्री अधिष्ठाता की आज्ञा से मार्शल की प्रार्थना पर श्री चन्द्रबली सिंह सदन से बाहर नहीं गये।)

श्री अधिष्ठाता---

मार्शल आप गार्ड्स को बुला लें और बाहर ले जाने में सहायता करें।

श्री राजेन्द्र सिंह (जिला एटा)---

मैं यह समझता हूं कि इस पीठ से कई बार अध्यक्षों की व्यवस्था हो चुकी है कि कोई भी पीठासीन व्यक्ति यह शब्द नहीं कहेगा कि आप सदन का समय नष्ट कर रहे हैं। यदि कोई सदस्य व्यवधान करते हैं तो आप उसे अवश्य निकलवाइये लेकिन इस तरह से कहने के संबंध में व्यवस्था हो चुकी है।

श्री अधिष्ठाता---

आप कृपया प्रक्रिया नियमावली देख लीजिये। अगर कोई माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही को नियमानुकूल चलने में बाधा उपस्थित करते हैं और बोलते ही रहते हैं तो उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि आप बैठ जाइये क्योंकि वह सदन का समय नष्ट करना है। यह मेरी निश्चित व्यवस्था है।

(मार्शल से) चन्द्रबली सिंह जी को गार्ड्स की सहायता से बाहर ले जाइये।

(श्री अधिष्ठाता के आदेश से मार्शल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री चन्द्रबली सिंह को सदन से बाहर ले गये।)

*श्री श्रीराम तिवारी---

अधिष्ठाता महोदय, मेरा विचार इस विषय पर बोलने का नहीं था लेकिन उधर से माननीय रामसुन्दर पांडेय ने यह कहा कि हमारी ओर के सदस्य दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं इसलिये मुझे खड़ा होना पड़ा। मुझे अफसोस है कि इस प्रकार की घटना मेरे बोलने के लिये खड़ा होने पर घटित हो गयी। यह अनुदान एक महत्वपूर्ण अनुदान है। इसका सम्बन्ध प्रदेश के साधन हीन किसानों से तथा उन वर्गों से है जिसके पास धन का अभाव है। उनके लिये इस अनुदान के अन्तर्गत धनराशि अलाट की गई है और उनको अपना कार्य चलाने के लिये ऋण दिया जायगा। जहां तक पूरे अनुदान का संबंध है इस वर्ष इस पूरे अनुदान में धनराशि पिछले वर्ष से कम रखी गई है। परन्तु एक बात प्रसन्नता की है और हर्ष की है कि योजनागत और कर्जे के लिये धनराशि दोनों में रखी गई है। यह धनराशि किसानों को जो कर्जे के रूप में दी जाती है उसमें किसानों से ब्याज बहुत अधिक लिया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि किसानों को दिये जाने वाले ऋण में ब्याज का होना चाहिये। इसके साथ ही एक दूसरा निवेदन मैं अपने जिले के संबंध में करना चाहता हूं। वह यह है कि पिछले वर्ष कुयें बनाने के लिये धनराशि बहुत कम रखी गई थी। इस वर्ष वह धनराशि अधिक रखी जा रही है। ताकि कुओं का निर्माण अधिक हो सके और किसानों को आबपाशी के साधन अधिक उपलब्ध हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया ।

*श्री बालोजी अग्रवाल---

अधिष्ठाता महोदय, मैं विरोधीदल के सदस्यों को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया इतने महत्वपूर्ण अनुदान के होते हुये जिसमें हम आज ७६ करोड़ रुपया देने की स्वीकृति देने जा रहे हैं, मुझे इस बात का दुख है कि कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने इस अनुदान में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं ली । यह कहने के पश्चात माननीय हरीसिंह जी ने इसमें भाग लिया और मेरे कटौती के प्रस्ताव का अप्रयत्क्ष रूप से समर्थन किया । इसका अर्थ मैं यह समझता हूं कि कांग्रेस के माननीय सदस्य भी यह चाहते हैं कि यह अनुदान पारित न हो और कटौती का प्रस्ताव पारित किया जाय । जिन बिजली कम्पनियों को सरकार कर्जा देती है उनके ऊपर यह आवश्यक है कि सरकार किसी न किसी रूप में नियन्त्रण रखे मार्टिन बर्न कम्पनी को समय समय पर अब तक ५।। करोड़ रुपये का ऋण सरकार ने दिया है । बिजली देने का कार्य विद्युत् परिषद् के अलावा कुछ ठेकेदारी प्रथा से होता है जो कि विद्युत् परिषद् से बिजली ले लेते हैं और जनता को देते हैं और दूसरी कुछ प्राइवेट कम्पनियां हैं, जैसे मार्टिन बर्न एंड कम्पनी, यह खुद बिजली पैदा करती हैं और जनता को देती है । और ठेकेपर भी लेती है । लेकिन ये समय समय पर अपनी दरों को इसतरह से बढ़ाती चली जाती है जिससे जनता को बेहद परेशानी पैदा हो रही है । विद्युत् वितरण ऐक्ट १९४८ के अनुसार जो कम्पनियां विद्युत् वितरण का काम करती हैं उनका जितना कैपिटल है,उस पर वे ६ प्रतिशत तक का मुनाफा ले सकती हैं लेकिन ये कम्पनियां अपना जाली बहीखाता बना कर, गलत एकाउंट बना कर और उसमें मुनाफा कम दिखला कर उसके आधार पर अपनी दरों को बढ़ाती चली जाती है, तो इस पर नियन्त्रण होना नितान्त आवश्यक है । अब बिजली कर्मचारी जो बिजली का काम करते हैं तथा केसा के अन्दर जो काम करते हैं, उनका भी १९४८ में जो वेतनक्रम था वही आजतक है । सरकार ने जुलाई १९६४ में एक हाई पावर कमेटी विद्युत् कर्मचारियों के संबंध में बनाई और उस समय सरकार ने यह आश्वासन दिया बिजली कर्मचारी फेडरेशन को कि यह हाई पावर कमेटी ४ महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देगी । लेकिन यह रिपोर्ट सन् १९६४ की जुलाई से आज सन् १९६६ तक सरकार को नहीं मिली । सरकार ने कहा था कि जब तक हाई पावर कमेटी की रिपार्ट आयेगी तबतक ४ प्रतिशत अन्तरिम सहायता कर्मचारियों को दी जायेगी, लेकिन वह भी अभी तक नहीं दी गयी ।

केसा को सन् १९६३-६४ और ६४ में लाखों रूपये का मुनाफा हुआ है लेकिन बोनस वही साढ़े १२ परसेंट दिया जाता है जो कि पहले दिया जाता था । इसके अलावा ऋण की जो स्थिति है उसे सदन में माननीय सदस्यों ने बतलाया । आज सरकार के ऊपर ६ अरब से ज्यादा का कर्जा है जो कि सरकार ने विभिन्न संस्थाओं से और जनता से लिया है । उस पर सरकार को करीब ३० करोड़ रुपया वार्षिक सूद देना पड़ता है । इस पर नियन्त्रण रखने के लिये इलेक्ट्रिकल इंसपेक्टर का भी एक आडिट सेक्शन है, परन्तु यह संगठन सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है । आपके द्वारा सरकार से मेरा यह आग्रह है कि उस आडिट संगठन को सरकार को मजबूत बनाना चाहिये और उसके ऊपर वह इस बात का दबाव डाले कि वह इसके ऊपर नियन्त्रण रखे और प्राइवेट कम्पनियों के आय-व्यय का निरीक्षण करे और यह देखे कि वास्तव में उन्हें कितना मुनाफा है और उनके ऊपर एक रेट्स कमेटी बैठायी जाय जिससे पता लग सके । अभी-अभी मार्टिन बर्न एंड कम्पनी ने घाटा दिखला कर ३ पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से रेट फिर बढ़ा दिया है । जब ६ अरब रुपये का कर्जा सरकार के ऊपर है और ३० करोड़ रुपये वार्षिक सूद के रूप में सरकार को देना पड़ता है तो यह देखने की बात है कि जिन लोगों को हम कर्जा देते हैं उनसे उस कर्जे की वसूली होती जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आंकड़े बहुत हैं और उनको देने में समय लगेगा। मैं सरकार से इस बात का आग्रह करता हूं कि वह एक ऐसा आयोग बनावे जो यह देखे कि कितना कर्जा बकाया है, उस पर कितना सूद बकाया है, कितनी किस्त बकाया है और वह समय से वसूल क्यों नहीं हो रहा है और किस प्रकार वसूल होना चाहिये। अगर इस प्रकार का आयोग नहीं बनावेंगे और इस प्रकार के नियन्त्रण सरकार पर नहीं रखेंगे तो आज नहीं तो आगे आने वाले वर्षों में सरकार की स्थिति बहुत ही खस्ता व खराब हो जायगी और सरकार के ऋण की वसूली नहीं हो सकेगी। इसके अतिरिक्त जो ऋण दिया जाता है उसके देने में जितने नियमों का पालन सरकारी कर्मचारियों का करा लेना चाहिये वह समय समय पर नहीं कराया जाता है, उतनी लिखा–पढ़ी जितनी आवश्यक है, वह नहीं होती है। जो जमानतें ली जानी चाहिये वह नहीं ली जाती। तो उन नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त कर्जा देने के जो नियम हैं जो कि आज व्यवस्था बना रखी है तो पहले पटवारी, फिर कानूनगो, तहसीलदार, फिर परगना हाकिम और स्थान स्थान से ऋण लेने वाले किसान या ग्रामीण उद्योग वाले व्यक्ति या अन्य कर्जा लेने वाले व्यक्ति निकलते हैं तो यदि ४०० रुपया कर्जा लेना है तो ५०–६० रिश्वत में ही चला जाता है। पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार सब जगह दौड़–धूप करनी पड़ती है औ उसमें बड़ा समय और धन का व्यय होता है। तो इस व्यवस्था को बदल कर सरल बनाया जाय और ऐसी व्यवस्था की जाय कि किसान का आसानी से और कम से कम समय में ऋण मिल जाय।

राज्य विद्युत् परिषद् के संबंध में बहुत चर्चा हो चुकी है, मैं अधिक नहीं कहूंगा। इतना आग्रह करूंगा कि उसकी जांचके लिये एक आयोग की स्थापना की जाय कितना रुपया दिया गया है उसका सही उपयोग हुआ है या नहीं। और जो कार्य वह कर रहे हैं वह व्यवस्थित है या नहीं। उन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का पुनः समर्थन करता हूं।

श्री जयराम वर्मा––

अधिष्ठाता महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का बड़ा आभार मानता हूं।

सदन के कार्यक्रम में संशोधन के सम्बंध में सूचना

श्री अधिष्ठाता––

मैं एक सूचना दे दूं। जो कार्य–क्रम पहले बटा था उसमें यह संशोधन हुआ है, माननीय संसदीय मंत्री जी ने बताया है कि यह सदन ३० तक बैठेगा। पुनः ११ अप्रैल से बैठेगा।

१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ५५––ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (क्रमागत)

श्री जयराम वर्मा––

जो विचार इस ग्रान्ट के सम्बन्ध में इस सदन में रखे गये हम उन सुझावों का लाभ उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। माननीय सदस्यों को इस बात की चिन्ता है कि जो रूपया इस तरह से कर्ज के रूप में उठाया जाता है उसका ठीक ठीक उपयोग हो, उससे देश की ठीक सेवा हो सके। यह चिन्ता सही है। उनको चिन्ता होनी ही चाहिये कि जो पैसा विभिन्न योजनाओं के लिये कर्ज में दिया जाता है उसका ठीक ठीक उपयोग हो। यह भी सही है कि उस कर्जे का बैलेंस जो राज्य सरकार ने दे रखा है, काफी बड़ी रकम होगी १९६६–६७ के अन्त में ४१९ करोड़ २ लाख रुपये की। यह भी सही है कि कर्जे की वसूली जितनी होनी चाहिये थी उतनी नहीं हो पायी और उसमें कुछ और तेजी होनी चाहिये। जहांतक कि कर्ज का सवाल है, कर्ज देते वक्त इस बात को देख लिया जाता है कि कर्ज लेने वाले की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसके लिये उनसे सिक्योरिटी भी ली जाती है। इन सब के बाद उसको ऋण दिया जाता है। जो स्थानीय संस्थाओं को ऋण दिया जाता है उनकी वसूली में कुछ दिक्कतें कभी कभी आ जाती हैं। उनको ऋण

[श्री जयराम वर्मा]

नगरों की हालत सुधारने के लिये दिया जाता है। ड्रेनेज का काम है, वाटर स्कीम है, तथा और भी जो सुधार के काम हैं, उनके लिये उनको रुपया दिया जाता है। उनसे काफी रुपया मिलता भी रहता है, कुछ संस्थायें कभी-कभी नहीं दे पातीं। उसके कुछ कारण उनके सामने होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार इन सब बातों को ध्यान में रखती है और आवश्यकता पड़ने बर आवश्यक कार्यवाही भी उसकी वसूली के लिये करती है। इन रुपयों की वसूली में कुछ दिक्कतें थीं, उनको दूर करन के लिये ही सन् ६५ में इस सदन ने एक एक्ट भी पास किया है जिसके अनुसार अब रुपये की वसूली में कुछ आसानी हुई है।

(इस समय ४ बजकर ९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कमला सिंह यादव पीठासीन हुये।)

माननीय सदस्यों ने जितनी और बातें कहीं हैं उन सभी का उत्तर देना तो सम्भव इस समय न होगा, पर कुछ खास खास बातों का जवाब मैं देना चाहता हूं। काफी माननीय सदस्यों ने विद्युत् परिषद् की बात कही। यह शिकायत की गयी कि जो रुपया दिया जाता है उसमें कोई शर्त आदि नहीं रहती। मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसी बात नहीं है। उनसे पूरे रुपये का सूद हमको बराबर प्राप्त होता रहता है। मूल धन अभी वसूल नहीं हो रहा है और उसका कारण यह है कि मूल धन वापस देने के लिये अभी इलेक्ट्रीसिटी ऐक्ट में कोई प्राविधान नहीं हुआ है। उसमें इसके लिये परिवर्तन किया जा रहा है, और उसके बाद मूल धन भी हमें प्राप्त होने लगेगा।

जो रुपया उनको दिया गया है उसका उन्होंने सदुपयोग किया है। जो असेट्स वगैरह उनको ट्रान्सफर किये गये हैं, उनका उन्होंने सदुपयोग किया है। जो निर्माण के काम हैं उन्हीं पर उन्होंने खर्च किया है। इस साल के अन्त तक वे जितना खर्च करेंगे वह उससे ज्यादा होगा जो हमने उनको ऋण दिया है। दूसरे सोर्सेज से भी उन्होंने रुपया लिया है। इसलिये उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई सम्भावना नहीं है।

एक बात यह कही गयी कि जब यह परिषद् बनी उस समय ४ करोड़ कुछ रुपया जो सरकार के डिप्रीसियेशन में जमा था वह भी उनको सौंप दिया गया। यह क्यों ऐसा किया गया, इस बात की शिकायत की गई। मैंने उसी वक्त माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि जो असेट्स ट्रान्सफर किये वे बुक वैल्यू पर ट्रान्सफर किये हैं डैप्रिसियेशन वैल्यू पर ट्रान्सफर नहीं किये हैं। जितना खर्च हुआ था उतना खर्चा देकर उतना कर्ज मान लिया गया, कर्ज के रूप में मान लिया गया। बोर्ड का यह कहना था कि हमारे सब असैट्स ट्रान्सफर हो रहे हैं बुक वैल्यू पर। उसके लिये जो डैप्रिसियेशन का रुपया रक्खा गया था वह भी उसको मिलना चाहिये। उनका कहना सही था क्योंकि डेप्रीसियेटेड वैल्यू पर सामान नहीं दिया गया। इस लिये जो रुपया जमा था वह उनको दे दिया गया जिसको उन्होंने अपने काम में लगा दिया है। ४.४० लाख रुपया दिया गया है जब तक कि बाजारी कीमत उसकी तय न हो जाय।

एक माननीय सदस्य ने यह शिकायत की कि इसमें बहुत बड़ी रकम है ग्रान्ट में ७६ करोड़ ७० लाख रूपये की और किसान को बहुत थोड़ी रकम दी जा रही है। मैंने उसी वक्त बताया था कि नानप्लान के अन्तर्गत ७ लाख साढ़ेआठ करोड़ रुपया कर्ज देने के लिये और प्लान के अन्तर्गत साढ़े सोलह करोड़ रुपया है। इस तरह से २३ करोड़ ५८ लाख ५० हजार रुपया कुल काश्तकारों को खेती के काम के लिये कर्जा देने केलिये रक्खा गया है। तो यह रकम कम तो नहीं है। इस वक्त खेती का महत्व है। हम चाहते हैं कि खेती की तरक्की हो। उसमें अधिक से अधिक अन्न पैदा हो सके। हम आवश्यक अन्न पैदा कर सकें इसलिये हमने इसमें जो कुछ भी रक्खा है हम समझते हैं कि उससे हम काफी आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिये एन० ई० एस० स्कीम में ४६ लाख रुपया, १२ लाख रुपया कोआपरेटिव फार्मिग के लिये रक्खा गया और ९ करोड़ रुपया माईनर इर्रीगेशन वर्क्स को इनआर्ईज करने केलिये रक्खा गया है। वह भी काश्तकारों के लिये रक्खा गया है। देखने में वह रकम कम मालूम होती है। लेकिन यह ३३ करोड़ ५७ लाख रुपया है जो काश्तकारों के लिये खेती की तरक्की के लिये रक्खी गयी

है। इसलिये यह सोचना कि काश्तकारों की तरक्की के लिये थोड़ी रकम रक्खी गई है, ठीक नहीं है। वह काफी रकम है और हम समझते हैं कि इसका ठीक उपयोग हो सकेगा और हमने जो लक्ष्य रक्खा है कि अगले साल दस लाख टन अनाज को बृद्धि कर सकें वह कर सकेंगे।

किसी माननीय सदस्य ने कम्पनीज के बारे में शिकायत की कि बहुत रुपया दिया हुआ है और वसूली का कोई इन्ताजम नहीं हो रहा है। उनका कहना सही नहीं है। न्यू सैन्ट्रल जूट मिल्स को एक करोड़ ४५ लाख रुपया कर्ज दिया गया था और इस शर्त पर दिया गया था कि उनको सूद किस्त शुरू होने से पहले ही देना होगा। और अगर वे नहीं देते हैं तो वह सूद असल में शामिल हो जायेगा। इसलिये सूद का २०, ९३, ०८६ रुपया असल में शामिल कर लिया गया। इसमें भी जो रुपया बाकी रह गया है इसकी वसूली की मुनासिब कार्यवाही की जा रही है और आशा है कि वसूली तेजी से हो सके। इसी तरह जे० के० जूट एन्ड काटन स्पिनिंग मिल्स कानपुर को ९० लाख रुपया दिया गया था उस पर भीज्जो इन्टैरेस्ट ड्यू हुआ वह भी असल में शामिल हो गया। इस तरह से १०३ लाख के करीब कुल रुपया इन पर हुआ। अब उनके ऊपर ५१ लाख रुपया असल का बाकी है। लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्क्स, कानपुर, को भी ५० लाख रुपया दिया गया। इन्होंने भी किस्त ड्यू होने के पहले इंटरैस्ट नहीं दिया तो वह २।। लाख रुपया भी असल में शामिल हो गया। अब १९ लाख रुपया असल का और कुछ सूद का बकाया है। अब वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

इस बात की भी शिकायत की गई कि न्यू सैन्ट्रल जूट मिल, कलकत्ता, को वाराणसी में सोडा ऐश फैक्ट्री के लिये १ करोड़ ४५ लाख रूपया दिया गया और २ साल तक उसकी सिक्योरिटी नहीं ली। यह बात भी सही नहीं है। इनसे २ करोड़ से कुछ ज्यादा रुपये के असेट्स मार्टगेज करने की शर्त थी और जब मार्टगेज करने की सारी कार्यवाही पूरी न हो तब तक सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की गारंटी रहे उस रुपये के लिये और सुद के लिये भी। जब सब फार्मेलिटीज पूरी हो जावेंगी तब गवर्नमेन्ट फैंक को इंस्ट्रक्शन्स देगी कि रुपया दे दिया जाय। लेकिन सूद कम्पनी को उस समय से देना होगा जबकि गवर्नमेन्ट उसे रुपया देगी। सैंक्शन हुआ २१–३–५६ को, और गारंटी का यह रुपया २९–३–५६ को दिया गया। मार्टगेज डीड कम्पलीट हुआ २२–३–५७ को और २६ मार्च सन् ५७ को बैंक को इंस्ट्रक्शन्स दी गई कि यह रुपया कम्पनी को दे दें। इसमें भी कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं है। कम्पनी को रुपया सारी फार्मेलिटीज पूरी होने पर ही दिया गया। इसलिये यह शिकायत कुछ गलतफहमी के आधार पर की गई है, ऐसा प्रतीत होता है।

बिजली की कुछ बात कही गई कि उसकी दरें हमारे सूबे में ज्यादा हैं बनिस्बत और सूबों के। यह बात किसी हद तक सही है। इसका कारण यह है कि हमारे यहां बिजली पैदा होती है थर्मल से। बिजली की कमी को जल्दी पूरा करने के लिये थर्मल से पैदा की गई। उसका खर्चा ज्यादा होता है, जिससे रेट भी ज्यादा होना लाजिमी है। अब हाइडल से बिजली पैदा करने का भी इन्तजाम किया जा रहा है, जो सस्ती होगी।

एक शिकायत इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के संबंध में की गयी कि उन्होंने ऐसी कोई हिदायत कर दी है कि रुपया यहां लखनऊ से दिया जायगा रीजन्स में नहीं दिया जायगा। यह तो और अच्छा कन्ट्रोल करनेके लिये ही किया गयाहै। एक बात यह भी कही गयी कि किसानों को जो कर्जा दिया जाता है उनकी रेट आफ इन्टरेस्ट ज्यादा है, बनिस्बत इन्डस्ट्रीज को दिये जाने वाले कर्जे के। जो नार्मल रेट आफ इन्टरेस्ट है उससे जितने कम रेट पर हम इन्डस्ट्रीज को देते हैं, उस अन्तर को गवर्नमेन्ट आफ इंडिया हमें देती है ताकि प्रदेश में इन्डस्ट्री पनपें, औद्योगीकरण जल्दी हो सके।

[श्री जयराम वर्मा]

यह भी कहा गया कि सूबे पर कर्जे की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गयी है। यह भी कहा गया कि स्थिति खराब हो गयी है। यह बात सही है कि ६६-६७ के अन्त में ७६३ करोड़ ७९ लाख रुपया कर्जा हो जायगा। ८७ करोड़ ४७ लाख रुपया बाजार से ऋण और ५३९ करोड़ ९५ लाख गवर्नमेन्ट आफ इंडिया तथा स्वशासित संस्थायों से मिला। इसके अलावा जो हमारे असेट्स और लाइबिलिटीज हैं, कंपेन्सेशन बाण्डस् का रुपया है, इनकमबर्ड स्टेट ऐक्ट बोण्ड्स का रुपया है, और दूसरे इस प्रकार के बांडों का रुपया है, वह ७५ करोड़ २ लाख है। इसी प्रकार प्रावीडेंट फंड का ६२ करोड़ ३५ लाख रुपया है। यह भी काफी बड़ी देनदारी है। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जहां तक प्रावीडेंट फंड के रुपये की बात है यह तो बैंक में रखते हैं और इस रुपये के बारे में गवर्नमेन्ट बैंक की तरह से काम करती है, जब वक्त पूरा होता है तो वह रुपया उसमें से निकाल कर दे दियाजाता है। वह सचमुच हमारे ऊपर कोई बोझा नहीं है।

कंपेन्सेशन बांड्स का ७५ करोड़ २ लाख हमें देना पड़ेगा। वह हम अपने सोर्सेज से दे रहे हैं। इन सब चीजों को निकालने के बाद जो रुपया मार्केट लोन गवर्नमेन्ट आफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस लोन का है वह ६२६ करोड़ ४२ लाख है। इस देनदारी के विरुद्ध हमारे पास यह असेट्स हैं, ४१९ करोड़ २ लाख के। हमने कर्जा दे रखा है। इसी प्रकार से सिंकिंग फंड और रिजर्व फंड में ६६-६७ तक हमारा ८८ करोड़ ३१ लाख रुपया हो जायगा। इस प्रकार से दोनों मिलाकर ५०७ करोड़ ३३ लाख हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों मे जो हमने पूंजी लगायी है वह ६६-६७ तक हो जायगी ३९८ करोड़ ८ लाख रुपये। इस प्रकार से हमारे कुल असेटस हो जाते हैं ९०५ करोड़ ४१ लाख रुपया के। हमारी असेट्स ९०५.४१ करोड़ है और हमारी देनदारी है ७६३.७९ करोड़ रुपया है और इस तरह से हमारी असेट्स देनदारी से ज्यादा है इस तरह का कोई प्रश्न नहीं है कि हमारे पास असेट्स नहीं हैं, असेट्स हमारे ज्यादा हैं। यह बात बिलकुल सही है कि हम दूसरी स्टेट्स से कुछ पिछड़े हैं लेकिन जहांतक हमारी वित्तीय स्थिति का प्रश्न है उसमें देश की जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उन से हम अपना मुकाबला कर सकते हैं और चिन्ता की कोई बात नहीं है। यह ठीक है कि कर्जे की वसूली होनी चाहिये और बकाया नहीं रहना चाहिये और अगर सभी माननीय सदस्यों का इस में सहयोग होगा तो यह वसूली होगी और सूबा तरक्की करेगा। इसमें निराशा की कोई बात नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

किसानों के लिये जो अग्रिम की व्यवस्था है उसका ५० प्रतिशत तो पहले ही अफसर ले लेते हैं और आधा उसके हाथ लगता है। इस को ठीक करने के लिये आप कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं सबूत दे सकता हूं और ऐसे किसानों को हाजिर कर सकता हूं कि जिनको हजारों मंजूर हुये हैं तो उन को ५०० रुपया ही मिला है।

श्री जयराम वर्मा—

ठीक है, हो सकता है लेकिन अगर कोई बुराई है और कृषकों के पास पूरा रुपया नहीं पहुंचता तो इधर के और उधर के माननीय सदस्यों को मिलकर अपने अपने यहां इस बुराई को दूर कराने की कोशिश करनी चाहिये और सहयोग देना चाहिये। हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार हैं। लेकिन केवल शिकायत कर देने से ही काम चलने वाला नहीं है, बुराई अगर है तो उसको दूर करने के लिये सबका सहयोग हो तभी वह दूर हो सकती है। खाली शिकायत से कोई लाभ न होगा। अगर हम बुराई को दूर करने का यत्न नहीं करते तो हम भी बुरे हो सकते हैं। जितना सहयोग माननीय सदस्यों का मिल सकेगा उतनी ही जल्दी हम बुराईयों को दूर कर सकते हैं। आप सब जनताके प्रतिनिधि हैं अपने बारे में भी अपनी शक्ति को कम आंकना उचित नहीं है, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिये और विश्वास न होने का कोई कारण नहीं है अगर आप का विश्वास होगा तो अवश्य ही यह बुराई भी दूर होगी।

अगर अविश्वास अपने प्रति होता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है और शक्ति घट जाती है। लेकिन अगर विश्वास रहे तो हर काम पूरा हो सकता है और हर बुराई दूर हो सकती है। अगर जरा देर को मान भी लें कि इधर के लोगों में शक्ति कम है तो यह प्रदेश तो सबका है, सब को बुराई को दूर करने की जिम्मेदारी लेना चाहिये। ऐसा मानने से कि इधर के लोग ही सब कुछ ठीक कर सकते है और उधर के कुछ नहीं कर सकते, एक बड़ी खराब तस्वीर इस से बनती है। हम चाहते हैं कि समाजवाद आयें और हम आगे बढ़ें लेकिन समाजवाद कैसे आयेगा। हम किसान की मदद करें, केवल शिकायत से वह नहीं आयेगा। ३३ करोड़ रुपया किसानों की खेती की तरक्की के लिये रखा गया इस से उन की शक्ति बढ़ेगी। समाजवाद आखिर आयेगा। किस तरह से आयेगा। समाजवाद क्या केवल नौकरों के वेतन बढ़ाने से आ जायगा? वह तो तभी आयेगा जब सब की आय का स्तर उठेगा, जब बड़ी आय और छोटी आय का अन्तर कम होगा और वह जितना ही कम होगा उतने ही हम समाजवाद की तरफ बढ़ सकेंगे। इसलिये हम आप सब माननीय सदस्यों का सहयोग चाहते हैं और जितना ही हमें आपका सहयोग मिलेगा उतनी ही अधिक सफलता हमें बुराईयों को दूर करने में मिल सकेगी। जो पैसा हम योजनाओं के लिये व्यय कर रहे हैं, हमारी इच्छा है कि उस के द्वारा हमारी योजनायें ठीक से आगे बढ़ें। हमारी इच्छा है कि हम सारी योजनाओं को आगे बढ़ावें और हमारा एक भी पैसा बरबाद न हो। जो पैसा हम देते हैं, उसका पूरा पूरा सदुपयोग हो और जो हमारे लक्ष्य हैं, वे भी पूरे हों। यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायत की कि जो लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इनकी पूर्ति करने के लिये वे हमारी मदद करें, जिससे उनको शिकायत का कोई मौका न मिले।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय बालोजी अग्रवाल से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने इस १ रुपये के कटौती के प्रस्ताव को वापिस लें लें। समझ में नहीं आता कि आखिर वे क्यों एक रुपये की कमी करना चाहते हैं जबकि हम योजनाओं के लिये पैसा देना चाहते हैं। क्या वे चाहते हैं कि हम यह पैसा न दें, किसानों को उनकी खेती की तरक्की के लिये न दें। अगर ऐसा हो तो यह गलत बात हो जायेगी। इसलिये मेरी पुनः उनसे प्रार्थना है कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस ले लें।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५५ के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५–व्याज वाले ऋण, और अग्रिम के अन्तर्गत ७६,६९,५९,५०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

अब हम उठते हैं और दिनांक २८ मार्च, १९६६, को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ३६ मिनट पर सोमवार, २८ मार्च, १९६६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२६ मार्च, १९६६।

पी० एस० यू० पी०---ए० पी० ३२ एल० ए०---१९६६---८६२।